खण्ड-196, अंक-1
मंगलवार, 14 श्रावण, शक संवत् 1880
(5 अगस्त, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 196 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ५ अगस्त, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५६

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी,कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री

गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम, गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चंद्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह , श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दातताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री

बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली, खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन, खां, श्री
महाबीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस' श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रथुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री

रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान,वैद्य
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लामीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शशिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबहादुरसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार

सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ५ अगस्त, १९५८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

केन्द्रीय सरकार से अधिक अनाज मांगने तथा सस्ते अनाज की दुकानें बढ़ाने की मांग

**१—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या न्याय मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य को जो अन्न मिलता है वह किस आधार पर मिलता है ?

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—आवश्यकतानुसार केंद्रीय सरकार से अन्न की मांग की जाती है और केंद्रीय सरकार मासिक कोटा नियत करके निर्धारित मूल्य पर अन्न देने की व्यवस्था करती है।

**२—श्री गेंदासिंह—क्या न्याय मंत्री को इसकी जानकारी है कि केन्द्र द्वारा बिहार, केरल तथा पश्चिमी बंगाल को अधिक अन्न मिलता है ? यदि नहीं, तो उन प्रदेशों को कितना अन्न मिलता है और वहां कितनी सस्ते गल्ले की दुकानें चल रही हैं, उसकी मात्रा तथा संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

**३—श्री गेंदासिंह—क्या न्याय मंत्री राज्य तथा केंद्रीय सरकार के उस पत्र-व्यवहार की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे जो अन्न संबंधी हुआ है ?

ी लक्ष्मीरमण आचार्य—जनहित में यह उचित न होगा।

श्री गेंदासिंह—यह मासिक कोटा जो पिछले ३ महीनों में केंद्रीय सरकार से मांगा गया है वह क्या है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—१५ हजार टन उन्होंने कबाल टाउन्स के लिये दिया है और ३५ हजार टन बाकी और शहरों और रूरल एरिया के लिये दिया है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय अन्न मंत्री जी को यह स्मरण है कि ३,४ महीने हुये इसी सदन में उन्होंने यह कहा था कि उन बातों को ध्यान में रखकर प्रदेशीय सरकार केंद्रीय सरकार से मांग करती है जो कि बिहार, केरल या पश्चिमी बंगाल की सरकारें अपने यहां दुकानों की संख्या और आवश्यकता को देखकर करती हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—जो अन्न की मांग इन सूबों की होती है वह जिस प्रकार से अखबारों में छपा करती है वह तो हमको मालूम है कि वह कितनी है। इसके अलावा कोई इसकी इत्तिला सरकारी तौर पर केंद्रीय सरकार से हम नहीं मांगते हैं और न वह भेजते हैं।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय खाद्य मंत्री क केंद्रीय सरकार के खाद्य मंत्री से इस प्रश्न पर विचार हुआ है कि दूसरी जगह की कितनी जन-संख्या भूख से प्रभावित है और उत्तर प्रदेश की कितनी जन-संख्या भूख से प्रभावित है और इसको ध्यान में रखकर अन्न दिया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर---मेरे खयाल में इस मांग की जो बुनियाद होती है वह अपने अपने सूबे की आवश्यकता को सामने रखकर की जाती है। यह नहीं देखा जाता कि दूसरे सूबे ने ज्यादा मांग की तो हम भी ज्यादा मांग करें या कम मांगा तो कम मांग करें। अपनी आवश्यकता को देखकर और यह भी समझकर कि केंद्रीय सरकार की भी एक हद मुअइन है हम लोग मांग करते हैं। इसके ऊपर २ दफा अन्न मंत्री जो केंद्रीय सरकार के हैं उनसे बातचीत हुई है। हमारे अफसर भी बराबर जाते रहते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, सब बातचीत करने के बाद यह बातें तय होती है।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उत्तर प्रदेश में कितनी जन-संख्या अभाव ग्रस्त है ?

श्री सैयद अली जहीर---जहां तक अभाव-ग्रस्त का सवाल है इस वक्त यह समझा जाता है कि खाने के लिये बांदा, मिर्जापुर और इलाहाबाद इन तीन जिलों में स्केयरसिटी और फैमिन की कंडीशन पैदा हो गई थी और जगहों पर तो कीमत बढ़ गई। वहां के लिये यह नहीं कहा जा सकता है कि कहीं स्केयरसिटी है या फैमिन की कंडीशन है।

श्री गेंदासिंह---मिर्जापुर, बांदा और इलाहाबाद से भी अधिक संख्या में दुकानें जिन जिलों में खोली गई हैं उन जिलों के बारे में सरकार केंद्रीय सरकार से क्या कहती है ? उनको अभावग्रस्त कहती है या कुछ और ?

श्री सैयद अली जहीर---जहां तक अभावग्रस्त का सवाल है उसकी तो एक तारीफ है और जहां पर अनाज की कीमत बढ़ जाय या और किसी वजह से कोई मुसीबत आ जाय, जैसे फ्लड आ जाय या और तकलीफ हो तो उसके लिये इन्तजाम करना तो दूसरा सवाल है। और जगह जहां पर हम मदद दे रहे हैं वहां पर यह कहना कि स्केयरसिटी की कंडीशन है लिटरल सेंस में---मुमकिन है कि कुछ खास-खास पाकेट्स में कहीं वहां पर हो, लेकिन पूरे जिले में या कहीं और स्केयरसिटी की कंडीशन नहीं कही जा सकती।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि गोरखपुर और बनारस डिवीजन के जितने जिले हैं उनको क्या वह अभाव ग्रस्त जिले मान कर सस्ते गल्ले की दूकानें वहां दे रहे हैं और सहायता दे रहे हैं या वह कुछ अन्य समझ कर सहायता दे रहे हैं ?

श्री सैयदअली जहीर---जहां तक अभाव-ग्रस्त जिलों को तय करने की बात है वह हमारा रेवेन्यू विभाग तय करता है। हम तो जहां जहां आवश्यकता होती है और जहां मांग होती है और जो सहूलियतें हम वहां की जनता को उनकी तकलीफों को देखते हुये पहुंचा सकते हैं, उसकी कोशिश अन्न विभाग से की जाती है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पूर्वी क्षेत्र में कौन-कौन से ऐसे पाकेट हैं कि जो माननीय मंत्री जी की परिभाषा के अनुसार अभाव-ग्रस्त क्षेत्र में आते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---मैंने अर्ज किया कि इसका फैसला रेवेन्यू विभाग करता है कि कहां पर स्केयरसिटी है और कहां पर नहीं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि केंद्रीय सरकार से कोटा प्रदान किया जाता है वह-जनसंख्या के आधार पर प्रदान किया जाता है या उपलब्ध खाद्यान्न के आधार पर प्रदान किया जाता है ?

श्री सैयद अली जहीर--वह तो आवश्यकता के आधार पर प्रदान होता है।

श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सेंटर से केवल अन्न ही प्राप्त होता है या आटा और मैदा की शकल में भी सहायता मिलती है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं, अभी तक सिर्फ अन्न और वह भी गेहूं की शक्ल में मिलता था और कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अभी, जब से हमने रोलर फ्लोर मिल को रोका है कि वह वहां का अनाज न पीसे उसके बाद जो अन्न उनको मिलेगा वह हमको आटे की शक्ल में मिलेगा और उसे हम तकसीम करेंगे।

श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि खाद्य समस्या बुलेटिन जो कल बटी थी उसमें अभाव-ग्रस्त क्षेत्र में इलाहाबाद, बांदा और फतेहपुर का नाम है ? तो क्या फतेहपुर उस परिभाषा में आता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--फतेहपुर शामिल नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस पत्र-व्यवहार को सदन की मेज पर रखना जन-हित में क्यों नहीं है ?

श्री सैयद अली जहीर--उसकी वजह कोई नहीं बतलायी जा सकती। यह मुनासिब नहीं होता कि जो प्रांविशियल और सेंट्रल गवर्नमेंट की करस्पांडेंस है उसे बिना दोनों की इजाजत के पब्लिश कर दिया जाय।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रेवेन्यू विभाग से कितने अन्न की आवश्यकता बतलायी गयी थी और उसमें कितना केंद्रीय सरकार से मिला और सरकार के पास कितना है ?

श्री सैयद अली जहीर--वह तो कल जो स्टेटमेंट निकला है उसमें कह दिया गया है कि करीब १ लाख टन के अनाज दिया गया है। यह या तो एलाट हो चुका है या चल चुका है या चलने वाला है।

देवरिया जिले में सस्ते अनाज की दुकानें बढ़ाने की प्रार्थना

४--श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया की प्रत्येक तहसील में माह जुलाई, १९५८ के पहले सस्ते गल्ले की दुकानों की संख्या क्या थी और जुलाई में कितनी दुकानें और बढ़ाई गई हैं और कहां कहां ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--देवरिया जिले की प्रत्येक तहसील में ३० जून तथा ३१ जुलाई, १९५८ में खुली हुई सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या निम्नलिखित है--

तहसील का नाम		खुली हुई दुकानों की संख्या	
		३० जून को	३१ जुलाई को
१--देवरिया सदर	..	६१	६१
२--सलेमपुर	..	५६	५६
३--पडरौना	..	६७	६९
४-- हाटा	..	६६	६६
	योग ..	२५०	२५२

जुलाई में पडरौना तहसील में २ दुकानें बढ़ाई गईं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे दो दुकानें किन-किन स्थानों पर बढ़ाई गईं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--नोटिस की आवश्यकता है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--सस्ते गल्ले की दुकानें जो बढ़ाई गयीं वे कल जो सूची दी थी उसके नक्शे नं० २ की लिस्ट नं० ३ पर लिखा है कि गोरखपुर रीजन के अभाव-ग्रस्त जिले जिनमें हैं आजमगढ़, बलिया, बस्ती, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, वाराणसी, गोंडा, बहराइच और मिर्जापुर। तो किस आधार पर ये सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जाती हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--मुमकिन है कि इनको इसलिये कहा गया हो कि यहां दुकानें खोली गई हैं, लिहाजा अभाव-ग्रस्त होंगे।

श्री अध्यक्ष--पहले का जो आपका स्टेटमेंट था उसे यह कंट्रेडिक्ट करता है। शब्दों का टैक्निकल यूज नहीं किया गया है।

श्री सैयद अली जहीर--जी हां।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, हम कैसे समझें कि किस जगह टैक्निकल प्रयोग है ?

श्री अध्यक्ष--अभी हिन्दी के ऊपर प्रभुत्व काफी प्राप्त नहीं हुआ है। अंग्रेजी के शब्द ज्यादा उपयोग करने के हम लोग आदी रहे हैं इस कारण ऐसी गड़बड़ी होती है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या मंत्री जी बढ़ते हुये अन्न के भावों को देखते हुये तथा कमी को देखते हुये दुकानें बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां, हमारी कोशिश तो यह रहती है कि हम मांग को पूरा करें, लेकिन हमारी भी कुछ दिक्कतें हैं जिनकी वजह से बाज औकात जो हम चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं।

कार्ड पर सस्ता अनाज वितरण करने की व्यवस्था के लिये आदेश

**५--श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)--क्या न्याय मंत्री को यह ज्ञात है कि जब जुलाई, १९५८ में वह और केन्द्रीय खाद्य मंत्री इलाहाबाद पधारे थे तब उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि सस्ते गल्ले की दुकानों में गल्ला वितरण कराने के लिये कार्ड द्वारा लोगों को गल्ला वितरण किया जायेगा और उसकी देख-रेख करने के लिये प्रत्येक दुकान के लिये उसी मुहल्ले के लोगों की पंच-पांच आदमियों की कमेटी बना दी जायेगी ? यदि हां, तो वह व्यवस्था कब से चालू होगी ?

श्री सैयद अली जहीर--कार्ड पर गल्ला वितरण करने की व्यवस्था करने तथा उसकी देख-रेख के लिये प्रत्येक दुकान के लिये कमेटी बनाने के लिये आदेश दे दिये गये हैं। यह व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र चालू करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

बिजनौर जिले में सस्ते अनाज की दुकानों की कमी

**६--श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला बिजनौर में खाद्यान्न के अभावग्रस्त क्षेत्रों में अभी तक सरकारी सस्ते अनाज की कितनी दुकानें खोली गई हैं ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जिला बिजनौर में सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने के आदेश दे दिये गये हैं जिनकी संख्या तथा स्थान निम्नलिखित है :

				दुकानें
बिजनौर (शहर)	..	..	..	४
नजीबाबाद	..	..	..	३
योग			..	७

श्रीमती चन्द्रावती---क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि बिजनौर के अन्नदाता अधिकारी द्वारा कितनी दुकानों की और किन-किन स्थानों के लिये मांग की गई थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसकी इत्तला इस समय नहीं है ।

श्रीमती चन्द्रावती---क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिये भी कुछ सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के खोलने की व्यवस्था करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर---इस वक्त तो यह इरादा नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला बिजनौर में कौन से क्षेत्र अभाव-ग्रस्त हैं ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने बतला दिया है कि टैक्निकल डर्म है, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

श्रीमती चन्द्रावती---माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि सस्ते गल्ले की दुकान खोलने का आधार जन-संख्या है या अफसरों की मांग है ?

श्री सैयद अली जहीर---यह तो मैंने बतलाया कि आवश्यकता और हमारे रिसोर्सेज देखे जाते हैं ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---जिन आवश्यकताओं के आधार पर ये दुकानें खोली जा रही हैं, तो कल की सूची के पेज ७, पैरा ३ के मुताबिक मेरठ और बरेली में आइडेंटिटी कार्ड की योजना सरकार के सामने क्यों है ?

श्री अध्यक्ष---कल के उत्तर से विरोधाभास प्रतीत होता था इस कारण पहले प्रश्न की मैंने इजाजत दे दी थी । अब इस तरह से कल के प्रश्नों के ब्योरे में जाकर पूछने की मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आपने मेरे प्रश्न की, ३२ नियम के किस उप-नियम के अनुसार, इजाजत नहीं दी है ।

श्री अध्यक्ष---मैं कोई कारण न भी बताते हुये इजाजत नहीं दे सकता हूं । एक बार वह प्रश्न पूछ चुके हैं कि अभाव-ग्रस्त क्षेत्र कौन से हैं । उन्होंने बतलाया कि तीन हैं शायद बांदा, मिर्जापुर और इलाहाबाद के नाम उन्होंने लिये । बिजनौर उसमें नहीं आता है । बाकी जिलों के लिये गेंदासिंह जी ने प्रश्न पूछा और उन्होंने कहा कि हम इनको अभाव-ग्रस्त नहीं मानते हैं । ब्रजनारायण तिवारी जी ने कन्ट्राडिक्शन बतला दिया कि कल के प्रश्नों के उत्तरों में जिला गोरखपुर के सम्बन्ध में अभाव-ग्रस्त शब्द मंत्री जी ने लिखा है । उसके लिये उन्होंने जवाब दिया है कि कल के उत्तरों में उसका टैक्निकल प्रयोग नहीं हुआ था । अब आप उसी चीज को रगड़ना चाहते हैं और बार-बार कन्ट्राडिक्शन को सामने लाना चाहते हैं यह पूछ कर कि बिजनौर में अभाव-ग्रस्त क्षेत्र कौन से हैं । जब बात स्पष्ट हो गई है तो उसके दुहराने की अब जरूरत नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--जिला बिजनौर में दुकानें खोलने के आदेश कब जारी किये गये ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इस समय मेरे पास तिथि की सूचना नहीं है ।

श्री उग्रसेन--क्या मंत्री जी का जिला बिजनौर के जिलाधीश को आदेश गया था कि वे जितनी दुकानों की जरूरत समझें उतनी खोल लें ?

श्री सैयद अली जहीर--नहीं, यहां से आर्डर गया था कि जहां दुकानें मंजूर हुई हैं वे खोल सकते हैं, यह नहीं कहा गया था कि जितनी आप चाहें खोल सकते हैं ।

श्रीमती चन्द्रावती--क्या बिजनौर में इन दो दुकानों के अलावा और भी सस्ते गल्ले की दुकानों की व्यवस्था है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं, इस वक्त तो नहीं है ।

सहारनपुर में सस्ते अनाज की दुकान पर भीड़ में गिरने से अल्लारखी बुढ़िया की मृत्यु

**७--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि अभी हाल ही में सहारनपुर शहर में एक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से गल्ला खरीदने की कोशिश करते हुये इतनी भीड़ एकदम हो गई कि एक बुढ़िया कुचल कर मर गई व कुछ व्यक्ति घायल हो गये ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इस सम्बन्ध में शासन को पूरी सूचना नहीं है । रिपोर्ट मांगी गई है और उसके आने पर पूरी सूचना उपलब्ध की जायगी ।

**८--श्री नारायणदत्त तिवारी--इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मुहल्ला कमेटियां बना दी गई हैं जिससे भविष्य में ऐसी कोई घटना होने की सम्भावना नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मन्त्री जी जितनी सूचना उन्हें उपलब्ध है वही बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां, रिपोर्ट आ गई है और मैं पूरी सूचना देता हूं । एक श्रीमती अल्लारखी थीं जो मंजूर अहमद की बीवी थीं । इनकी उम्र ९० वर्ष की थी । २३-७-५८ को एक दुकान थी जहां सस्ता गल्ला बिकता था, मुहम्मद यूनस की । वहां तीन कतारों में औरतें जमा हो गईं और ३ कतारों में मर्द जमा हो गये । और हालांकि वह तारीख वह थी जिस तारीख को कोई अनाज बिकने वाला नहीं था । वहां पर नोटिस लगा हुआ था कि आज वह दिन है जिस दिन स्टाक चेक करना होगा और अनाज तकसीम नहीं होगा । उस भीड़ में यह बुढ़िया भी जाकर खड़ी हो गयी । वहां वह गिर पड़ी, गिरने की वजह से उसको चोट आ गयी । लोगों ने उसको उठाकर खड़ा कर दिया । वहां गुलाम शब्बीर नाम का एक कांस्टेबिल भी गल्ला खरीदने आया था । उसने उसको संभाला और उसके घर पहुंचा दिया । वहां आध घन्टे के बाद उसका देहान्त हो गया । बहरहाल उसका देहान्त वहां पर नहीं हुआ । उसके अपने घर पहुंचने के बाद हुआ और वह भी किसी खास ऐक्सीडेंट की वजह से नहीं । उसके बाद पंचानामा हुआ कि उसकी मृत्यु गिर कर हुई ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उनकी रिपोर्ट में इस प्रकार का भी कोई उद्धरण है कि ९० साल की वह बुढ़िया कैसे गिरी, धक्का खाकर गिरी या और किसी कारण से ?

श्री सैयद अली जहीर---उसमें इतना ही लिखा है "दि ओल्ड लेडी कुड नाट मेनटेन बैलेंस ऐण्ड फेल डाउन"। (The old lady could not maintain balance and fell down.)

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बुढ़िया कैसे बैलेंस मेनटेन नहीं कर सकी और घर से वहां तक चली आयी ?

श्री सैयद अली जहीर---इसकी तहकीकात करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वह तो मर ही गयी। वहां मजमा था, परेशान होकर गिर गयी होगी या किसी का झटका लगा होगा उससे गिर गयी होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों की भी जांच करायेंगे कि जिस दिन राशन की दूकान खुलने वाली नहीं थी, ६ कतारों में भीड़ कैसे इकट्ठा हो गयी थी ?

श्री सैयद अली जहीर---मैं तो यही समझता हूं कि वह गलतफहमी की वजह से हो गयी थी कि राशन बावजूद उस तरह नोटिस बोर्ड पर लिखे होने के भी बंटेगा।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि दूकानदार ने २४ घंटे पहले इस बात की सूचना डोंडी पिटवा कर करा दी थी गल्ले का स्टाक चेकिंग होगा, इसलिये दुकान नहीं खुलेगी ?

श्री सैयद अली जहीर---यह तो मालूम नहीं, लेकिन मोटे शब्दों में दुकान पर लिखा हुआ था कि गल्ला नहीं मिलेगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बुढ़िया जो गिर गयी उसको कहीं चोट भी आयी थी ?

श्री सैयद अली जहीर---रिपोर्ट से तो मालूम होता है कि चोट नहीं लगी थी।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री जी इस बुढ़िया की मृत्यु को नोटिस मान कर दुकान बढ़ाने की चेष्टा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर---दुकान बढ़ाने का सवाल नहीं है क्योंकि अब ५ आदमियों की मुहल्ला कमेटी बन गयी है और उसके कनवीनर द्वारा पर्चियां बांट दी जाती हैं। जिनको पर्चियां मिलती हैं उनको ही केवल ३ सेर अनाज मिलता है और उसके बाद जब दोबारा नम्बर आता है, तब अनाज ले सकते हैं। इस वजह से वहां मजमा नहीं हो पाता।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उन्होंने गल्ला कमेटी को यह काम भी सुपुर्द किया है कि भीड़ को वह नियंत्रण में करे ?

श्री सैयद अली जहीर---बात यह है कि जब गल्ला कमेटी नियंत्रण कर देगी तो भीड़ ही इकट्ठा न हो पायेगी।

यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ के अन्तर्गत लागू सम्पत्ति तथा हैसियत टैक्स समाप्त करने की प्रार्थना

****९---श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव** (जिला आजमगढ़)---स्वायत्त शासन मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या अंतरिम जिला परिषदों की स्थापना हो जाने के कारण यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ऐक्ट, १९२२ के अन्तर्गत लगने वाले सम्पत्ति तथा हैसियत टैक्स (Circumstance and Property Tax) को समाप्त करने का फैसला सरकार ने किया है ? यदि हां, तो उक्त फैसला कब से लागू किया जायगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा-सचिव (श्री राम स्वरूप यादव)--ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया है ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--नहीं, इस प्रश्न पर विचार भी नहीं हो रहा है ।

श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार को ज्ञात है कि जनता को पंचायत और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दो टैक्सों को देना पड़ता है ? क्या सरकार इसको खत्म करने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने इसका जवाब दे दिया है ।

गन्ना मूल्य से संबंधित विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार के पास न भेजने पर आपत्ति

**१०--श्री गेंदासिंह--क्या मुख्य मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि विधान सभा की गत २५ जुलाई, १९५८ की बैठक में गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास हुआ था कि गन्ने का मूल्य प्रतिमन १।।।) (एक रुपया बारह आना) किया जाय, सरकार उसका आदर करते हुये उस पर कार्यवाही करने जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--केन्द्रीय सरकार द्वारा सामान्यतया आने-वाले सीजन से अगले सीजन के गन्ने का मूल्य पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है अतएव १९५९-६० सीजन के लिये जब प्रदेश सरकार से राय मांगी जायगी तो उस समय सभी बातों के साथ-साथ सदन के इस मत को भी ध्यान में रखते हुये केन्द्रीय सरकार को उचित सम्मति भेज दी जायेगी ।

**११--श्री गेंदासिंह--क्या उक्त प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि गत सीजन में जो गन्ना पेरा जा चुका है उसकी भी कीमत १।।।) प्रति मन दिलाया जाय ? क्या उस पर भी सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक १९५७-५८ सीजन में पेरे गये गन्ने का मूल्य १ रुपया १२ आना प्रतिमन की दर से दिलाने का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार को इस सुझाव को भेजने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि गन्ने का दाम एक साल पहले ही निर्धारित कर दिया गया था और उसी दाम पर गन्ना कारखानों को दिया जा चुका है ।

**१२--श्री गेंदासिंह--क्या कोई फार्मूला हाल में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है जिसमें गन्ने का अधिक मूल्य दिलाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो क्या उसकी प्रतिलिपि सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, इस फार्मूले की प्रतिलिपि संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८७-८९ पर)

श्री गेंदासिंह--जो प्रस्ताव २५ तारीख को पास हुआ, उसकी सूचना क्या अभी तक केन्द्रीय सरकार को सरकार ने नहीं भेजा ? और क्या उसका इरादा यह है कि जब तक केन्द्रीय सरकार उनसे न पूछे तब तक इस विधान सभा के प्रस्ताव की सूचना केन्द्रीय सरकार को नहीं दी जायगी ?

उद्योग उप मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--चूंकि अगस्त सितम्बर के लगभग इसी टाइम में उनका यह बोर्ड बैठता है जब कि सिफारिशें जाती हैं, तो उसी के साथ भेज दिया जायगा, यही उचित रहेगा क्योंकि उसी के साथ भेजना मुनासिब है ।

श्री गेंदा सिंह---क्या यह जो प्रस्ताव में 'उसका आदर करते हुए' शब्द लिखा हुआ है, विधान सभा के निर्णय का, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस विचार को स्वीकार करेगी कि इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि कम से कम केन्द्रीय सरकार को भेज दी जाय ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---वह तो जायगा केन्द्रीय सरकार के पास, मगर उसकी सम्मति के साथ जाय तो बेहतर रहेगा, इसलिये आदर और ज्यादा बढ़ जायगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार को इस पार्लामेंटरी पद्धति का पता है कि सदन में प्रस्ताव पारित होते ही उस पर अविलम्ब कार्यवाही होना आवश्यक है और इस हिसाब से उसे अबतक केंद्रीय सरकार के पास चला जाना चाहिये था ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह ठीक है, अभी असेम्बली डिपार्टमेंट से पहुंचा है और तुरन्त यह प्रश्न भी हो गया । उचित समझा गया कि यदि इसको उसके साथ ही भेजा जाय तो अच्छा रहेगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके पास प्रस्ताव असेम्बली डिपार्टमेंट से कब पहुंचा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---ठीक डेट के लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री गेंदासिंह---जिस बोर्ड की चर्चा माननीय मंत्री जी ने की, क्या इसकी कोई बैठक होने जा रही है ? यदि होने जा रही है तो कब ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---गवर्नमेंट आफ इंडिया से अगर यह आ जाय कि आप बैठें तो फौरन ही उसको बुला लिया जायगा ।

श्री गेंदासिंह---जब तक गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से इस तरह बोर्ड की मीटिंग बुलाने की इजाजत न हो तब तक क्या यह विधान सभा का प्रस्ताव नहीं भेजा जायगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---क्यों नहीं भेजा जायगा, अगर हाल में बैठक नहीं हुई तो सितम्बर में तो जरूर भेजा जायगा ।

नौगढ़ तहसील के सामने क्षुधापीड़ित प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत

**१३---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में २२ जुलाई, सन् १९५८ को जिस समय वहां की भूख से पीड़ित जनता ने तहसील के सामने अपनी मांग रक्खी उस समय वहां के अधिकारियों ने लाठी चार्ज किया ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)---जी नहीं, उक्त दिन नौगढ़ तहसील के सामने प्रदर्शनकारियों पर कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया ।

**१४---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या यह सही है कि वहां के एक बार १२-३० बजे से लेकर १ बजे तक तथा दूसरी बार ३ बजे से लेकर ३-३० बजे तक लाठी चार्ज किया गया ? यदि हां, तो उसमें कितने लोग घायल हुये व कितने लोग पकड़े गये ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी नहीं, जैसा कि उपरोक्त प्रश्न के जवाब में कहा जा चुका है, कोई लाठी चार्ज प्रदर्शनकारियों पर नहीं किया गया । धारा १४४ भा० दं० सं० जो वहां लागू थी उसके अन्तर्गत १९ व्यक्ति पकड़े गये । कुछ प्रदर्शनकारियों ने एक दूसरे की कमर से पकड़ कर और जमीन में लेटकर हिरासत से बचने की कोशिश की । उनको उठाने तथा हिरासत में लेने में ३ व्यक्तियों के मामूली चोटें आईं ।

**१५--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या यह सही है कि पुलिस डी० एस० पी० तथा परगना हाकिम और तहसीलदार ने मय अपने स्टाफ के औरतों के बाल पकड़ कर घसीटे ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं, यह बात बिलकुल निराधार है। वस्तुस्थिति यह है कि २२-७-५८ को प्रदर्शनकारियों में कोई औरत थी ही नहीं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार को यह पता है कि बलिकरण नामक व्यक्ति जिसको लाठी चार्ज से चोट लगी जब वह डिस्पेंसरी में गया तो डाक्टर ने बतलाया कि उसके ६ इंच से साढ़े ३ इंच तक के ब्रूजेज हैं ? यदि चोट नहीं लगी थी तो ये ब्रूजेज कहां से हुए ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--ऐसी कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या मंत्री जी को मैंने स्वयं उस मेडिकल रिपोर्ट की कापी अपने पत्र के साथ ३० जुलाई को भेजी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मेरी निगाह से अभी ऐसा कोई पत्र नहीं गुजरा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--३० जुलाई को पत्र भेजा था और मंत्री जी की तरफ से प्यून बुक पर वह १२ बजे रिसीव किया गया। तो क्या माननीय मंत्री जी कृपया उस पत्र के सम्बन्ध में अपने कार्यालय में पूछेंगे और उसे देखने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, सूचना मिली है तो अवश्य देखने की कृपा करूंगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--सरकार की ओर से कहा गया कि २२ जुलाई को स्त्रियां नहीं थीं, लेकिन श्रीमती मेहरा २२ जुलाई को उस प्रदर्शन में थीं और क्या डी० एस० पी० व तहसीलदार ने उनको बाल से पकड़ कर घसीटा था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह बात गलत है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या यह बात सही है कि प्रदर्शन के वक्त तहसील से बहुत दूर लुम्बनी नौगढ़ मोटर सड़क पर जो लोग आ रहे थे उनको भी पीटा गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह भी गलत है।

श्री उग्रसेन--कौन सी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी जिससे जिला अधिकारियों को दफा १४४ फौरन लगानी पड़ी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--घेरा डालो आन्दोलन चलाने की चेष्टा की गई। स्वयं जनसंघ के नेता १० तारीख को नौगढ़ गये थे और उन्होंने 'घेरा डालो' आन्दोलन की घोषणा की। २१ तारीख से 'घेरा डालो' आन्दोलन शुरू हुआ, तहसील घेरी गयी और काम करने में बाधा डाली गयी और इस प्रकार जब कार्यवाही की गयी तो सरकार उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करेगी ही।

श्री बलदेव सिंह--मंत्री महोदय किस अधिकारी की जांच के आधार पर यह उत्तर दे रहे हैं कि यह निराधार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वहां के जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या मन्त्री महोदय को पता है कि स्थानीय एस० डी० ओ० महाशय ने वहां के प्रेस करेस्पांडेंट्स के पास घूम कर इस बात की प्रार्थना की कि इस समाचार को अभी नहीं जाने देना चाहिये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसी कोई सूचना मुझे नहीं है। पर इस प्रकार की बहुत सी सूचनाएं मिली हैं कि कहां-कहां से किस प्रकार की प्रार्थनाएं की गयीं।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)---क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत थी उन्हीं अधिकारियों से जांच करायी गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से मेरे पास रिपोर्ट आई है ।

श्री गेंदासिंह---इस दुर्घटना के बाद अन्न विभाग के माननीय उपमन्त्री नौगढ़ गये थे तो उनकी जानकारी से भी क्या माननीय मन्त्री ने कोई फायदा उठाया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेरी जानकारी पूरी है ।

तारांकित प्रश्न

गोरखपुर वन विभाग में परिगणित तथा पिछड़ी जातियों के कर्मचारी

*१---श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गोरखपुर वन विभाग में रेंज क्लर्क, फारेस्टर, फारेस्ट गार्ड, रेंजर, प्लान्टेशन जमादार कितने हैं और उनमें कितने परिगणित जातियों और पिछड़ी जातियों के हैं और उनका वेतन क्रम क्या है ?

श्री सैयदअली जहीर---उत्तर नीचे दी गयी सूची में देखिये---

सूची

क्रम-संख्या	पद	कुल संख्या	परगिणित जाति वालों की संख्या	पिछड़ी जाति वालों की संख्या	वेतन-क्रम
१	फारेस्ट रेंजर	११	१		१२०-८-२००-१०-३०० ।
२	फारेस्टर	२९	..	२	६०-३-९०-४-११०
३	रेंज क्लर्क	९	..		६०-३-९०-४-११०
४	फारेस्ट गार्ड	२५	२	९	२५-१-४०
५	प्लान्टेशन जमादार	२	१	१	३५-२-४५-८०रो०-३-६० ।

आनरेरी बेंच मैजिस्ट्रेट, पीलीभीत की अदालत का कथित मुआइना

*२---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ९ सितम्बर, १९५७ को जिलाधीश पीलीभीत ने पीलीभीत के आनरेरी बेंच मैजिस्ट्रेट्स की अदालत और उनके काम का कोई मुआइना (inspection) किया ? यदि हां, तो इनका काम किस प्रकार का पाया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

*३---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जनवरी, १९५६ से दिसम्बर १९५७ तक आनरेरी बेंच मैजिस्ट्रेट्स, पीलीभीत द्वारा फैसल किये गये मुकदमों में कितने रिवीजन्स (revisions) दायर किये गये और दायर किये गये रिवीजन्स में कितने रिवीजन्स मंजूर हुए ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—(क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि ९ सितम्बर, १९५७ के आस-पास जिलाधीश, पीलीभीत ने कोई मुआइना किया ? यदि हां तो उसका परिणाम क्या निकला ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जिलाधीश, पीलीभीत ने कोई मुआइना नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या जिलाधीश, पीलीभीत को नियमानुसार यह आदेश है कि इतने समय के अन्दर वे बेंच मैजिस्ट्रेट्स की अदालत का मुआइना करें ? यदि हां, तो समय कितने के अन्दर ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, यह है कि जो नये रूल्स बने हैं उसमें रूल १४ यह है कि या तो जिलाधीश या सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट में से कोई न कोई एक दफा मुआइना करे। लेकिन इसकी तफसील उनसे पूछी नहीं गयी कि किसने मुआइना किया और कब किया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करेंगे कि जिलाधीश पीलीभीत या उनके किसी नामिनी ने सन् १९५७ में आनरेरी बेंच मैजिस्ट्रेट्स की अदालत का मुआइना किया या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, यह तो उनसे पूछा गया है पहले ही। अभी जवाब नहीं आया है।

आजमगढ़ जिले में पंचायत मंत्रियों के वर्गीकरण के लिये साक्षात्कार

*४—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाल में ऐसा कोई सरकारी आदेश निकाला गया है कि प्रदेश के समस्त जिलों में पंचायत के मन्त्रियों का जिले के पंचायत अधिकारियों द्वारा साक्षात्कार किया जाय और उन्हें योग्यतानुसार भिन्न-भिन्न श्रेणियों में रखा जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—पंचायत मंत्रियों का पंचायत अधिकारियों द्वारा साक्षात्कार किये जाने के सम्बन्ध में तो कोई सरकारी आदेश नहीं निकाला गया है परन्तु पंचायत मंत्रियों को उनके कार्य के आधार पर उन्हें भिन्न-भिन्न श्रेणियों में रखे जाने के सम्बन्ध में आदेश प्रसारित किये गये हैं।

*५—श्री मुक्तिनाथराय—यदि हां, तो वे निश्चित सरकारी आदेश क्या हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—आदेश की प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९० पर)

*६—श्री मुक्तिनाथ राय—यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि आजमगढ़ जिले में पंचायत के समस्त मंत्रियों का वहां के अधिकारियों द्वारा साक्षात्कार हुआ या होने वाला है ? इसका क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, आजमगढ़ जिले में अधिकारियों द्वारा यह आवश्यक समझा गया कि समस्त पंचायत मंत्रियों का साक्षात्कार किया जाय और उनकी योग्यतानुसार और कार्यक्षमता पर विचार करके वर्गीकरण किया जाय। अभी साक्षात्कार नहीं हुआ है परन्तु होने वाला है।

श्री मुक्तिनाथराय--संचालक के आदेश में साक्षात्कार का कहीं उल्लेख नहीं है। कार्य-स्तर पर विचार करने को कहा गया है। वह मन्त्रियों के गत वर्ष के कामों से देखा जा सकता है। तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ के अधिकारी ने आवश्यक समझा कि साक्षात्कार अवश्य किया जाय ? इसका क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव--संचालक की ओर से तो साक्षात्कार के लिये नहीं लिखा गया है, लेकिन वर्गीकरण के सम्बन्ध में वहां के अधिकारियों ने उचित समझा कि उनको बुलाकर भी देखा जाय कि वह किस वर्ग में रखे जायं। लेकिन यह आवश्यक है कि उनका जो कैरेक्टर रोल है और उनका जो काम रहा है उसका अवश्य ध्यान रखें।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मंत्रियों की कार्य-क्षमता आदि पर विचार करते समय सम्बन्धित प्रधानों एवं पंचों की भी राय ली जायगी या केवल अधिकारी ही इसको तय कर देंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसका तो अधिकारी ही वर्गीकरण करेंगे, लेकिन जब सर्विस बुक वगैरह का कोई इन्दराज होता है तो उसमें प्रधानों से भी उनके कार्य के बारे में पूछ लिया जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी उल्लिखित सरकारी आदेश के मुख्य-मुख्य तथ्य बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, कोई दिक्कत नहीं है। कहिये पढ़ दूं, कहिये पत्र उनके पास भेज दूं ?

श्री अध्यक्ष--मतलब यह है कि सबको उसमें दिलचस्पी नहीं होगी ....

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि उसके मुख्य-मुख्य तथ्य बतला दिये जायं।

श्री रामस्वरूप यादव--संचालक ने यह आदेश भेजा था कि इनके काम के आधार प इनके चार वर्ग बनाये जायं--ए, बी, सी और डी। जिसका काम सब से अच्छा हो, वह ए, उससे कम बी और सी और डी ऐसे थे जिनका काम संतोषजनक नहीं था। खासतौर से डी के बारे में ऐसे आदेश थे कि उनको नोटिस दे दिया जाय कि अगर उनका काम ठीक नहीं हुआ तो उनका कार्य समाप्त कर दिया जायगा।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार के पास आजमगढ़ जिले से ऐसी शिकायतें भी आई हैं कि उन पंचायत मन्त्रियों को जो खास करके सरकार के राजनीतिक पीड़ित हैं उनको विभाग से अलग कर देने के लिये जिला अधिकारियों द्वारा साक्षात्कार की योजना बनाई गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, इस प्रश्न से सम्बन्धित शिकायत का जो आवेदन-पत्र है वह मेरे पास नहीं है। इसलिये सूचना की आवश्यकता होगी।

*७-८--**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)--[१९ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*९-१०--**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)--[हटा दिये गये।]

*११--**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)--[हटा दिया गया।]

*१२--**श्री गनेशचन्द्र काछी**--[१९ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

बद्रीनाथ को टाउन एरिया बनाने करने की मांग

*१३--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसके पास बद्रीनाथ पुरी की जनता की कोई मांग आई है कि बद्रीनाथ पुरी को टाउन एरिया बना दिया जाय और क्या इस मांग के हेतु वहां का कोई शिष्ट-मण्डल स्वायत्त शासन मन्त्री से मिला था ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां, टाउन एरिया बनाने की मांग बद्रीनाथ के निवासियों से मार्च, १९५८ में प्राप्त हुई थी और उनका एक शिष्ट-मण्डल श्रम मंत्री जी से मिला था (विविध कारणों से टाउन एरिया तो नहीं बनाई जा सकी परन्तु वहां के स्थानीय सदस्यों की एक ऐडवाइजरी कमेटी बनाने का निश्चय हुआ है और इसके लिये आवश्यक कार्यवाही हो रही है।)

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार बतायेगी कि वह कौन से विशेष कारण हैं जिनकी वजह से वह बद्रीनाथपुरी को टाउन एरिया न बना सकी ?

श्री रामस्वरूप यादव--कारण तो यही है कि वहां पर ५ महीने कोई नहीं रहता और जो स्टाफ होगा वह ५ महीने किसी काम में नहीं लगाया जा सकेगा, खाली रहेगा। और न इतनी ज्यादा समस्याएं हैं जिनकी वजह से टाउन एरिया बनाया जाय।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार को पता है कि ऐसे भी टाउन एरियाज हैं जहां ५ महीने जाड़े में कोई नहीं रहता फिर भी अधिकारी रहते हैं और काम करते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--सम्भव है कोई टाउन एरिया ऐसा हो जहां ५ महीने कोई काम न रहता हो, लेकिन ऐसा टाउन एरिया कोई नहीं होगा जहां पर ५ महीने कोई रहता ही न हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मन्त्री जी इस बात को देखते हुए कि संसार में बहुत से ऐसे शहर हैं जहां ६ महीने कोई नहीं रहता फिर भी वह टाउन एरिया, म्युनिसिपल एरिया माने जाते हैं। क्या बद्रीनाथपुरी को एक्सेप्शन मानकर फिर से विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--आप संसार भर का प्रश्न सामने रख कर क्यों पूछ रहे हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--मन्त्री जी बद्रीनाथपुरी को एक्सेप्शन मानकर और इस बात को देखते हुए कि वहां ५ महीने के अलावा ७ महीने काफी जन संख्या रहती है उसको टाउन एरिया बनायेंगे ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--ऐसे बहुत से सम्पन्न देश हो सकते हैं जहां ऐसा होगा। हमारे गरीब देश में यह चीज मुमकिन नहीं है।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--क्या यह सच है कि बद्रीनाथ के उत्तर में भी कुछ ऐसे गांव हैं जिनमें पंचायतें कायम हैं और ६, ७ महीने तक बन्द रहती हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, उनमें कोई स्थायी नौकर नहीं रखा जाता है, वह सब चले आते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार बतायेगी कि गरीब सरकार को बद्रीनाथपुरी को टाउन एरिया बनाने में कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इस समय हिसाब नहीं है। टाउन एरिया का खर्चा वहीं की जनता देती है, सरकार को देने का सवाल नहीं उठता।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि बद्रीनाथ टाउन में जो ऐडवाइजरी कमेटी बनाई गई है उसका क्या कर्त्तव्य और अधिकार है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये बनाई गई है ।

*१४--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--[हटा दिया गया ।]

निर्धनों को कानूनी सहायता देने की स्कीम पर विचार

*१५--श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने निर्धनों की कानूनी सहायता हेतु कोई स्कीम राज्य सरकार से मांगी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--भारत सरकार ने राज्य सरकार से इस विषय में लिखा-पढ़ी की है परन्तु कोई स्कीम नहीं मांगी है । पर राज्य सरकार इस सम्बन्ध में स्कीम बनाने का विचार कर रही है ।

*१६--श्री गनेशीलाल चौधरी--यदि हां, तो वह स्कीम क्या है और भारत सरकार को भेज दी गयी है या नहीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो आपने लिखा पढ़ी की है उसका अब तक क्या नतीजा हुआ है ?

श्री सैयद अली जहीर--वह तो दूसरे सवाल के जवाब में लिख दिया गया है कि हम एक स्कीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो स्कीम सरकार बना रही है यह कब तक बन कर तैयार हो जायगी ?

श्री सैयद अली जहीर--मैं कोई वक्त तो निर्धारित नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश है कि जल्दी बन जाय ।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मन्त्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे जैसी कि दूसरे प्रान्तों में वकीलों के बैन्कर्स हैं गरीबों की सहायता के लिये ?

श्री सैयद अली जहीर--जो कुछ वह कह रहे हैं वही मुझे तसलीम नहीं है कि दूसरे सूबों में ऐसी कोई कमेटियां बनी हैं और इस तरह की मदद कर रही हैं ।

*१७--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--[हटा दिया गया ।]

जौनपुर ज़िले में ग्राम समाज पेनल लाइयर्स के वकील तथा मुख्तार

*१८--कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जौनपुर जिले के ग्राम समाज पैनल लाइयर्स में कितने वकील तथा कितन मुख्तार हैं तथा उनको कितना-कितना मेहनताना दिया जाता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जौनपुर जिले के ७ ग्राम समाज पैनल लाइयर्स में ३ मुख्तार १ रेवेन्यू एजेन्ट तथा ३ वकील हैं । उनका मेहनताना अन्य सरकारी वकीलों की भांति सिविल मुकदमों में जनरल रूल्स (सिविल) १९५७, सिविल कोर्ट, वालूम (volume) १ में दिये हुये नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है । रेवेन्यू कोर्ट के मुकदमों में इनकी फीस रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल, चैप्टर आठ, में दिये हुए नियमों के अनुसार दी जाती है । इनकी न्यूनतम फीस ५ रुपये निर्धारित की गई है ।

*१९--कुंवर श्रीपालसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि उपर्युक्त लोगों की नियुक्ति कब हुई तथा अब तक उन्हें कुल कितना मेहनताना दिया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इन पैनल लाइयर्स की नियुक्ति का सरकारी आदेश २१ जून, १९५८ को जारी कर दिया गया है। अब तक दिये गये कुल मेहनताने की रकम मालूम करने में जो खर्च तथा श्रम लगेगा वह परिणाम से संगत न होगा। इसके अतिरिक्त इस सूचना का देना जनहित में ठीक नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनकी फीस की रकम का बताना किस प्रकार से जनहित के विरुद्ध है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जहां तक कि फीस का प्रश्न है जैसा कि उत्तर में लिखा है कि अव्वल तो पता लगाना ही मुश्किल है और अगर पता लग भी जाय तो उसमें कितनी नई चीजें पैदा होंगी कि कितनी अधिक फीस किसको दी गई और कम होगी तो उसकी भी शिकायत होगी और हमारे मित्र कहेंगे कि इस सम्बन्ध में कदम उठाया जाय। इसलिये यह जनहित में न होगा कि यह चीज बतायी जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--यह जो फीस की रकम है इसका बजट में प्राविजन होता है और बजट में कोई ऐसी सूचना नहीं होती कि जिसको छिपाना जरूरी है, तो फिर क्या दिक्कत है?

श्री सैयद अली जहीर--आप अलग-अलग चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से वह चाहते है सूचना इकट्ठी नहीं की गई और बजट में तो स्लैब के हिसाब से वह सब चीज रखी जाती है यह ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक एमाउण्ट बताना जनहित में न होगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि यह स्कीम सन् १९५० से चल रही है और प्रश्न करने के बाद उसको रेगुलेराइज किया गया है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं कि मंत्री जी ने यह उत्तर दिया कि किसको कितनी फीस दी गई, यह बताना जनहित में नहीं है तो जो बजट में दिखाया जाता है कि यह फीस पेनल लाइयर्स के लिये निश्चित की जाती है उसके संबंध में ऐसा उत्तर देना कहां तक वांछनीय है?

श्री अध्यक्ष--वह जो उत्तर दें उसके लिये तो मैं कोई मापदण्ड निश्चित नहीं कर सकता, गलत या सही वह जानें। पहली बात जो उन्होंने कही वह तो ठीक ही है कि सूचना के इकट्ठा करने में जो मेहनत होगी वह ज्यादा होगी....

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं भविष्य के बारे में कह रहा हूं कि इस प्रकार की चीज जो लेजिस्लेचर के सामने डिटेल में आती है उसके बारे में श्रीमन्, आप व्यवस्था कर दें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष--मैं व्यवस्था नहीं कर सकता हूं। मैं उनको किस प्रकार का उत्तर दें इसके लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, उनको पूरी तरह से तैयारी करके आना चाहिए। वह कभी यह भी कह सकते हैं कि नारायणदत्त जी का अस्तित्व ही जनहित की दृष्टि से लाभदायक नहीं है। अगर आप इसकी इजाजत देंगे तो.....

श्री अध्यक्ष--मैं आपको बधाई देता हूं कि आप भी ह्यूमर रखते हैं।

आगरे में भूमिगत मल प्रणालों की योजना पर व्यय

*२०--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा में जो जमींदोज नाली डालने की योजना है वह कब प्रारम्भ हुई थी, उसमें अब तक कितना रुपया लग चुका है और अब यह कार्य कब से बन्द पड़ा है? यह योजना प्रारम्भ में कितने की थी और उसमें अब कितना रुपया लगगा?

श्री रामस्वरूप यादव---आगरा में भूमिगत मलप्रणाली (underground sewer) का कार्य, जो कि आगरा जल निकासी योजना का एक अंग है, सन् १९४९ में प्रारम्भ हुआ था। इस योजना में अब तक लगभग ४९,८९,५०७ रुपये व्यय हो चुके हैं। यह कार्य बन्द नहीं पड़ा है, वरन् धनाभाव के कारण इस कार्य की प्रगति धीमी है। यह योजना सन् १९४५ में २३,३१,५५७ रुपये की बनी थी जो बाद में संशोधित होकर ७३.५४ लाख रुपये की हो गई है। इस धनराशि से यदि मजदूरी और सामान की दरों में कोई असाधारण वृद्धि न हुई, तो कार्य पूरा हो जायगा।

*२१---श्री देवकीनन्दन विभव---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस बने हुये नाले में बहुत से स्थानों पर टूट-फूट हो गई है और उसमें मिट्टी, कचरा भर गया है? क्या सरकार कृपया यह अनुमान बतायेगी कि उसे फिर काम में लाने के लिये कितना व्यय करना होगा?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं, जिन भूमिगत मलप्रणालों (under ground sewer) का निर्माण इस योजना के अन्तर्गत हुआ है वे सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं। मल प्रणालों में मिट्टी, कचरा इत्यादि गंदा पानी बहने के कारण भर जाता है जिससे समय-समय पर इनकी सफाई का कार्य अथवा रखरखाव (maintenance) आवश्यकतानुसार होता रहता है। अतः इसके लिए अतिरिक्त धन व्यय करने का प्रश्न नहीं उठता।

*२२---श्री देवकीनन्दन विभव---क्या आगरा नगरपालिका ने सरकार से इस योजना को पूरा करने के लिये किसी ऋण की मांग की है?

श्री रामस्वरूप यादव---नगरपालिका, आगरा ने इस योजना को पूरा करने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष (१९५८-५९) में ७ लाख रुपये के ऋण की मांग सरकार को भेजी है।

श्री देवकी नन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस मूल योजना में कितना समय लगने वाला था और वे क्या कारण हुए जिनसे कि ३० लाख की जो योजना थी वह ७३ लाख की हो गयी?

श्री राम स्वरूप यादव---मैंने तो उत्तर में, श्रीमन्, निवेदन किया कि सन् १९४५ में जो योजना बनी थी उसमें बाद में कुछ भाव में फर्क आया। सिवर लाइंस जो पड़ीं उनमें खर्चा ज्यादा पड़ा। समय अवश्य ज्यादा लग गया है, लेकिन उसका कारण यही था कि पूरा धन पर्याप्त नहीं था जिससे कि वह योजना पूरी हो सके।

श्री देवकीनन्दन विभव---माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस योजना का कौन सा भाग कार्य रूप में चालू हो गया है और क्या आगरा में फ्लश की व्यवस्था हो गयी?

श्री रामस्वरूप यादव---अभी फ्लश की व्यवस्था तो नहीं हुई है, लेकिन जो सिवर्स पड़ चुकी हैं उनमें से कचड़ा आदि और घरों में बर्तन धोने का पानी आदि निकलने की व्यवस्था हो गयी है। पम्पिंग स्टेशन पर कार्य हो रहा है। पम्प लग रहे हैं, स्टेशन बन चुका है और साल भर में पम्पस फिट हो जायंगे और साल भर बाद मैं आशा करता हूं कि सिवरेज का कार्य भी पूरा हो जायगा।

श्री देवकीनन्दन विभव---माननीय मंत्री जी ने उत्तर में यह कहा है कि यह सुचारु रूप से काम कर रहे हैं। तो योजना का कौन सा भाग सुचारु रूप से काम कर रहा है?

श्री रामस्वरूप यादव---उससे मेरा यह आशय था कि नाइट स्वायल के लिए तो नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं, बल्कि जो घरों का पानी है वह उसमें से होकर आ रहा है।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह सिवर्स की सफाई कितनी बार करनी पड़ी है और उसमें अब तक कितना व्यय हो चुका है?

श्री रामस्वरूप यादव--वह तो आवश्यकतानुसार सफाई होती रही है, अलहदा इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ी, यह तो मैंने उत्तर में पहले भी बताया।

श्री अध्यक्ष--पंखे को ऐसी जगह हटा दें कि मेरे और किसी सदस्य के बीच में परदा न रहे। उसे इधर या उधर कर देना चाहिए।

*२३--श्री लक्ष्मणराव कदम--[हटा दिया गया।]

गोरखपुर नगरपालिका के निलम्बित कर्मचारी

*२४--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर नगरपालिका के कितने कर्मचारी इस समय मुअत्तल हैं तथा उनमें से कितनों को चार्जशीट नहीं दी गई है?

श्री रामस्वरूप यादव--इस समय नगरपालिका गोरखपुर के ११ कर्मचारी मुअत्तल हैं जिसमें से ५ को चार्जशीट नहीं दी गई।

*२५--श्री मदन पांडेय--कितने कर्मचारियों ने अभी तक चार्जशीट का उत्तर दिया है तथा उस पर विचार नहीं हुआ है?

श्री रामस्वरूप यादव--प्रश्न २४ के उत्तर में उल्लिखित ११ कर्मचारियों में से ६ को चार्ज शीट दिए गए थे जिनमें से दो कर्मचारियों ने चार्ज शीट का उत्तर दिया है जो विचाराधीन हैं।

*२६--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मई मास में गोरखपुर टाउन हाल में होने वाली नुमाइश से पालिका को कितना लाभ हुआ?

श्री रामस्वरूप यादव--कुछ नहीं।

श्री मदन पांडेय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन कर्मचारियों को चार्जशीट नहीं दी गई है, उन पर किस प्रकार के आरोप हैं और कितने दिनों से वे मुअत्तिल हैं?

श्री रामस्वरूप यादव--५ व्यक्तियों को चार्जशीट नहीं दी गई है उनमें से दो के खिलाफ तो अदालत सेशन में मुकद्दमा चल रहा है। एक पुलिस कस्टडी में है, एक के खिलाफ पुलिस तहकीकात कर रही है और एक १५ जुलाई को मुअत्तिल हुये हैं, उनको चार्जशीट नहीं दी गयी है।

श्री मदन पांडेय--श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष--उन्होंने उत्तर दे दिया है। आप दूसरा प्रश्न करके उसे अधिक स्पष्ट करा लें।

श्री मदन पांडेय--श्रीमन्, मैंने मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि जिनको चार्जशीट नहीं दी गई है, उनको मुअत्तल हुये कितने दिन हुये?

श्री रामस्वरूप यादव--वही तो मैंने बताया है कि दो के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, एक पुलिस कस्टडी में है, एक के खिलाफ पुलिस जांच कर रही है और एक १५ जुलाई को मुअत्तल हुये हैं।

श्री अध्यक्ष--आपने यह नहीं बताया है कि वह कब से मुअत्तल हुये बल्कि यह बताया कि उनके खिलाफ मुकद्दमा चल रहा है। वह चाहते हैं कि यह बताया जाय कि वह कब से मुअत्तल हुये हैं।

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, म्युनिसिपल बोर्ड गोरखपुर का सुपरसेशन मई १९५७ में हुआ है, लेकिन उनको चार्जशीट उस समय तक नहीं दी जा सकती है जब तक कि अदालत से मुकदमें का फैसला न हो जाय।

श्री मदन पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो लोग मुअत्तल किये गये हैं उनको एलाउन्स दिया जा रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो लोग मुअत्तल किये गये हैं और उनको चार्जशीट नहीं मिली है वह कितने दिनों से नौकरी कर रहे थे ?

श्री अध्यक्ष---इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं । बहुत सी चीजें उन्हें मालूम नहीं हैं । कब से नौकर हैं यह उन्हें मालूम नहीं हो सकता है ।

श्री देवनारायणसिंह वकील, बाराबंकी का डिप्लोमा जब्त करने का नोटिस

*२७---**श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल** (जिला गोंडा)---क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी के वकील श्री देवनारायणसिंह का डिप्लोमा जब्त होने का क्या आधार था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्री देवनारायणसिंह वकील का डिप्लोमा अभी जब्त नहीं हुआ है ।

*२८---**श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल**---किस आधार पर पुनः उन्हें वकालत करने की अनुमति मिली ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डिप्लोमा मुअत्तल किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो उसका कौन सा आधार था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---उसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज बाराबंकी द्वारा श्री देवनारायणसिंह वकील को ६ नवम्बर, १९५७ को एक नोटिस दिया गया था जिसके द्वारा उनके प्रोफेशनल मिसकांडक्ट के बारे में जवाब मांगा गया था। उन्होंने उत्तर दिया और १९५८ के लिये उनके डिप्लोमा का रिन्यूअल किया गया क्योंकि उस नोटिस में कुछ कमियां हाईकोर्ट द्वारा बताई गई थीं और कहा गया था कि दुबारा नोटिस दिया जाय । इसलिये १९५८ के लिये उसको रिन्यू कर दिया गया अब दुबारा कुछ कार्यवाही की जा सके इसके लिये प्रयत्न है और समय आने पर शायद कुछ हो सके ।

श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनका डिप्लोमा किस आधार पर बहाल किया गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, अभी बहाल तो नहीं किया गया है । अभी नोटिस दिया गया है इसलिये खारिज नहीं हुआ ।

दुगड्डा नगरपालिका में सीमेंट व चादर सम्बन्धी गबन

*२९---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार के पास जिला गढ़वाल में दुगड्डा नगरपालिका में सन् १९५६ में हुये सीमेंट व चादर सम्बन्धी गबन की शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में जांच किये जाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---जी हां । इन शिकायतों पर जांच कराई गई ।

*३०---**श्री अमरेशचन्द्र पांडेय** (जिला मिर्जापुर)---[हटा दिया गया ।]

*३१---**श्री गंगाप्रसादसिंह** (जिला बलिया)---[१८ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

नोट---तारांकित प्रश्न २८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*३२--श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला वाराणसी)--[१९ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

कानपुर में आनरेरी जुडीशियल तथा स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेटों के विचाराधीन मुकदमे

*३३--श्री मोती लाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में आनरेरी जुडिशियल तथा अन्य स्टाइपेन्डरी (Stipendary) मैजिस्ट्रेटों का कार्य विवरण सन् १९५७ व १९५८ में निम्न सूचनाओं के साथ किस प्रकार सम्पूर्ण हुआ है--

(अ) पंजीकृत मुकदमे,
(ब) निर्णय किये हुये मुकदमे,
(स) अनिर्णीत मुकदमे,
(द) औसत अवधि जो प्रत्येक मुकदमें के निर्णय होने में लगी ?

श्री सैयद अली जहीर--सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९१ पर)

*३४-३५--श्री मोतीलाल अवस्थी--[१९ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३६--श्री मुहम्मद हुसैन (जिला बरेली)--[१९ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३७-३८--श्री हरीदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)--[१९ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

बदायूं तहसील में वन विभाग द्वारा ली गयी जमीन की हदबन्दी

*३९--श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वन विभाग ने जो जमीन जमींदारी उन्मूलन के बाद बदायूं तहसील, जिला बदायूं के अन्तर्गत हुसैनपुर, पिपरौल, चन्दापुर, पलिया, वगैरह ग्रामों में ली है उसका demarcation पूर्णतया हो गया है ? यदि नहीं, तो सरकार उसे कब तक कराने का इरादा रखती है ?

श्री सैयद अली जहीर--कुछ गांवों में demarcation पूर्णतया हो गया है । जिन गांवों में अभी तक नहीं हुआ वहां यह कार्य करवाने के लिये सरकार विशेष कार्यवाही करने का विचार कर रही है ।

पटैला न्याय पंचायत क्षेत्र, जिला जौनपुर के सेक्रेटरी का स्थानान्तरण

*४०--कुंवर श्रीपाल सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जौनपुर की तहसील शाहगंज के पटैला न्याय पंचायत क्षेत्र में पंचायत सेक्रेटरी उसी क्षेत्र में आठ वर्षों से कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण अब तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी हां, आठ वर्ष तक पटैला न्याय पंचायत क्षेत्र के पंचायत सेक्रेटरी ने उसी क्षेत्र में कार्य किया और तत्पश्चात् उनका अन्य क्षेत्र में स्थानान्तरण हो गया है ।

गोरखपुर जिले के मधवलिया रेंज के जंगल में आग लगना

*४१--श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के मधवलिया रेंज के जंगल में इस साल मई माह में आग लग गयी थी ? यदि हां, तो उसमें कुल कितना नुकसान हुआ है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां, नुकसान नाममात्र का हुआ ।

*४२--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त रेंज में आग लगने का कारण क्या था ? क्या इस संबंध में कोई आदमी गिरफ्तार भी हुआ था ?

श्री सैयद अली जहीर--यथार्थ कारण बताना कठिन है । पांच व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ।

*४३--श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)--[१६ अगस्त, १६५८ के लिये स्थगित किया गया।]

मैनपुरी जिले में जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों के विचाराधीन मुकदमें

*४४--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों के यहां सन् १६५६ ई० के कितने-कितने मुकदमे विचाराधीन हैं?

श्री सैयद अली जहीर--कोई नहीं।

बस्ती नगरपालिका में लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा निर्मित सड़कों पर व्यय

*४५--श्री उदयशंकर (जिला बस्ती)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती नगरपालिका ने कौन-कौन सी सड़कें सीमेंट कंक्रीट की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा बनवायीं और उन पर कितना धन व्यय हुआ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--नगरपालिका बस्ती ने जो सीमेंट तथा कंक्रीट की सड़कें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा बनवायी हैं उनके नाम तथा उन पर किया गया व्यय निम्नलिखित हैं :--

	सड़क का नाम		व्यय रु०
(१)	पान्डे बाजार बस्ती के चौराहा से दक्खिन दरवाजा तक	..	६४,०००
(२)	बस स्टेशन चौराहा से दक्खिन दरवाजा तक	..	६४,१००

*४६--श्री उदयशंकर--क्या यह सही है कि सड़कों के बनने के दौरान में नगरपालिका बस्ती के अधिकारियों और L. S. G. E. D. के अधिकारियों के बीच यह लिखा पढ़ी होती रही कि सड़क बनाने में सीमेंट का बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है और नगरपालिका को सैम्पिल तक नहीं लेने दिया गया तथा सैम्पिल लेने की आज्ञा तब दी गई जब सड़क बन गई?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इस संबंध में नगरपालिका तथा चीफ इंजीनियर के बीच पत्र व्यवहार अवश्य हो रहा है, पर अभी तक वास्तविक स्थिति के विषय में कोई निश्चय नहीं हो सका है।

*४७--श्री उदयशंकर--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमेंट कंक्रीट की यह सड़कें जगह-जगह से टूटने लगी है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां, शासन के पास नगरपालिका ने यह शिकायत भेजी है कि वह सड़कें ठीक से नहीं बनी है और कई जगह से टूटने लगी हैं। इसकी जांच हो रही है।

बदायूं नगरपालिका के सदस्य सर्वश्री कृष्ण स्वरूप वैश्य व नानकचन्द्र को प्रशासकीय चेतावनी

*४८--श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने नगरपालिका बदायूं के दो सदस्यों को निलम्बित करने की चेतावनी दी है? यदि हां तो क्यों?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--बदायूं नगरपालिका के किसी सदस्य को निलम्बित करने की चेतावनी नहीं दी गई है। हां, दो सदस्यों, सर्वश्री कृष्ण स्वरूप वैश्य व नानक चन्द्र को दिनांक १६ जनवरी, १६५८ को बोर्ड की बैठक में शोर मचाने व धमकियां देने पर आयुक्त रुहेलखंड डिवीजन द्वारा दिनांक २५ जून, १६५८ को इस आशय की प्रशासकीय चेतावनी अवश्य दी गई है कि यदि वे उक्त प्रकार की हरकत फिर करेंगे तो उनको म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा ४० (३) के अन्तर्गत सदस्यता से हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

*४६--श्री टीकाराम--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन दो सदस्यों को अपने ऊपर लगाये गये आरोपों का उत्तर देने का अवसर दिया गया था? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--प्रशासकीय चेतावनी के लिये न तो आरोपों का उत्तर देने का असवर देना आवश्यक है न आयुक्त रुहेलखंड ने प्रस्तुत मामले में इसकी आवश्यकता समझी ।

*५०--श्री अब्दुल रऊफ लारी---[हटा दिया गया ।]

विधान सभा के सदस्यों को निरीक्षण कार्य सम्बन्धी सुविधायें

*५१--श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---क्या सरकर बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा के सदस्यों को किन-किन राजकीय संस्थाओं या अन्य कार्यों के निरीक्षण करने की सुविधा प्राप्त है और ऐसा करने के लिये उन्हें किन नियमों के पालन करने की आवश्यकता है ?

श्री सैयद अली जहीर--प्रश्न में मांगी गई सूचना को एकत्र करने में जो समय और खर्च होगा वह सूचना के उपलब्ध फायदे के अनुपात में अधिक होगा । इसके अलावा इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को संबंधित विभागों द्वारा सूचना भेजी जाती है । अतएव उन्हें स्वयं इसकी जानकारी होगी ।

राजनीतिक पीड़ित संघ, जिला मेरठ की जिला सप्लाई दफ्तर के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

*५२--श्री रघुवीरसिंह (जिला मेरठ)---क्या न्याय मंत्री कृपा कर यह बतायेंगे कि राजनीतिक पीड़ित संघ, जिला मेरठ ने जिला सप्लाई दफ्तर के कर्मचारियों के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों को फर्जी भट्ठों के लिये कोयला देने के सम्बन्ध में सन् १९५७ में लिखित रूप में शिकायतें सरकार के पास भेजी थीं ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां ।

मुख्य अरण्यपाल, वन विभाग का कैम्प कार्यालय लखनऊ में खोलने का विचार

*५३--श्री प्रतापसिंह---क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जंगलात विभाग का एक उच्च कैम्प कार्यालय लखनऊ में खुल रहा है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री सैयद अली जहीर---सरकार ने निश्चय किया है कि मुख्य अरण्यपाल, वन विभाग का कैम्प कार्यालय लखनऊ में खोला जाय । अभी तक इसकी निश्चित तिथि तय नहीं हुई है ।

*५४--श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार इस कैम्प कार्यालय के उपयोग पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर---वन विभाग में जहां, पुनर्संगठन प्रणाली (रिआर्गनाइजेशन सिस्टम) के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है, यह कार्य को शीघ्रता से सम्पन्न करने में सहायक होगा ।

*५५--श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इस कार्यालय पर प्रति माह सरकार का क्या खर्च होगा ?

श्री सैयद अली जहीर---कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा ।

सहायक जिला पंचायत अधिकारी के पदों का स्थायित्व

*५६--श्री हरीदत्त काण्डपाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सहायक जिला पंचायत अधिकारी के कितने पद स्थायी घोषित किये जा चुके हैं और स्थायी सहायक जिला पंचायत अधिकारी किस-किस जिले में हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सहायक जिला पंचायत अधिकारियों के १४ पद स्थायी घोषित किये जा चुके हैं, परन्तु उन पदों पर अभी तक कोई सहायक जिला पंचायत अधिकारी स्थायी नहीं किया गया है और यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

पूर्वी जिलों की खाद्यस्थिति की जांच के लिये कमीशन नियुक्त करने की मांग

*५७--श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या सरकार पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति की जांच के लिये कोई जांच कमीशन नियुक्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं ।

कार्य-क्रम में परिवर्तन का सुझाव

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--आज के इस कार्य-क्रम पर राज्य खाद्य स्थिति पर विवाद के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन सन् १९५४-५५ पर विवाद के लिये भी रखा गया है । इसमें से दो घंटे कामरोको प्रस्ताव में निकल जायेंगे और कल कहा गया था कि खाद्य के विवाद पर भी समय बढ़ाया जायगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर विवाद न रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष--तो किसी दूसरे रोज रखा जायगा । इसका मतलब यह होगा कि खाद्य परिस्थिति पर आज चार बजे तक विवाद चले ।

इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है ।

(किसी ने कोई आपत्ति नहीं की)

किसी को आपत्ति नहीं है । तो यह रहा कि चार बजे तक खाद्य स्थिति पर विवाद होगा ।

जौनसार बावर बन्दोबस्त नियमावली, १९५७ में प्रकाशित संशोधन*

उद्योग उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--श्रीमन्, मैं जौनसार बावर बन्दोबस्त नियमावली, १९५७ में राजस्व (क) विभाग की विज्ञप्ति संख्या २२१७-आर०एस०१-क-२०११-५६, दिनांक १ जुलाई, १९५८ के अधीन प्रकाशित संशोधनों को जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ४३ की उपधारा (६) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

प्रदेश की खाद्य समस्या पर विवाद (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--अब राज्य की खाद्य स्थिति पर विवाद जारी होगा ।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो हाउस में खाद्य समस्या के बारे में प्रश्न पेश है उसके सम्बन्ध में मुझे आपके द्वारा उन जिलों की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना है, जिन जिलों को अभाव-ग्रस्त जिले कहा करते हैं । मैं अपने बस्ती जिले के सम्बन्ध में आपके द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं । श्रीमन्, बस्ती जिले की जन-संख्या २६ लाख है और कई एक नदियों, नालों से घिरा हुआ जिला है । यही नहीं गोरखपुर डिवीजन, बनारस डिवीजन, साथ ही साथ फैजाबाद डिवीजन के बहुत से जिले जो इन तीनों कमिश्नरियों से संबंधित हैं उन जिलों की दशा वही है जो कि एक दूसरे से मिले जुले हैं । चार, पांच वर्ष से लगातार दैवी आपत्तियों से हमारे इन तीन कमिश्नरियों के जिले परेशान और अभाव-ग्रस्त हैं । जन-संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, उसको और जमीन की जो लम्बाई चौड़ाई है उसको देखते हुये आज यह अभाव-ग्रस्त जिले हर प्रकार से परेशान और तबाह हैं । श्रीमन्, यह बात अपनी जगह पर बिलकुल सही है कि सरकार की ओर से काफी तौर से दूकानें खोली गयीं । पिछले दिनों में काफी काम हुआ । लेकिन इस वर्ष सारा कार्य जो कि बाढ़ के हैं सड़कों के हैं, पुल, पुलियों और बंधों के हैं, सारे कार्य स्थगित हो गये हैं । मजदूरों की स्थिति बड़ी भयावह हो चुकी है ।

एक बात और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है । खेती के ही ऊपर सारा कारबार वहां के निवासियों का निर्भर करता है । इन तीन कमिश्नरियों के जिले जिनके निवासी ८२-८५ फीसदी तक खेती पर निर्भर करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वहां के निवासियों का जीवन निर्वाह कैसे हो रहा है । हमें ११ वर्ष स्वतंत्र हुये हुये, लेकिन कृषि विभाग की कमियों के कारण हमारे देश में कैसी पैदावार हो रही है उसके मैं आपके सामने थोड़े से आंकड़े रख देना चाहता हूं । चीन में धान की पैदावार १५ सौ पौंड प्रति एकड़ है । इटली में ४ हजार पौंड के करीब है । भारत में ७२९ पौंड धान की पैदावार होती है ।

---

* छापे नहीं गये ।

† ४ अगस्त, १९५८ की कार्यवाही से ।

[श्री धनुषधारी पांडेय]

जब कि जापान में ३२८१ पौंड और मिश्र में ३१५५ पौंड पैदावार है। आप सोच सकते हैं कि हिन्दुस्तान में पिछले ११ सालों में कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है। उसी तरह से उस पैदावार को देखते हुए हमें यह भी सोचना है कि हिन्दुस्तान की जनसंख्या दूसरे देशों की जनसंख्या के औसत के हिसाब से ७ गुना ज्यादा है। उस जनसंख्या को देखते हुये जो यहां पर जमीन है वह जमीन ४० गुना कम है। इस तरह से हिन्दुस्तान की जनसंख्या को देखते हुये और हिन्दुस्तान के निवासियों की दशा को देखते हुए और यहां के उद्योग-धंधों को देखते हुये यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यहां पर कैसे गुजारा हो सकता है।

इतना ही नहीं सन् १९५६-५७ में हिन्दुस्तान में जमीन में काफी सुधार किया गया। फिर भी उससे कितनी पैदावार बढ़ी वह आपके सामने है। १९५७-५८ में ३९२५०० एकड़ जमीन खेती करने के लायक बनाई गई और भी उसके लिये प्रयत्न किया जा रहा है और जमीन बढ़ जायगी, लेकिन उसकी पैदावार किस तरह से बढ़ेगी? जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया कि दूसरे देशों में गेहूं की पैदावार जैसे डेनमार्क में २,९९४ पौंड तथा न्यूजीलैंड में २,२८६ पौंड है तो कितनी ज्यादा है जब कि ७१३ पौंड की गेहूं की पैदावार हमारे यहां है तो फिर किस तरह से निर्वाह हो सकता है। मैं यह समझता हूं कि अगर कृषि में सुधार हुआ होता तो यह समस्या आज इस तरह से हमारे सामने न होती। कहीं पर कृषि में सुधार नहीं किया गया। यदि इस तरफ ध्यान दिया गया होता तो कुछ समस्या यह सुलझती। हिन्दुस्तान की जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती है। प्रतिदिन १२ हजार आदमी पैदा होते हैं। इस तरह से देखते हुये यह अनुमान है कि सन् १९८० में काफी जनसंख्या हमारी बढ़ जायगी। हमारी जन संख्या बढ़ रही है, लेकिन पैदावार नहीं बढ़ी है। तो फिर किस प्रकार से हम अभाव की समस्या को हल कर सकते हैं। हम अभाव की समस्या को हल नहीं कर पायेंगे यदि इसी प्रकार से चलते रहे। आज यह समस्या हिन्दुस्तान के ही सामने नहीं है बल्कि सारे भूमंडल के सामने है। हमारे उत्तर प्रदेश में कोई खनिज पदार्थ भी नहीं पैदा होता है। ऐसा सामान भी आपके प्रदेश में पैदा नहीं होता है जिससे आमदनी बढ़ाई जा सके। केवल यही एक साधन कृषि का है। कृषि के ऊपर ही आप अपनी अभाव की समस्या को हल करेंगे। हां, यह बात जरूर है कि आज, २, ३ वर्षों से कुछ काम जरूर इस तरफ हुआ है। ट्यूबवेल लगे, नहरें बनीं, लेकिन इस वर्ष के आंकड़ों को देखते हुये मुझे बड़ा दुख है। श्रीमन्, जहां पर यह अभाव ग्रस्त जिले हैं वहां पर चारों तरफ बेकारी भी बहुत फैली हुई है, लेकिन इर्रीगेशन के बजट में कटौती की गई है और बाढ़ के बजट में कटौती की गई है। हो सकता है वह कटौती सेन्ट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर प्रदेशीय सरकार के बजट में कर दी गई हो, लेकिन जब तक इस समस्या पर ठीक तरह से विचार नहीं किया जायगा और जब तक खेती के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया जायगा तब तक यह काम आगे नहीं बढ़ सकता है। चाहे आप कितनी ही योजना बनावें।

हमारे प्रान्त के उन अभाव ग्रस्त पूर्वी जिलों में लोग ८५ प्रतिशत खेती पर निर्भर करते हैं। यह देखने की बात है कि वहां पर ट्यूबवेल नहीं हैं, नहरें नहीं है और नाना प्रकार की दैवी आपत्ति आया करती हैं। वे जिले नदी और नालों से घिरे हुये हैं। यही नहीं कि यें ही जिले परेशान हों बल्कि झांसी डिवीजन में सूखा पड़ा और वहां पर भी तबाही आई। पहाड़ी जिले भी अभाव से परेशान हैं, लेकिन आगरा डिवीजन और मेरठ डिवीजन में भी बाढ़ और सूखा पड़ा और वहां पर भी बरबादी आई। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसी बड़ी समस्या को सुलझाने के लिये एक हाई पावर कमेटी बनाई जाय जो इस समस्या को सुलझाने के लिये कोई तरीका निकाल सके। यों तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने अशोक मेहता कमेटी पूर्वी जिलों का अभाव ग्रस्तता दूर करने के लिए बनाई थी और उसने जो सुझाव दिये वह आपके सामने हैं। उन सुझावों को देखते हुये और जो वहां पर यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है उसको देखते हुये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन जिलों में कारोबार लोगों के लिये चालू नहीं हो रहे हैं और समस्या बराबर

उलझती जा रही है। इसलिये मैं यह सुझाव दूंगा कि जो वसूलयाबी वहां पर हो रही है उसको तुरन्त स्थगित किया जाय क्योंकि अभाव ग्रस्तता और बाढ़ से उनकी दशा खराब हो चुकी है और साथ ही साथ बाढ़ के कार्य जो पिछले दिनों में चल रहे थे और ट्यूबवेल और नहर बनाने के जो कार्य वहां चल रहे थे उनको चलाया जाय। बच्चों की फीस तत्काल माफ की जाय। अगर इसमें देरी हुई तो समस्या बहुत जटिल हो जायगी और स्थिति में सुधार नहीं हो सकेगा। साथ ही साथ उन जिलों में--बस्ती, फैजाबाद और गोरखपुर डिवीजन में--ऐसी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है कि जिसको सीख कर निकलने के बाद बच्चे अपनी रोजी खुद कमा सकें और इसके कारण बेकारी फैलती जा रही है। इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि यदि हर जिले में न हो सके तो कुछ जिलों में इसके लिये व्यवस्था की जाय ताकि बच्चे शिक्षा पाने के बाद अपनी रोजी कमा सकें। उनको दर्जीगीरी, बढ़ईगीरी, दियासलाई बनाने का काम सिखाया जाना चाहिये और अगर ऐसा नहीं किया गया तो बेकारी और अभाव की समस्या हल नहीं हो सकती। आपके प्रदेश में ८२ फीसदी लोग खेती पर निर्भर हैं और जमीन का औसत आधा एकड़ या चौथाई एकड़ पूर्वी जिलों में पड़ रहा है, तो इन बातों को देखते हुए मैं हाउस का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

कल विष्ट जी ने भुखमरी के बारे में नारा लगाते हुए एक समस्या हमारे सामने रखी कि बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में जनसंघ के प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज हुआ। २१ जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने बिना सूचना दिये तहसील को घेर लिया। मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन उन लोगों ने तहसीलदार और वहां के कर्मचारियों का १२ घंटे तक पाखाना और पेशाब तक बन्द कर रखा था। आप सोचिये कि राज्य कैसे चल सकता है जब कि सरकारी कर्मचारी राजकाज न कर सकें। १२, १२ घंटे तक सरकारी कर्मचारियों और तहसीलदार पर रोक लगी हुई थी और उनका यह कहना कि औरतों के बाल पकड़ कर घसीटे गये, निहायत गलत और प्रचार के शब्द थे। मैं हाउस को सूचना देना चाहता हूं कि जनसंघ के कुछ सदस्य बस्ती जिले में गये थे और उस डाक्टर को कम्पेल कर रहे थे कि २२ तारीख की डाक्टरी का सर्टिफिकेट दो और घाव का झूठा सर्टिफिकेट दो और उसको १० रुपया घूस दे रहे थे। तो मैं हाउस से कहना चाहता हूं कि अगर सदस्यगण डाक्टरों और सरकारी कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे और किसी घटना की सही जांच करके सही बात नहीं करेंगे तो यह चीज सरकार के लिये एक बड़ी समस्या होगी कि वह अपना काम कैसे चलाये और छोटे बड़े कर्मचारियों के साथ कैसे व्यवहार किया जाय। इस तरह से सरकारी कामों को रोकना और उनमें बाधा खड़ी करना और काम को निकम्मा बनाने के लिये नाना प्रकार के उपाय करना कहां तक ठीक है। घेरा डालना सोशलिस्ट पार्टी का प्रोग्राम था। यह उनका आन्दोलन था और जनसंघ के लिये यह केवल पालिटिक्स की बात थी। अगर इसके विपरीत कोई बात कोई व्यक्ति कहता है तो मैं नहीं समझता कि वह अपनी बुद्धि कहां खो कर बैठा है। तो मैं श्रीमन, यह कहूंगा कि सरकार ने वहां बड़ी ढिलाई से काम लिया। अगर उसके साथ इस प्रकार व्यवहार होगा तो वह चल नहीं सकती। कांस्टेबिल घसीटे जायं, पीटे जायं, पकड़े जायं और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाय यही आज नौगढ़ की समस्या है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदर्शनकारियों में एक भी औरत नहीं थी। इस प्रकार जो खाद्य समस्या है उसको आपके सामने रख रहा हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में जो बहस हुई उसे ध्यान से सुना। मेरे एक साथी माननीय नवलकिशोर जी ने यह कहा कि यह जो विरोधी दल है यह तो पोलिटिकल डिविडेंड बनाने में लगा हुआ है और वह इस सम्बन्ध में गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रहा है। मैं आपके द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोगों के जो सुझाव आते हैं वह बहुत ही सच्चे तरीके के और मानव हित के लिये आते हैं। ऐसी कोई बात हम लोग

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

कहना पसन्द नहीं करते जो मानव हित में न हो या सामूहिक तरीके से देश के हित में न हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने विचारों की छाया दूसरों के ऊपर डाल देते हैं और समझते हैं कि ऐसे ही सब लोग होंगे।

मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस खाद्यान्न के अभाव के सम्बन्ध में और इसके पीछे खासतौर से जिम्मेदारी सरकार की मूल नीति की है। अगर हम सरकार की उस नीति को देखें जो पिछले ७-८ सालों में चली तो मालूम होगा कि वह प्रायः ४ नारों के अन्तर्गत चली।

सब से पहला नारा उसने लगाया गमलों और छतों पर खेती करने का। नतीजा यह हुआ कि हजारों ऐकड़ जमीन परती पड़ी रह गयी और सरकार गमलों मे खेती करने का नारा लगाती रही। दूसरा नारा उसने बिजली से गर्म करके बीज को बोने का लगाया और कहा कि इससे ज्यादा पैदावार होगी। फिर भी सैकड़ों बीघा अनाज सूख गया। जहां पानी की आवश्यकता थी वहां सरकार ने बीज को गर्म करा दिया। तीसरा नारा बिना मिट्टी के खेती करने का लगाया जा रहा है। श्रीमन्, इस पर माननीय मुख्य मंत्री को यहां तजुर्बा भी हो रहा है कि बिना मिट्टी के कैसे खेती की जाय जब कि करोड़ों एकड़ जमीन ऊसर और परती पड़ी हुई है, लेकिन उस जमीन पर खेती करने की ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ऊसर को उर्वरा बनाने का कोई भी सरकार का तरीका सफल नहीं हो पाया है। लखनऊ में ही एक सज्जन ने व्यक्तिगत रूप से ऊसर को उर्वरा बनाया है, लेकिन जब वे लैंड स्कूल में पहुंचे तो उनको कोई जगह नहीं दी गयी। इसलिये सरकार की जो मूल नीति है वह व्यक्तिगत है। अब उसका चौथा नारा है कि खरीफ की फसल के लिये आधुनिक तरीकों का प्रयोग करना।

इस नारे बाजी से जो सरकार व्यक्तिगत लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है, उससे मुल्क का किस प्रकार से भला हो सकता है। मैं आपके द्वारा सरकार से बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन कर देना चाहता हूं कि नारों से दूर होकर मानव हित में सरकार ऐसे प्रोग्राम चलाये जिनसे सब किसानों को समान रूप से लाभ हो, न कि यह कि दल विशेष के लोग ही उससे लाभ उठा सकें। अन्यथा यह खाद्य समस्या हल होने वाली नहीं है।

एक सज्जन ने यह भी कहा कि विरोधी दल आलोचना तो बहुत करता है लेकिन आलोचना के साथ-साथ रचनात्मक सुझाव नहीं देता है। इसलिये मैं सरकार के सामने कुछ रचनात्मक सुझाव देना चाहता हूं जिससे इस प्रदेश की तमाम समस्याएं सदैव के लिये सुलझ जायं। तात्कालिक सुझाव तो बहुत से माननीय मित्रों ने दिये और माननीय उग्रसेन जी ने भी दिये, लेकिन मैं ऐसे सुझाव सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं जो हमेशा के लिये हैं।

श्रीमन्, दो बातें मुख्य हुआ करती हैं। एक तो यह कि किसान के दिल में प्रेरणा हो, वह चाहे कि ज्यादा से ज्यादा उपज हो और प्रेरणा से प्रेरित होकर साधन जुटाये। सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। हजारों किसान बटाई पर खेती कर रहे हैं। खेत को जोतते बोते हैं और अपना खून पसीना एक करते हैं, लेकिन उनको आधा चौथाई गल्ला ही मिल पाता है और दूसरे मुकुटधारी लोग ही उससे लाभ उठा पाते हैं। इसलिये ऐसे किसानों के अन्दर सरकार को ऐसी प्रेरणा पैदा करनी होगी जिससे वे ज्यादा से ज्यादा गल्ला पैदा कर सकें। इसलिये सोशलिस्ट पार्टी ने कहा कि जमीन का बटवारा करो। माननीय माल मंत्री जी ने एक दिन फरमाया था कि १३ लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो बंट सकती है। मान लीजिये कि १३ लाख एकड़ ही जमीन है, तो सवा ६ एकड़ प्रति परिवार के हिसाब से २ लाख परिवार को तो जमीन मिल ही सकती है और इस तरह से १० लाख आदमियों की गुजर खेती से हो सकती है और एक भयंकर समस्या जो अन्न समस्या के हल करने की है वह कुछ हद तक हल हो सकती है।

जमीन के बटवारे का जहां तक सम्बन्ध है, सब से पहला काम जो सरकार को करना चाहिये वह यही है कि जमीन का बटवारा कर दे। बिना जमीन के बटवारे के चकबन्दी का काम जो चल रहा है, वह बिल्कुल बेकार हो जायगा और इससे कोई लाभ नहीं होगा।

दूसरी प्रेरणा जो प्राप्त होगी, अलाभकर जोतों का लगान माफ करके। अभी हमारे पूर्वी अंचल से आने वाले दोस्तों ने इस सम्बन्ध में बहुत कुछ बतलाया है कि वहां अलाभकर जोत कितने हैं। मैं समझता हूं कि सवा ६ एकड़ से नीचे के जितने जोत हैं, जैसा कि सरकार स्वयं जमींदारी एबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में मान चुकी है कि सवा ६ एकड़ से कम के जोत अलाभकर हैं, और अगर सरकार उनका लगान माफ कर दे तो इससे सरकार को करीब साढ़े १० करोड़ का नुकसान पड़ेगा, फिर भी सरकार की आमदनी १२ करोड़ की रहेगी। तो १२ करोड़ की आमदनी से सरकार का काम नहीं चला सकती जब कि पहले की सरकार का काम ७ करोड़ में ही चल जाता था? अगर सरकार अपनी हठवादिता को छोड़ कर इस सुझाव को स्वीकार करेगी तो बहुत ज्यादा अन्न संकट दूर हो सकेगा।

तीसरी बात मुझे खासतौर से खाद के सम्बन्ध में कहनी है जिसकी तरफ इस आदरणीय सदन के किसी भी माननीय सदस्य का ध्यान अभी तक नहीं गया है। चाइना डेलिगेशन की रिपोर्ट में यह बतलाया गया है कि चीन की ६७ प्रतिशत जमीन में सिर्फ आदमियों के मैले और कूड़ा कर्कट से खाद पहुंचती है और उसी रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है एक वयस्क आदमी जो साल भर पाखाना करता है, उसस उतना ही नाइट्रोजन जमीन को मिलता जितना एक मन अमोनियम सल्फेट से मिलता है। श्रीमन्, चूंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं संक्षेप में ही कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ८० फी सदी आदमियों को ही नियंत्रित कर सके और उनके पाखाने वगैरह की कोई ऐसी व्यवस्था करदे तथा कूड़ा कर्कट की ठीक व्यवस्था कर दे तो देहात के करीब ४ करोड़ आदमी होते हैं, जिससे १० लाख टन अमोनियम सल्फेट की ताकत हमको मिल सकती है जो ३३५० लाख रुपये की होगी। तो इस बारे में हमारा यही निवेदन है कि सरकार इस काम को फौरन करे और ज्यादा से ज्यादा इसका प्रबन्ध करे।

सस्ता पानी देने की भी खासतौर से बहुत ज्यादा जरूरत है। आज कल मुश्किल तो यह है कि सरकारी नलकूपों को तो बिजली सस्ते मूल्य पर मिलती है, लेकिन जो प्राइवेट या सहकारी नलकूप हैं, उनको बिजली कम मिलती है और वह भी बहुत अधिक कीमत पर मिलती है। पश्चिमी जिलों की बात मैं खासतौर से बतलाना चाहता हूं जहां कि मैं अभी हाल ही में गया था, वहां सरकारी नलकूप के रेट में और प्राइवेट वालों के नलकूप के रेट में बहुत ज्यादा फर्क है। सरकारी नलकूप को तो ९ पैसे प्रति घंटा बिजली मिलती है जब कि प्राइवेट नलकूपों को १ रुपया प्रति घंटा बिजली दी जाती है। अगर इसमें सुधार किया जाय तो मैं समझता हूं कि अन्न के मामले में बहुत ज्यादा क्रान्तिकारी सुधार हो सकता है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उसको चाहिये कि प्राइवेट नलकूप वालों को भी सस्ते रेट पर बिजली मिले। आज तो प्राइवेट नलकूप घाटे पर चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया।

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--श्रीमन्, खाद्य सम्बन्धी विवाद इस सदन में जो कल से प्रारम्भ हुआ, मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि इस विवाद के द्वारा हम लोगों को कुछ समझने और जानने का मौका मिला है। अबकी बार और यदि मुझे इस धृष्टता के लिये क्षमा किया जाय तो शायद पहली बार सदन के कुछ सम्मानित सदस्यों ने जिनमें मेरे विरोधी दल के मित्र भी सम्मिलित हैं, कुछ सुझाव देने की कृपा की है। माननीय मदन पांडेय जी ने एक नया कदम उठाया था और उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहा था कि वादविवाद से कुछ लाभ भी नहीं है यदि इसके सम्बन्ध में सभी लोग मिलकर

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

कुछ कार्य करें तो शायद ठीक होगा। इसी दृष्टि से जो इस सदन में विवाद हुआ मैं यह स्वीकार करूंगा कि उसमें सुझाव काफी दिये गये। माननीय गैंदासिंह जी ने बार-बार हम लोगों से यह कहा कि खाद्य समस्या को बहुत आसान नहीं समझना चाहिये, बल्कि इसके सम्बन्ध में कुछ ठोस कदम उठाने चाहिये। सदन में वे इस बात को पहले भी कह चुके हैं कि खाद्य समस्या आसान नहीं है। हम लोग, जो सदन के इस ओर बैठते हैं, उनकी दृष्टि में भी खाद्य समस्या आसान नहीं है।

द्वितीय महायुद्ध के बाद संसार में--मैंने जानबूझ कर शब्द 'संसार' इस्तेमाल किया है--खाद्य समस्या आज एक विकट रूप ग्रहण कर चुकी है। मोटे तौर पर १९३४-३८ के बीच में जो संसार में खाद्य था सन् १९४१-४६ के बीच में उसमें बहुत कमी आई और लेटिन अमेरिका में तो वह कभी ५० प्रतिशत के लगभग थी और हमारे देश व प्रत्येक पूर्वी देश में करीब-करीब वह कमी ५० प्रतिशत तो नहीं, लेकिन आम तौर पर १०-१२ प्रतिशत के लगभग खयाल की गयी। उसके बाद भी कुछ और नये कारण हुए और उनकी वजह से बहुत सारी नई चीजें पैदा हुईं।

नये कारण हुए कि १९३४-४८ के बीच में करीब-करीब दुनिया की आबादी १० प्रतिशत बढ़ी। और हमारे देश की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई और आज भी आबादी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है और जैसा कि मैंने अभी एक आंकड़े में देखा यह खयाल किया जाता है कि हमारे देश में एक वर्ष में ६० लाख आदमी बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी भी जहां १९४७ में ६,२७,०७,००० थी, अब आज ऐसा खयाल किया जाता है कि वह आबादी करीब करीब ६,८७,००,००० के लगभग हो गयी है या उससे कुछ कम हुई तो ६,८०,००,००० के लगभग है।

इस बीच में और भी कुछ कठिनाइयां आईं। मैं यदि यू० एन० ओ० की रिपोर्ट का एक पृष्ठ का एक छोटा सा अंश पढ़ दूं तो शायद यह सदन हमारी उन कठिनाइयों को पूरी तौर से समझ सके। बहुत बार ऐसा खयाल किया जाता है कि यह जितनी विकास की योजनायें हैं उनके द्वारा एकदम सारे देश व संसार में सभी चीजों का विकास होगा। वह कब तक होगा, कितनी देर लगेगी और कितने रुपयों में परिवर्तित होकर अन्त उसका कहां होगा इसको यदि सदन के माननीय सदस्य देखने की चेष्टा करें तो मैं उनका अनुग्रहीत हूंगा। प्रारम्भ में जब विकास की योजनाएं चालू होंगी तो खाद्यान्नों के सम्बन्ध में संकट पैदा होंगे। एकनोमिक डेवलपमेंट आफ अंडर डेवलप्ड रीजन्स हेड में उस रिपोर्ट में यह लिखा है--

"The growing industrialization has been another factor in increasing and diversifying the demand for agricultural products.

यानी ये जो औद्योगीकरण और विकास की योजनायें हैं उनके द्वारा निस्संदेह ये जो अविकसित देश हैं उनमें खाद्यान्नों की कमी पड़ेगी।" हमारे यहां भी अशोक मेहता की जो कमेटी बैठी उन्होंने भी इस चीज को अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ ४० पर स्वीकार किया है और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यही नहीं बल्कि पहली पंचवर्षीय योजना में प्रायः १४ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई हमारे यहां जीवन स्तर में और दूसरी चीजों में और उसका प्रभाव लाजमी तौर पर खाद्यान्नों पर पड़ेगा। मैं केवल उसकी दो पंक्ति पढ़ूंगा श्रीमन्,

"It may be noted here that during the first plan period if the consumption of foodgrains has gone up by about 40 per cent that of several other consumer goods has gone to a much greater extent".

यही नहीं उन्होंने इस रिपोर्ट में और भी इस बात का जिक्र किया है कि निरन्तर जैसे जैसे विकास बढ़ेगा, जैसे जैसे आदमी के पास में कुछ धन आयेगा उसका स्टैंडर्ड आफ लिविंग बढ़ेगा तो लाजमी तौर पर वह खाद्यान्नों की तरफ पहले पहल जायेगा और उसको खाद्यान्नों

की आवश्यकता पड़ेगी तथा खाद्यान्नों की कमी देश में बढ़ती चली जायगी। यह श्रीमन्, मैं इसी रिपोर्ट के पृष्ठ ५८ पर पढ़ रहा हूं। इसमें अशोक मेहता जी ने लिखा है---

"This means that with higher income to spend the consumers tend to spend a high portion of the increased income on foodgrains".

यानी जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे उपभोक्ता उस आमदनी का प्रयोग सबसे पहले खाद्यान्नों को प्राप्त करने में करता है। इसी रिपोर्ट में यह भी है कि जो खाद्यान्न सबसे अधिक इसके लिये उपलब्ध करने की मनुष्य चेष्टा करेगा वह गेहूं होगा और चावल होगा।

श्रीमन्, मोटे तौर पर इन कठिनाइयों में आज हमारा देश है। हमारे प्रदेश के साथ में और हमारे देश के सामने कुछ और भी कठिनाइयां हैं। भूमि रही एक अर्से तक उन लोगों की देख-रेख में जिन लोगों ने कि कभी इस देश में विकास करने का प्रयास नहीं किया। उसका परिणाम यह रहा कि वह अविकसित भूमि हमारे पास छोड़ गये जिस भूमि पर जल नहीं, अच्छे बीज की व्यवस्था नहीं, जिस भूमि पर सदियों से कोई खाद नहीं दी गई, जिस भूमि पर कि मोटे तौर पर अन्न अधिक उपजे इसके सिद्धान्त को कभी स्वीकार नहीं किया गया और जिस भूमि के सम्बन्ध में निरन्तर इस प्रकार की भूमि व्यवस्था इस देश में रही कि जिसमें कुछ जमींदार और कुछ राजा उस भूमि का मुनाफा उठाना चाहते थे और ऐसे लोगों को उस भूमि से कोई सरोकार नहीं होता था जो किसान होते थे, उनका उस भूमि से कोई लगाव नहीं होता था, इन परिस्थितियों में।

आज इस प्रदेश के सामने जो कठिनाइयां हैं मैं अपने माननीय मित्र गेंदासिंह जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन कठिनाइयों को कभी भी हमने छोटा करके स्वीकार नहीं किया है और आज भी बड़े रूप में हम उन्हें स्वीकार करते हैं। निस्संदेह खाद्यान्न की समस्या इस प्रदेश और देश में एक बड़ी समस्या है। बल्कि इस प्रदेश में कुछ और भी कठिनाइयां आईं और आज के इस वाद-विवाद के विषय को श्रीमन्, देखेंगे तो मोटे तौर पर उसके दो रूप पायेंगे। एक तो हम स्थायी तौर पर इस प्रदेश में क्या करना चाहते हैं खाद्यान्नों की बढ़ोत्तरी के लिये? यह जो एक स्थायी कठिनाई है उसके सम्बन्ध में हमारा रुख क्या है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि उसके प्रति हम अत्यन्त जागरूक हैं और उसे हम हल करना चाहते हैं, जिससे कि इस देश में खाद्यान्नों की बढ़ोत्तरी शीघ्र से शीघ्र हो सके। बहुत से सुझाव हमारे मित्रों ने दिये। हम यह कह सकते हैं कि यह सुझाव पहली मर्तबा हमारे सामने नहीं आये हैं। कुछ इससे पहले भी आये हैं और उन पर निरन्तर प्लानिंग कमीशन और इस प्रदेश के दूसरे लोगों ने विचार किया है और उनको कार्य-रूप में परिणत करने की चेष्टा की है।

कुछ अस्थायी कठिनाइयां भी हमारे प्रदेश पर आईं। शायद मेरे लिये यह भी उचित न हो कि मैं आज उन सभी बातों को दोहराऊं जो इस प्रदेश में होती रही हैं। सूखा पड़ा है, बाढ़ आई है और इसके अलावा कुछ और दूसरी कठिनाइयां भी आयी हैं। वर्षा की आवश्यकता होने पर वर्षा नहीं हुई है और कुछ दूसरे प्रकार की कठिनाइयां भी हैं जिनको कि यह प्रदेश और इस प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। हमारा खयाल है कि यह अस्थायी कठिनाइयां हैं और माननीय मन्त्री जी ने जैसा कि कल कहा कि दो महीने बाद शायद हम इन अस्थायी कठिनाइयों से ऊपर उठ सकें और इस प्रदेश में कुछ सुख और चैन की सांस ले सकें।

एक बात और भी है श्रीमन, और मैं अपने मित्रों से अत्यन्त नम्रतापूर्वक उसे निवेदन करूंगा। हमारा यह प्रदेश निःसंदेह सारे देश के लिये अन्न का भंडार समझा जाता है, अन्न उत्पादन के लिये हमारे प्रदेश के सम्बन्ध में विचार किया जाता है। हमारा प्रदेश सचमुच सारे देश के लिये अन्न उत्पादन का कार्य करता है और मेरा खयाल है यदि सारा देश आज हमारे प्रति इस भावना से देखे कि हम उनको इतना अन्न देते हैं तो अनुचित नहीं है। जो रिपोर्ट सदन के सामने रखी गयी है मैं अपने मित्रों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करूंगा और कहूंगा कि वह कृपा करके उस रिपोर्ट को जरा इस दृष्टि से देखने की कोशिश करें कि हम चीजों को समझ सकें। यह जो हम पर अस्थायी

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

कठिनाइयां आई हैं उनको बहुत तरीके से देख सकते हैं । अप्रैल के पूर्वार्द्ध में अधिक अन्न आया और मई में कम होने लगा और भाव बढ़ने लगे । भाव के सम्बन्ध में जो तालिका है उसमें माननीय सदस्य पायेंगे कि पश्चिम में जिसमें हाथरस, कासगंज, चंदौसी, हाथरस, सहारनपुर इटावा, फर्रुखाबाद, मथुरा आदि जिलों में दूसरे जिलों के अपेक्षाकृत भाव अधिक बढ़े । इटावा में ६ जून, १९५७ को १४ रुपये ७२ नये पैसे प्रति मन गेहूं का भाव था, लेकिन ६ जून, १९५८ को भाव १८.८२ नये पैसे हुआ, यानी ४.१० नये पैसे की बढ़ोत्तरी हुई .....

श्रीमन्, कुछ थोड़ा समय और दे सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष---समय की काफी तंगी है और १५ मिनट का ही समय है, क्योंकि कुछ लोग आपके साथी ज्यादा समय लेना चाहते हैं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जैसी आज्ञा हो, कुछ दो एक मिनट दे सकें तो अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष---अच्छा ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---तो मैं यह कह रहा था कि फिर इसके बाद नयी दूकानें खुलीं और जैसा सब को मालूम है कि २,००० कुछ दुकानों से उनकी संख्या ३,२०० से ऊपर पहुंची । दुकानें खुलने के बाद भी प्रदेश में फिर दे बारा अन्न के भाव में बढ़ोत्तरी आयी और वह तालिका पृष्ठ संख्या ७ पर है । वेस्टर्न रीजन में अपेक्षाकृत भाव तेजी से बढ़े और चंदौसी की मंडी में २३, जून १९५८ को गेहूं का भाव १७.२५ नये पैसे था जो १९ जुलाई को २०.५० नये पैसे हो गया, यानी ३.२५ नये पैसे की बढ़ोत्तरी हुई । मैंने इन भावों को इस लिये पढ़ा कि इसका कारण है जो सदन को समझना पड़ेगा । गन्ने की खेती अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पश्चिम में होने लगी है और यहां नहीं पूर्वी जिलों में होने लगी है । तो जब ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गईं स्केयरसिटी होने लगी तो निःसंदेह लाजमी था कि भाव बढ़े और जहां सस्ते गल्ले की दूकानें नहीं थीं वहां भाव और ज्यादा बढ़ गये ।

बहुत सही है कि आज हम बहुत सी चीजों पर विचार कर सकते हैं । किन्तु क्या आवश्यक होगा कि किसी दिन कानून के जरिये से हमें यह तय करना पड़े कि इतने खेत पर गन्ना हो और इतने पर अनाज, मेरा खयाल है कि ऐसी अवस्थायें पैदा हों, इस पर हमको विचार करना पड़े, और शायद हम नहीं करेंगे ।

अन्तिम रूप से एक बात मुझे जरूर स्वीकार करनी पड़ेगी । मेरे मित्र बयोवृद्ध नेता श्री पालीवाल जी ने कल एक चीज स्पष्ट रूप से स्वीकार की है । उन्होंने कहा कि विरोधी-दल का काम सुझाव देना नहीं है । उन्होंने कहा कि विरोधी दल का कार्य यह है कि वह आपको सुझाव न दे, बल्कि जो आप करें उसका विरोध करे । चाहे वह उसका विरोध करें या यह कि वह रुकावट करने की कोशिश करें उसको हम स्वीकार करते हैं, यदि प्रजातन्त्र में उनका कर्त्तव्य यह है ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---श्रीमन्, उन्होंने यह नहीं कहा था, समझने में दिक्कत हुई मालूम होती है .... ।

श्री अध्यक्ष---आप बैठें, वह जो कुछ ठीक समझेंगे वह वही कहेंगे ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---उन्होंने सदन में नहीं कहा था ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मैं उसको कोई बुरा नहीं कहता, उन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक कहा । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली में विरोध करना ठीक है, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि वह विरोध के लिये विरोध भी करें, लेकिन सदन के बाहर आप विरोध न करें जिस से जनता में एक नरवसनेस और डर की भावना पैदा हो और शायद जनता यह समझने लगे कि अन्न की कमी है और सरकार इस सूबे को अन्न नहीं पहुंचा सकती, यह कठिनाई है, वह कठिनाई है और यदि वह इस बात को माने तो शायद वह सूबे का अधिक भला कर सकेंगे ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि इस वाद-विवाद में हिस्सा लेने की आप ने आज्ञा प्रदान की। पेश्तर इस के कि मैं कुछ अर्ज करूं मैं आपसे और आदरणीय सदन से क्षमा चाहता हूं कि कल गैरहाजिर रहा और जो बातें यहां दोनों ओर से कही गयीं उनको सुनने का मौका प्राप्त न कर सका। मैंने मान्यवर से कल ही इस मजबूरी के लिये क्षमा याचना कर ली थी।

खाद्य की समस्या दो प्रकार की है, एक प्रोडक्शन की और दूसरी वितरण की। मैं यह समझता था कि इस वादविवाद में मुख्यतः हम वितरण की ओर ध्यान देंगे और पैदावार के प्रश्न पर अधिक व्योरे में न जायेंगे क्योंकि वह एक बड़ा भारी प्रश्न है। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि सरकार द्वारा प्रकाशित जो आंकड़े हैं वह ठीक नहीं हैं। उत्तर प्रदेश बहुत समय से अन्न की जितनी उसको जरूरत है उतना नहीं पैदा करता है। मेरे बचपन से रंगूनी चावल यहां के बाजारों में बिकता था। इस सूबे में जितनी अन्न की खपत है उसका एक तिहाई चावल खर्च होता है। सरकारी किताबों में आज से नहीं सदा से लिखा है कि यू० पी० में चावल खाने वालों का बहुमत है और उसकी पैदावार भी अधिक है। कुल अनाज की खपत में १/३ चावल, १/५ गेहूं और १/२ अन्य अनाज हैं। यह सभी तसलीम करते हैं। सरकार के आंकड़ों से भी यही चीज साबित है।

चावल खरीफ में होता है और पिछली खरीफ की फसल हमारे यहां खराब हुई, वक्त से पानी नहीं बरसा और फिर ज्यादा पानी बरसा। पश्चिम में भी आफत आई, सैलाब आया जो उधर कम आता था और उससे खरीफ को नुकसान पहुंचा।

जब से लड़ाई शुरू हुई उस के पहले कोई खाद्य का मुहकमा यू० पी० में या भारतवर्ष में नहीं था। लड़ाई के समय से एक खाद्य विभाग खुला और अब खाद्य मंत्री का एक अलग विभाग है। खाद्य मंत्रालय का क्या कार्य है ? यह कि यदि भाव तेजी से बढ़ना शुरू हो या काबू के बाहर बाजार जाने लगे तो वह अन्न वितरण की व्यवस्था आरम्भ करें। नायब वजीर साहब ने अभी अपनी बात की पुष्टि में एक बात फरमाई, लेकिन उससे मेरी बात की पुष्टि होती है। पश्चिमी जिलों में अन्न के भाव पूर्वी जिलों से ज्यादा बढ़े। पश्चिमी जिले रबी के अनाज गेहूं, जौ और चना आदि के भंडार हैं। जब हम कहते हैं कि रबी की फसल खराब हुई, सरकार कहती है कि नहीं हुई। उनके आलिम चीफ स्टैटीशियन ने ऐसे आंकड़े रख दिये हैं। अगर रबी की फसल खराब नहीं हुई तो बाजार में माल क्यों कम आया। अप्रैल में ऐराइवल्स हुए। पूरब में फसल कटती हैं उतरते फाल्गुण और शुरू चैत्र में। और पश्चिम में उतरते बैसाख तक गेहूं की कटाई होती है। पश्चिमी जिलों में अन्न की कमी का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इस वर्ष रबी की पैदावार भी खरीफ की पैदावार की तरह कम हुई।

मैं यह निवेदन कर चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में अन्न का भाव चावल के बाजार से बनता है। चावल का जैसा भाव होगा, बाकी अन्नों का वैसा भाव होगा, क्योंकि सब से ज्यादा खपत तमाम अनाज से चावल की है। चावल का भाव दिसम्बर से बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी कि यह भाव बढ़ रहा है, और जब वह बढ़ा तो अवश्यंभावी निश्चित था कि गेहूं के भी भाव बढ़ेंगे और वह बढ़े।

छूट का मसला फाल्गुण में शुरू होना चाहिये और १५ मई तारीख वाजिबुल अदा लगान तक सरकार का हुक्म हो जाना चाहिये कि फसल खराब है और इसके कारण छूट हुई या लगान मुल्तवी किया गया। लेकिन यहां तो जुलाई तक हानि का अनुमान नहीं हो पाता। मेरे पास रेवेन्यू सेक्रेटरी का जुलाई मास का लेटर मौजूद है कि ४ जिलों की रिपोर्टें नहीं आयी हैं। पर यहां पूरे प्रान्त के आंकड़े रखे हुए हैं कि इतने टन पैदावार हुई है। अब मैं रेवेन्यू सेक्रेटरी की बात मानूं या चीफ स्टेटीशियन की मानूं ? अजीब संकट है !

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्य का मसला यों खिलवाड़ से तय नहीं हो सकता। कहते हैं कि विरोधी दल टीका-टिप्पणी करता है, सुझाव देता नहीं है, मगर कोई सुनने वाला भी तो हो। जब आंख है, मगर देखते हैं नहीं और कान है, मगर सुनते नहीं, तो क्या किया जाय,

[श्री त्रिलोकीसिंह]

मैं निवेदन कर रहा हूं कि उसमें अगर कोई ऐसी बात हो जो सही न हो तो मैं उसका पूरा प्रायश्चित करने को तैयार हूं । हम देखते हैं कि जमीन निकलती चली जा रही है और उस ओर कोई नहीं देखता ।

कहते हैं कि बच्चों की आबादी बढ़ गयी है । ६ करोड़ ३२ लाख आबादी के सन् १९५१ के आंकड़े थे । उधर से कहा गया कि ६ करोड़ २९ लाख । अगर वह समझते हैं कि मैं ज्यादा बढ़ाकर कहता हूं तो उससे उनकी ताईद हो जाती है । अनुमान है कि ७२ लाख पैदावार बच्चों की बढ़ गयी । लेकिन जो बच्चे इस साल पैदा हुए उन्होंने कितने टन अनाज खाया ? वह तो दुध-मुंहे बच्चे हैं । यह भ्रम है । इंगलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यू० एस० ए०, बल्कि सारे यूरप में जिस हिसाब से जन संख्या बढ़ती है उससे कम रेट उत्तर प्रदेश का है । सरकार भ्रम में डालने की बात कहती है । मेरा यह मतलब यह नहीं है कि लोग और बच्चे पैदा करना शुरू कर दें मैं इसका कायल नहीं हूं । फिर भी यह बात गलत है । आबादी का बढ़ना कोई कारण नहीं हो सकता । कान थक गये । परेशान हो उठा, हैरानी होती है जब यह बार-बार सुनने को मिलता है । किसी घर में राम राम करके बच्चा पैदा हुआ, आपको कोफ्त हो गयी कि क्यों पैदा हुआ । यह क्या तमाशा है ? वह शोभा नहीं देता है इस आदरणीय सदन में माननीय सदस्य और सरकार को ऐसी बात कहना ।

मैं यह निवेदन करूंगा कि बड़ी प्रशंसा की गयी अशोक मेहता कमेटी के बयान की । संतुलित विशेषणों का इस्तेमाल नहीं किया गया है लेकिन उसका कितना अंश पूरा किया गया है । गले गले पानी है । कहीं भी चले जाइये अनाज का अभाव है ।

सरकार ने आज्ञा निकाली कि जो अनाज इकट्ठा करेगा उसका स्टाफ सीज कर लेंगे । लोगों ने शिकायत की तो किसका स्टाक सीज किया ? आटा मिलों का किया गया । किसी ब्लैकमार्केटियर का या दुकानदार का भी किया गया जिसने बेचने के लिये अनाज जमा किया हो ? जहां खुला स्टाक था, जैसा कि मैं कहूं कि हम तो स्टेट बैंक का खजाना जब्त करने आये हैं । हमने क्या खोज निकाली ? यही कि स्टेट बैंक में ३ करोड़ रुपया मौजूद है जोकि सबको मालूम है । लेकिन जहां जब्ती की ब्लेक मारकेट रोकने के लिये नहीं बल्कि जनता को गुमराह करने के लिये की गई जैसे हम क्या करें बच्चे ज्यादा हो गये, फसल खराब हो गई और ब्लेक मार-केटियर्स ने अपने गोदामों को भर लिया । यह कोई बात नहीं है । बात यह है कि अन्न की पैदावार कम हुई और इसकी सूचक छः महीने पहले मिल चुका था और सरकार को चेतावनी भी दी गयी, लेकिन कोई गौर नहीं किया गया । हर बात की अवहेलना की गई ।

हमारे मन्त्री जी को लखनऊ के ही बाशिन्दा होने का गौरव प्राप्त है और वह यहां के नुमायन्दे हैं । नैनीताल से एलान किया गया कि मुहल्ला कमेटियां बनेंगी । लेकिन सवा महीना हुआ अभी तक नहीं बनीं । राशन कार्डस् के लिये चीखते हैं, चिल्लाते हैं और उनके बिना अनाज ब्लेक मारकेट चला जाता है । लोग चिल्लाते, हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है ।

श्रीमन्, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई आदमी जो एक रुपया रोज कमाता है । अगर वह अनाज लेने जाय तो उसे चार घंटे खड़ा रहना पड़ता है तब कहीं दो तीन रुपये का अनाज मिल पाता है । रिक्शेवाले और जमादार भी कहते हैं कि हम अनाज लेने नहीं जाते हैं क्योंकि अगर जांय तो दफ्तर से गैरहाजिर हो जायं वह भी अनाज नहीं खरीद सकते हैं । लेकिन बार-बार कहे जाने पर भी फैमिली कार्ड्स चालू नहीं करते ।

पूर्वी जिलों की हालत बहुत खराब हो रही है । कहते हैं कि भुखमरी नहीं है ? मैं तो कहूंगा कि भूखा रहना ही भुखमरी है । जब मर जायगा तो फिर आप क्या इलाज करेंगे । देखिये कितना अन्न पैदा हुआ ? उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश का हिस्सा १० छटांक का होना चाहिये । लेकिन पूर्वी जिलों में मुश्किल से ७ छटांक साधारण समय में आयगा । इस समय तो ५ छटांक के लगभग है । कहा जाता है कि गन्ने की पैदावार

बढ़ रही है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि कहां से इतने लोग गन्ना की पैदावार करने के लिये पैदा हो गये। १९२१ में देवरिया गोरखपुर में जहां कृषि योग्य भूमि में ८९ फीसदी अन्न की थी वहां अब ९० फीसदी अन्न की है।

नील का रोजगार खत्म हुआ, अफीम की काश्त खत्म हुई, आइल सीडस की काश्त खत्म हुई और उसके स्थान पर गन्ना बोना शुरू कर दिया। आज भी १० फीसदी से कम भूमि कमर्शियल क्राप्स की गोरखपुर और देवरिया में होती है। यह भी मुगालते की बात है कि हम खेती के लिये जमीन बनाते हैं, लेकिन लोग उसमें गन्ना बो देते हैं। बस्ती जो सब से बड़ा जिला है केवल ५० हजार एकड़ भूमि में गन्ना बोया जाता है।

श्रीमन्, मैं पुनः क्षमा मांगना चाहता हूं। कल मैं गैर हाजिर था और मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय सदन माफ करेगा। लेकिन मैं इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह जबानी गुफ्तगू से किसी का पेट नहीं भरने वाला है। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे सजग रहकर, सचेत रहकर ही सरकार निभा सकती है। बहानेबाजी ठीक नहीं है। जो हुआ सो हुआ। अब आगे के लिये कोशिश कीजिये। क्यों ऐसा समझते हैं कि जो कह दिया वह ठीक है और जो कर दिया वह ठीक है।

श्रीमन्, पूर्वी अंचल में अन्न की सख्त जरूरत है। अन्न वहां पहुंचे और सचमुच में ऐसी व्यवस्था हो कि वहां के लोगों को अन्न मिल सके। मेरी राय में राशन कार्ड्स के जारी होने में अब ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिये। मैं यह कह सकता हूं कि माननीय मंत्री मेरा भरोसा करें और एक वार्ड मुझे दे दें। वह लखनऊ का वार्ड हसनगंज मुझे दे दें। फिर देखें कि मैं ५ दिन में राशन कार्ड्स बनवाकर बटवा दूंगा या नहीं, इसमें गैरसरकारी लोगों से ही काम लूंगा। हर काम केवल सरकारी अहलकारों द्वारा नहीं हो सकता है। आजकल हर सरकारी कर्मचारी कहता है उसके पास बहुत काम है यह जानकर माननीय सदस्यों को अफसोस होगा।

लखनऊ में मोहल्ला कमेटी की मीटिंग थी। मीटिंग कहां रखी गयी? कैसरबाग कोतवाली में। मुझे हुजूर ने इजाजत दे दी है कि यहां पर मैं बैठ कर बोला करूं। वहां बैठने तक को नहीं। घास का मैदान हो तो बैठ जाऊं। खड़े-खड़े पंद्रह, बीस मिनट हो गये। जो गरीब डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर हैं—मैं उनको अपराधी नहीं ठहराता। उन्होंने देखा कि मजमा बढ़ रहा है तो वह ऐसे गायब हुए और कोतवाली के कमरे में दाखिल हुए, कि फिर दिखायी ही नहीं दिये। मैंने कहा भाई, अगर निकलेंगे तो सब लोग नोच लेंगे, इसलिये चलो यहां से। उनको फुरसत नहीं है काम करने की।

मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि गैर सरकारी स्तर पर और उनके सहयोग से ही खाद्य समस्या को हल करने में उत्पादन तथा वितरण में सफलता हो सकती है।

*श्री काशीप्रसाद पांडेय (जिला सुल्तानपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे इस विवाद में कुछ कहने का अवसर दिया।

श्रीमन्, यह खाद्य समस्या ऐसी जटिल समस्या है जिसका केवल वादविवाद से समाधान नहीं हो सकता। अगर इस समस्या का हल केवल सदन में काफी बहस मुबाहसे से हो जाय तो यह सबसे आसान साधन है। जब जुलाई में देर से पानी बरसने की सम्भावना हुई तो माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने गवर्नर साहब को एक पत्र लिख कर भेजा कि सदन को जल्दी से बुलाया जाय क्योंकि प्रदेश में भुखमरी की स्थिति पैदा हो रही है। बड़ी अच्छी बात है। यदि सदन बुला कर बैठक को हो जाय और यह समस्या हल हो जाय जिससे सारे प्रदेश में सब को अन्न मिल जाय तो यह बहुत आसान चीज है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीप्रसाद पांडेय]

श्रीमन्, मुझे आपके द्वारा सरकार और माननीय नेता विरोधी दल दोनों से यह अनुरोध करना है कि यह समस्या केवल बहसमुबाहसे से या यह कहने से कि हमने इतना कर दिया है दूसरी तरफ से हो कि इतना नहीं हो पाया है, इतना होना चाहिये, काम नहीं चलेगा। वास्तव में अन्न की कमी है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जहां अन्न की कमी प्रदेश में है उन जिलों को बिलकुल छोड़ दिया है। वास्तव में प्रदेश में ११ जिले हैं, जिनमें एक सुल्तानपुर जिला भी है, अभावग्रस्त हैं। लेकिन १९५२ से गोरखपुर, देवरिया बलिया जिलों का बार-बार नाम लिया जाता है। लेकिन वह जिले जहां बिना किसी दैवी आपत्ति के, सूखा और बाढ़ तथा अति वृष्टि के बाहर से गल्ला मंगा कर लोगों को खाने के लिये दिया जाता था उन जिलों का नाम ही नहीं लिया जाता। माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि पहले हमारे प्रदेश में रंगून या दूसरी जगहों से चावल या गल्ला आता था। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि सुल्तानपुर एक ऐसा जिला था और है जिसमें आज से पंद्रह वर्ष पहले बराबर लोग चार महीने केवल पटुआ, महुआ, मटर के ऊपर बसर करते थे और आज भी उसी पर बसर कर रहे हैं। लेकिन अगर आज कहें कि साखू के बीज खा रहे हैं, घास और पत्ते खा रहे हैं, बड़े बड़े पैम्फलेट निकाल दिये कि सब लोग पीपल के पत्ते खा कर बसर कर रहे हैं तो उसकी ओर सरकार ज्यादा ध्यान देती है। इसीलिये यह मर्ज बराबर बढ़ता चला जा रहा है। जहां वास्तविक अभाव है वहां पर सरकार को ओर से बिलकुल ध्यान नहीं दिया जाता। बड़े बड़े शहरों में जहां पर लोग चिल्लाये वहां पर २१ सौ दूकानें खोल दी गयीं। लेकिन सुल्तानपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, जो बिलकुल अभाव ग्रस्त हैं, खासतौर पर सुल्तानपुर के लिये मैं अनुरोध करूंगा वहां पर केवल ३० दूकानें मुश्किल से दी गयीं। वहां उस समस्या के समाधान के लिये ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस प्रकार गल्ले के उत्पादन की समस्या हल नहीं हो सकती।

इस प्रदेश में एक बार बाबा राघवदास की ओर से प्रयास किया गया था कि तालाबों को गहरा किया जाय। लेकिन जमींदारी समाप्त होने के बाद जिन तालाबों से तमाम लोग मिलजुल कर सिंचाई कर लिया करते थे, अब पट्टों में हो गये और उनमें जड़हन की खेती होने लगी। तो मेरा अनुरोध है कि सिंचाई के साधनों में बराबर सरकार ने उन्नति की, कुओं के लिये तकावी दे रही है, नहरें खोदी जा रही हैं, ट्यूबवेल के बनाये जा रहे है, लेकिन उनका समुचितरूप से प्लान के द्वारा नियोजित ढंग से प्रयोग किया जाय जिससे प्रदेश के गल्ले का उत्पादन बढ़ सकता है। बुंदेलखंड की जमीन इतनी सुन्दर है कि जो प्रदेश के बहुत से जिलों को गल्ला दे सकती है, लेकिन बुंदेलखंड का चर्चा इसलिये नहीं होता कि वहां पर अच्छी जमीन तो है लेकिन सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं किये गये हैं। यदि वहां पर छोटे-छोटे कुंए या सिंचाई की छोटी-छोटी योजना अधिक से अधिक कर दी जाती तो मेरा विश्वास है कि वहां की जमीन हमारे यहां की जमीनों से डेढ़ गुना पैदावार दे सकती थी। यदि वहां पर छोटे-छोटे, कुएं जिनके ऊपर यह सरकार विचार कर रही है, उपलब्ध कर दिये जांय तो उससे कई गुना पैदावार बढ़ सकती है। मुझे मालूम कि सरकार की ऐसी योजना है और वह करोड़ों रुपया इन योजनाओं के लिये देने का विचार कर रही है। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह प्रदेश में छोटी-छोटी योजनाओं को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करे। मेरा यह भी विचार है कि इस सिंचाई के साधन के साथ-साथ यदि प्रदेश में घी, दूध, दही और मट्ठे की कमी को भी दूर करना है तो पशुपालन पर भी ध्यान दिया जाय। पशुपालन विभाग कायम है और जिलों में थोड़ा सा रुपया भी पशुओं के लिये दिया जाता है जिससे अच्छी नस्ल सुधारने के लिये कुछ काम हो सके। लेकिन सरकार यदि इस बात पर ध्यान दे कि जो गरीब हैं जिनके पास पैसे का साधन नहीं है, पशु भी नहीं हैं और खेती पर काम करने वाले हैं मगर खेती नहीं है, क्योंकि खेती उनके पास हैं जो बड़े-बड़े बाबू हैं या बड़ी-बड़ी नौकरी पर है, उन काम करने वाले को यदि सरकार कुछ सुविधा दे तो इसमें बहुत प्रोत्साहन उन काश्तकारों को मिल सकता है।

इसके अलावा आप का माल विभाग जो तकावी की सुविधा देता है उसमें कुछ संशोधन होना चाहिये । उसके द्वारा काश्तकारों को पूर्ण सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती है । इसलिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि सिंचाई के साधन की सुविधा काश्तकारों को दी जाय, विशेषकर जब अक्तूबर के महीने में सूखा पड़ता है । उस समय काश्तकार ट्यूबवेल या नहर से सिंचाई करते हैं । यदि सरकार उस समय पूरी सिंचाई का नहीं तो आधा सिंचाई का लगान माफ कर दे तो उनको बहुत प्रोत्साहन मिल सकता है । उस माफी से लोगों का विशेष कल्याण तो नहीं हो सकता है, लेकिन सिंचाई माफी से, यदि हमेशा के लिये यह कर दिया जाय तो काश्तकार अधिक से अधिक फसल पैदा कर सकते हैं । अभी खरीफ की फसल में काश्तकारों ने गर्मी के दिनों में मेरे जिले में मूंग, ढैचा और धान की सिंचाई की, लेकिन उन्होंने सिंचाई ट्यूबवैल से की जहां पर उनको १, २ और ४ रुपया तक देनी पड़ी । वह उनके लिये बहुत ज्यादा हैं । यदि उस वक्त उनको चौथाई या आधा सिंचाई का पैसा देना पड़े तो वह अधिक से अधिक सींच कर पैदा कर सकते हैं । जो ४ महीने तक खेत खाली पड़े रहते हैं उनमें भी वे कुछ न कुछ पैदा कर सकेंगे । इस कारण श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय गेंदासिंह जी और माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि इस समस्या को यह बताकर कि यह ज्यादा से ज्यादा अन्न संकट हैं और यहां पर बहुत गरीबी है, हल नहीं किया जा सकता है । वास्तव में मान्यवर, काश्तकारों को प्रोत्साहित किया जाय तो वह अधिक से अधिक अन्न पैदा कर सकते हैं । वे बराबर प्रयत्नशील हैं, लेकिन उनके सामने दिक्कते हैं । उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया जाय । केवल मालगुजारी माफ कर देने से अन्न की पैदावार नहीं बढ़ेगी । जहां करोड़ों रुपये का गल्ला काश्तकार बेचते हैं तो उनसे व्यापारी अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसके लिये काफी नियन्त्रण की आवश्यकता है । उनके जखीरों को चाहे आप जप्त करें या समझौता करें जो तरीका आप ठीक समझें करे, लेकिन काश्तकारों को जो मई के महीने में घाटा पड़ता है वह उसको नहीं होना चाहिये । वह खर्चे के लिये कुछ दे सके तो ठीक है, लेकिन व्यापारियों के ऊपर आपका नियन्त्रण होना चाहिये । बाजार भाव पर उनसे अन्न लिया जाय और उनको अधिक से अधिक सुविधा देने की आवश्यकता है । जमीन के लिये जो तकावी देने के नियम हैं उनमें संशोधन होना चाहिये ।

जहां तक मालगुजारी का सवाल है जिन छोटे काश्तकारों की मालगुजारी २ साल या ३ साल से रुकी पड़ी हुई है, गरीबी के कारण जो नहीं दे सकते हैं उनकी मालगुजारी माफ हो जानी चाहिये । मैं यह भी मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो ५, १० रुपये के काश्तकार हैं और कई साल से गरीबी के कारण नहीं दे सके हैं उनको अवश्य सहायता दी जानी चाहिये ।

*श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, इस बात पर कोई दो रायें नहीं हैं कि प्रदेश में खाद्य स्थिति खराब है । माननीय मंत्री जी ने भी अपने भाषण में यह स्वीकार किया है कि जो भी इस समय तक दिया जा चुका है वह इतना पर्याप्त नहीं है और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जो खाद्य की स्थिति हमारे प्रदेश में मई में थी वही आज भी है । ऐसी स्थिति में जब कि राज्यपाल महोदय के संबोधन के बाद से आज तक वही स्थिति है और अगर ऐसे ही चला तो कैसे जनता का काम चलेगा ? बहुत अधिक दूकानें शहरों में हैं और जो तालिका है उसके देखने से पता चलता है कि ग्रामों में बहुत कम दूकानें खोली गयी हैं । अध्यक्ष महोदय, ३५ हजार और १५ हजार लगभग ५० हजार टन गल्ला मासिक जो वितरण किया जाता है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने प्रश्नोत्तर के समय बतलाया था, उससे प्रदेश का काम नहीं चल सकता और आज हम बाहर की सहायता पर अधिक निर्भर नहीं रह सकते । हम यह देखते हैं कि प्रदेश में कोई भी खरीफ या रबी का आन्दोलन तब चलाया जाता है कि जब वह बिलकुल बेकार सिद्ध होता है । खरीफ का आन्दोलन प्रदेश

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री टम्बरेश्वर प्रसाद]

में उस समय चलाया गया कि जब किसान खरीफ की फसल बो रहा था। सरकार को पता नहीं कितना रुपया भत्ते की शकल में देना पड़ा किन्तु आन्दोलन सफलता न प्राप्त कर सका। इसका विशेष कारण जो मेरी समझ में आया वह यह है कि कृषि का पूर्णरूपेण ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम लोगों का आन्दोलन नहीं चलता वरन् एवं दम सोचते हैं और आन्दोलन चला देते हैं।

यह एक सर्वमान्य बात है कि अपने देश की कृषि में हर ५ वर्ष में दो वर्ष अच्छे आते हैं और तीन खराब। जब सामान्यतः दो गुड इयर्स बीत चुके थे तो यह पता होना चाहिये था विभाग को और हमारे माननीय मंत्री जी को कि अब तीन वर्ष खराब आने वाले हैं और उस के लिये पहले से तैयारी करनी चाहिये थी। पहले से साधन जुटाने चाहिये थे। मैं जानता हूं कि हम तात्कालिक समस्या की ओर अधिक ध्यान देते हैं। हम देखते हैं कि इस समय किस बात की कमी है और आगे के लिये नहीं देखते। आज तो अमरीका का गेहूं प्रदेश में आ गया और थोड़े भूखे लोगों की भूख मिट गई, लेकिन कल रबी के लिये जब गेहूं के बीज की समस्या हमारे सामने आयेगी तो उस समय मंत्री महोदय पुनः कहेंगे कि हमने तो इस समस्या को नहीं देखा था और हम नहीं जानते थे कि बीज की कमी पड़ जायगी। आज तो हम राजस्थान से चना मंगा कर यहां खाने के लिये इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कल वहां का चना बोने के लिये यहां उपयोगी साबित नहीं होगा। इसलिये आगे आने वाली बीज की समस्या का प्रबन्ध अभी से किया जाय। जो गेहूं यहां से दिया जा रहा है, उसके लिये यद्यपि कहा गया है कि वह १५० रुपये से ज्यादा आमदनी वालों को नहीं उपलब्ध होगा, लेकिन जैसा नेता विरोधी दल ने अभी कहा कि दो, चार रुपया कमाने वाला व्यक्ति हिम्मत ही नहीं करेगा कि वह गेहूं को खरीदे। तो ऐसी दशा में उस गल्ले का क्या होगा? वह गल्ला ब्लैक में आयेगा और विशेष-कर उन लोगों के पास कि जिनकी आय २०० रुपया प्रतिमास से अधिक है अथवा आप होटलों में उसे देख और चख सकते हैं कि वह कितना बढ़िया है। ग्राम के कृषक तो उसको खाने के लिये तैयार भी न होंगे।

अब मैं गन्ने की बात करता हूं। कहा गया कि गन्ने के कारण गेहूं, जौ और चने का एरिया कम हो गया है। गन्ने की उपज में एक एक्सचेंज वैल्यू है। गन्ना अधिक मूल्य पर बिकता है और अगर गन्ने के द्वारा हमको रुपये की शेप में कुछ मिल जाय तो हम गेहूं खरीद सकते हैं। इसके बाद भी गन्ने की खेती का अधिक उत्पादन उस रूप में हमारे सामने उतना नहीं आता, जितना कि वह कहा जाता है और बार-बार यह प्रश्न उठाना कि गन्ने के कारण गेहूं नहीं मिलता, इससे अधिक यह बात लागू होती है कि वहां बेरोजगारी अधिक है और उसको मिटाने के लिये सरकार की ओर से कोई उपाय नहीं किये गये। १०, १५ कुएं बनवाने से उन लोगों की समस्या हल नहीं हो सकती जिनके पास केवल १ या आधा एकड़ भूमि है। सामान्य रूप से हम जानते हैं कि जिस किसी भाग में गल्ले की कमी होती है वहां सबसे पहले रोजी की कमी होती है। जो आदमी अपना खेत नहीं जोत सकता है वह मजदूर से काम लेता है। वर्षा न होने पर वह मजदूरी भी नहीं मिल पाती है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे पूर्वी जिलों को सर्वे करने का थोड़ा अनुभव है और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि गन्ने की मजदूरी को छोड़कर जिसमें नकद पैसे मिलते हैं, बाकी में केवल ३ पाव जौ के हिसाब से प्रतिदिन मजदूरी मिलती है जिसे सारा परिवार खाता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछूंगा कि उनके टेस्ट वर्क्स से ऐसे परिवारों को क्या सहारा लग सकता है और वे कितनी दूरी पर टेस्ट वर्क्स के लिये जा सकते हैं? मैं विशेषतया कहूंगा कि जब खाद्यान्न की समस्या न्याय मंत्री जी के हाथ में है तो वह कबतक इस प्रकार का अन्याय सहन करते रहेंगे। वह कहते हैं कि हम लोग राजनीतिक स्टंट बनाने के लिये तमाम प्रदर्शन और इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। मैं मंत्री जी से वह रास्ता जानना चाहूंगा कि जो आज प्रदेश की तमाम जनता भूख के पीड़ित है, सरकार के कलेक्टर या रेवेन्यू स्टाफ ने क्या रिपोर्ट सरकार को या चरणसिंह जी को दी है।

कल सदन में जो उनका व्यवहार, चरणसिंह जी का, मैंने विरोधी दल के प्रति देखा या माननीय गेंदासिंह जी के भाषण पर जिस प्रकार वह हंस रहे थे उससे मुझे तो कम से कम नया सदस्य होने के नाते यही आभास हुआ कि ऐसी गम्भीर समस्याओं को भी हमारे मंत्रिगण इसी तरह लिया करते होंगे, वर्ना उनके अधिकारियों ने उनको यही सूचना दी है कि प्रदेश के किसी भाग में भी लोग अन्न के संकट से पीड़ित नहीं है। आज पंचायत टैक्स, लगान और सिंचाई टैक्स में काश्तकार के खेती के साधन बिके जा रहे हैं। उसके बैल बिकवाये जा रहे हैं और कल उससे कहा जायगा कि जमीन जोतो और गल्ला पैदा करो। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने, आज के लिये नहीं, कल के लिये क्या व्यवस्था की है? क्या उन्होंने सर्वेक्षण किया है कि लोगों के पास काफी बैल, बीज और सिंचाई के साधन हैं? प्रदेश की आज कितनी भूमि बगैर बोई पड़ी हुई है, इसे सरकार ने कभी सोचा है कि उसका क्या उपाय होना चाहिये? जब जनता भूख से पीड़ित है तो प्रदर्शन नहीं करेगी सो क्या करेगी?

श्री अध्यक्ष--अभी आपके ५ मिनट बाकी है। अब आप बाद में बोलेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--उपाध्यक्ष महोदय, आज धनुषधारी सिंह जी कह रहे थे कि बस्ती में जो कुछ हुआ बताया जाता है, वह सब गलत है। मैं माननीय धनुषधारी जी को बता देना चाहता हूं कि अगर वह केवल पोलीटिकल स्टंट था तो १० हजार की जनता वहां क्यों आयी थी। प्रदेश में और स्थानों पर इस प्रकार से प्रदर्शन के लिये जनता इकठ्ठा क्यों नहीं हो जाती है? जब किसी का पेट भरा होता है तो वह ऐसी बातें करता है? उपाध्यक्ष महोदय को यह तो ज्ञात होगा कि मतदान देने के लिये केवल ४०-५० प्रतिशत लोग ही आ पाते हैं तो फिर १० हजार की जनता वहां बेकार कैसे आ गयी और फिर महिलाएं वह तो भारतवर्ष में बेकार कहीं नहीं निकलती हैं। यह बात भी कही गयी कि दस रुपया देकर डाक्टर से जांच करायी गयी। जब उसकी जांच नहीं की गयी तो रुपया दे कर जाचं करवानी पड़ी। अगर फ्री मेडिकल सुविधा दी जाती तो रुपया देकर क्यों जांच करानी पड़ती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर स्थान राजनीति के प्रोपेगेंडे का स्थान नहीं होता। लेकिन अगर मान भी लिया जाय कि केवल राजनीति के कारण से ही वहां १० हजार जनता इकठ्ठा हुई थी तो फिर मैं पूछता हूं कि अहेन में किस प्रकार की राजनीति थी। वहां तो दोनों पक्ष सरकारी दल के लोगों के ही थे। आज उतनी बड़ी घटना पर पर्दा पड़ा हुआ है। इसके लिये लोग कहते हैं कि कहना गलत है। इससे केवल एक ही बात मालूम होती है और वह उनकी मनोभावना है कि किसी प्रकार से विरोधियों को कुचलना चाहिये। चाहे तो वे न्यायमंत्री जी हों, चाहें गृहमंत्री जी हों, और चाहे कृषि मंत्री जी हों, एक बात अवश्य है कि इस प्रकार की घटनाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और कैसे दिया जा रहा है कि जब सरकारी पक्ष उनमें होता है तो नीचे से ऊपर तक सरकारी कर्मचारी कांग्रेस का पक्ष लेते हैं। जब इस प्रकार की घटनाओं में लाठीचार्ज होता है और उसकी जांच कराने के लिये भेजा जाता है तो उनको ही भेजा जाता है जिन लोगों ने उसमें भाग लिया हो। तहसीलदार ने महिला को काटा और एस० डी० ओ० ने एक महिला के बाल खींचे। जब जांच हुई तो उन्हीं के द्वारा संकलित करायी गयी। जिस प्रकार से अहेन की जुडीशियल इंक्वायरी की मांग की गयी थी, उसी प्रकार से नौगढ़ में भी जुडीयिल इंक्वायरी की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, अब समय थोड़ा रह गया है, उसी थोड़े समय में मैं कह देना चाहता हूं। अगर सरकार कोई आन्दोलन चलाती है तो उसको सब पक्षों को साथ में लेकर चलाना चाहिये। जब भी पूर्व में इस प्रकार की खाद्य समस्या के बारे में आन्दोलन चला है, दावतों को बंद कर दिया गया है। मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी दावतों को बंद कर दें।

[श्री टम्बरेश्वरप्रसाद]

मैं प्रार्थना करूंगा कि अध्यापकों और विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देकर खरीफ आन्दोलन मे लगाया जाय। तत्काल किसानों का लगान आधा कर दिया जाय। सिचाई की दरों को कम किया जाय। किसानों को बैल और बीजों की सुविधा दी जाय। माननीय राजस्व मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं यह पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि लोगों की यह मांग है कि उनकी बढ़ी हुई दरों को कम किया जाय। उन्होंने कहा था चकबन्दी के संबंध में कि अगर कोई माननीय सदस्य निजी आधार पर यह बात कह देंगे कि मुझे व्यक्तिगत रूप से इसकी सूचना है तो उसको वे तत्काल मान लेंगे। भुखमरी की समस्या उससे कहीं अधिक महत्व की है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस संबंध में इतनी उदारता और दिखलावें कि अगर कोई माननीय सदस्य निजी जानकारी के आधार पर यह बतलावें कि इस क्षेत्र में भुखमरी है तो उसको वे मान लें। मैं यह नहीं कहता कि वे बिना किसी तरह की जांच किये हुए ही उसे मान लें, ऐसे चकबन्दी के संबंध में तो शायद उन्होंने बिना किसी तरह की जांच के ही मान लेने को कहा था, लेकिन इस संबंध में वे स्वयं जांच करके मान लें, एक अधिकारी जो निष्पक्ष हो, जिसके बारे में किसी तरह का सन्देह नहीं हो किसी के यह कहने पर कि यहां इतनी दूकानें खुलनी चाहिये, उसकी जांच के लिए एक निष्पक्ष अधिकारी नियुक्त कर दें जो इस बात की जांच कर ले।

नौगढ़ की खुली जांच के लिये जनसंघ मांग करता है और वह इसलिये करता है कि आज प्रश्नोत्तर के समय माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया वह इतना निराशा-जनक रहा कि उससे यह पता चलता था कि एक पक्ष का किसी न किसी प्रकार से गलत या सही रूप में समर्थन किया जा रहा है।

स्थान स्थान से, जिले जिले से दूकानें खोलने के संबंध में मांग आ रही है। बड़े-बड़े नगरों में, कावाल टाउंस (KAVAL Towns) में सौ डेढ़ सौ दूकानें खोल दी गयीं, लेकिन छोटे छोटे नगर हैं, जैसे रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी आदि जिलों में जहां के लिये दूकानें खोलना तय भी हो गया है, वहां उनके खुलने की नौबत नहीं आयी। बड़े-बड़े शहरों में जहां म्युनिसिपैलिटीज़ है, वहां वहां तो दूकाने खोल दी गयीं। लेकिन आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया जो कि पुराने उजड़े हुए बड़े बड़े नगर हैं, जो कभी आबाद थे, जहां की जनता के पास कोई अच्छा रोजगार नहीं है वहां कोई मजदूरी नहीं है, वहां कोई मिल नहीं है, वहां लखनऊ शहर की तरह बड़े बड़े मकान नहीं बना करते, वहां कोई विशेष मरम्मत के काम नहीं निकला करते, ऐसे स्थानों के लिये कमसे कम एक एक दुकान या जहां की आबादी १०, १५, १८ हजार तक हो, आप कम से कम इन दो महीने के लिये इस प्रदेश के अन्दर अवश्य खोलने की कृपा करें।

अभी कुछ रोज पहले रबी आन्दोलन की घोषणा की गयी है कि रबी आन्दोलन को चलाया जाय। इसी तरह से खरीफ आन्दोलन चलाया गया और जनता में थोड़े समय के लिये अखबारों द्वारा प्रचार के लिये एक चीज़ हो गयी, और आप लोगों के दौरे वगैरह का एक साधन बन गया, तो अभी कई और भी साधन निकल सकते हैं, और किसी प्रकार से ऐसा उद्घाटन हो सकता है। अच्छा तो यही है कि थोड़े दिनों के लिये इस प्रकार के आन्दोलन को न चलाया जाय तो ज्यादा कामयाबी हो सकती है। यह कहा गया कि विरोधी दल के लोग इस तरह के आन्दोलन में किसी प्रकार की सहायता नहीं देते हैं जब प्रदेश में कोई योजना बनाने का सवाल आता है और उसे कार्यान्वित करने का सवाल आता है तो उसमें कोई मदद नहीं देता है। मैं बतलाना चाहता हूं कि जब खरीफ आन्दोलन प्रारम्भ किया गया था तो आपने विरोधी पक्ष से कोई भी राय नहीं ली कि आपा किस रोज से आन्दोलन प्रारम्भ होना चाहिये और उसकी तिथि क्या हो और उसके लिये क्या सुविधा उपलबन्ध होनी चाहिये। प्रदेश की कितनी आवश्यकता है, इसकी कोई

जांच नहीं की और एक दिन एक परिपत्र माननीय सदस्यों के पास चला गया कि आप लोग खरीफ आन्दोलन के लिये अधिक से अधिक सहायता दें ।

श्री उपाध्यक्ष---समय समाप्त , आप कृपा कर के बैठ जायं । माननीय माल मंत्री जी तो हैं नहीं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---कोई मंत्री नहीं है, श्रीमन् ।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में दो राये नहीं हो सकतीं कि प्रस्तुत सवाल केवल इस प्रदेश के लिये ही नहीं बल्कि देश के लिये भी एक बड़े महत्व का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष---इस बात का आप ध्यान रखें कि १० मिनट से ज्यादा आपको मिलेगा नहीं ।

श्री शिवराजसिंह यादव---मेरा यह निश्चित मत है कि जिन्दगी के और पहलुओं में तरक्की करना आसान नहीं है जब तक कि खाद्य की समस्या हल नहीं हो जाती । अन्य क्षेत्रों की उन्नति को आगे बढ़ाना और उसे कायम रखना गैरमुमकिन बात है जा तक कि खाद्यान्न का सवाल हल नहीं हो जाता बदकिस्मती से कुदरती आफात से और दूसरी वजूहात से प्रदेश के अन्दर आज अन्न का अभाव है जिससे यह सवाल सारे सूबे में एक बड़े महत्व का दिखलायी पड़ता है । वास्तव में यह सब से बड़ा अहम मसला है जिसको हमें सब से पहले हल करना है । श्रीमन्, मेरा यह अन्दाजा है कि प्रदेश में इस मात्रा में कम गल्ला पैदा नहीं हुआ है जिस प्रकार की उसकी कीमतें बढ़ गयी हैं और साथ ही साथ गल्ले की पैदावार इतनी ज्यादा भी नहीं हुई है कि सरकार द्वारा गल्ले की खरीदारी पूरे तरीके से प्राइवेट ग्रेन डीलर्स के हाथ में छोड़ दी जाय । सरकार के लिये निश्चय ही आज की हालत को देखते हुए सोशलाइजेशन इस गल्ले की खरीद के संबंध में करना आवश्यकीय है ।

इसके साथ ही साथ गल्ले की कीमतों को तय करना भी बहुत आवश्यकीय है । इस प्रदेश में ही नहीं, दुनिया के और मुल्कों में जहां पर गल्ले की पैदावार प्लेन्टिफुल भी है वहां की सरकारें गल्ले की खरीद व फरोख्त में पूरा-पूरा दखल रखती हैं । आस्ट्रेलिया व कैनाडा में व्हीट बोर्ड मौजूद है और इसी तरह से बर्मा, इटली व जापान के अन्दर चावल की खरीदारी पूरे तौर से वहां की सरकार की एजेंसियों के द्वारा करायी जाती है । यहां पिछले ५-७ सालों से गल्ले की खरीद प्राइवेट डीलर्स को दे दी गयी । उसका असर यह हुआ कि उससे भारी फ्लकचुएशंस प्राइसेज में हुए । मेहता कमेटी की फूड ग्रेन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ज्वार जो मोटा अनाज है ५३ से ५५ तक में उसके दामों में ६० प्रतिशत कमी हुई और ५६ में ४० प्रतिशत उसके दामों में बढ़ोत्तरी हुई । इस फ्लकचुएशन का यह असर हुआ कि कंज्यूमर को ज्यादा दाम देने पड़े और वे दाम किसान की जेब में न पहुंच कर प्राइवेट ग्रेन डीलर्स की जेब में पहुंचे, जिसके फलस्वरूप ग्रेन डीलर्स की संख्या में बहुत काफी बढोत्तरी हुई । जहां गल्ला कम पैदा हुआ, जहां लोगों को भूख मिटाने के लिये अधिक गल्ले की जरूरत थी वहां एक दूसरी भूख का जन्म हुआ जिसे हम कहेंगे व्यावसायिक भूख । जहां पश्चिमी जिलों में ग्रेन सरप्लस होता था वहां गल्ले की खरीदारी पर सोशलाइजेशन नहीं किया गया और हमने पश्चिमी जिलों में इस गल्ले की व्यवसायिक भूख को काफी बढ़ावा दिया । नतीजा यह हुआ कि अब जब गल्ले की कमी से शहरों की मंडियों मे गल्ला कम आया तो वहां के ग्रेन डीलर्स ने उसको शीघ्रातिशीघ्र उठा लिया जिसके परिणामस्वरूप गल्ले के दाम बढ़ गये । पिछले कुछ सालों से ग्रेन डीलर्स के काफी मुनाफा उठाने के कारण उनकी संख्या में जो वृद्धि हो गयी है उसने खाद्य की स्थिति को और भी गम्भीर कर दिया है । मिसाल के लिये इसके संबंध में जो अभी तक गल्ले के भावों के आंकड़े उपलब्ध हुए हैं वे इस बात के द्योतक हैं कि पश्चिमी जिलों में गल्ले के दामों में पूर्वी जिलों के मुकाबले में, जो हालांकि डेफिसिट एरिया है, कहीं ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है ।

[श्री शिवराजसिंह यादव]

इसके अतिरिक्त मेहता कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सन् ५५ में २० बैंकों ने गल्ले की खरीद पर जहां जो होल सेल ग्रेन डीलर्स को १८ करोड़ रुपया दिया वहां १९५७ में बढ़ कर वह रकम ४३ करोड़ हो गयी। यह इस बात का सबूत है कि प्राइवेट होलसेल ग्रेन डीलर्स की गल्ले की खरीदारी काफी मात्रा में बढ़ी। मेरी अपील यह है कि जब तक हमारा गल्ले का उत्पादन इतना ज्यादा न हो जाय कि जो हमारी जरूरत से ज्यादा हो तब तक सरकार गल्ले की खरीदारी से प्राइवेट होलसेल डीलर्स को अलग कर दे और इस व्यवसाय को पूरे तौर से सोशलाइज करना अत्यन्त आवश्यकीय है।

आज की हालत में गल्ले की पैदावार बढ़ाना सरकार का अहम कर्त्तव्य है और उस पैदावार के बढ़ाने में सबसे जरूरी चीज यह है कि सरकार मुनासिब कीमतें दे। आज गल्ले के संबंध में प्राइस फिक्सेशन अत्यन्त आवश्यकीय है। यह खयाल करना कि गांव का किसान सिविलाइज्ड नहीं है किसानी महज एक वे आफ लाइफ है। इससे काम चलने वाला नहीं है। आज की एकानामी में किसानी बहुत आवश्यकीय है, वह देश की रीढ़ की हड्डी है। इसलिये गल्ले की कीमतें रेम्युनरेटिव दाम के ऊपर कितनी लागत हुई, कितना देना है, इस बात पर सरकार विचार करके नियंत्रण अवश्य करे। आज जो सरकार की अधिक अन्न उत्पादन की योजनाएं हैं उनके संबंध में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २२ परसेन्ट अन्न की वृद्धि अच्छे बीज से बैठाने की बात है। अच्छे बीज की जो सरकारी परिभाषा है वह वेट लैंड सीड की है। आज जब कि प्रदेश में ७० परसेंट लैंड ड्राई है तो क्योंकर सारे एरिया के लिये वेट लैंड सीड उचित है, आज जो ७० परसेंट लैंड ड्राई है उसके लिये अवश्य ही वह सीड जो ड्राई लैंड के लिये अच्छा हो, वह रखा जाना चाहिये। अधिकांश बीज गोदामों में मैंने देखा है सारे का सारा बीज जो वहां मौजूद होता है वेट लैंड के लिये सूट करता है।

एक बात के लिये मैं सरकार को जरूर बधाई देना चाहता हूं कि सरकार ने अपना इम्फैसिस बड़ी इरीगेशन प्रोजेक्ट्स से हटाकर के, छोटे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पर लगा दिया है। अवश्य ही इसमें कम खर्चे में ज्यादा लाभ पहुंचेगा। देहात में ज्यादा लोगों को इम्प्लायमेंट मिलेगा और सरकार के ऊपर रेकरिंग खर्चा भी घटेगा। इससे अधिक उत्पादन में बढ़ावा मिलेगा। लेकिन श्रीमन्, मैं बड़े अदब से निवेदन करूं कि इरिगेशन बढ़ाना जभी सम्भव है जब कि हमारे प्रदेश में खाद और मैन्योर का इस्तेमाल बढ़ जाय। हम खेती को पानी जभी ज्यादा लगा सकते हैं जब कि खाद की सप्लाई ज्यादा हो। यह देखकर मुझे थोड़ी हैरत हुई कि प्रदेश के अन्दर पिछले वर्ष के अन्दर लाइवस्टाक के जो आंकड़े हैं वह बताते हैं कि हमारे प्रदेश के अन्दर लाइवस्टाक बराबर घट रहा है जिसके फलस्वरूप हमारे यहां गोबर वगैरह की खाद भी घट रही है। इसके अतिरिक्त गोबर काफी मात्रा में जलाया जाता है। तो सरकार से मैं अपील करूंगा कि इस बात के ऊपर काफी ध्यान दिय जाय कि गोबर कम से कम जलाया जाय और उसकी जगह दूसरा पयुएल इस्तेमाल किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय माल मंत्री, आप साढ़े तीन बजे तक अपना भाषण करेंगे। माननीय अध्यक्ष यह व्यवस्था दे गये हैं कि माननीय माल मंत्री को एक घंटा समय दिया जाय। वह मैंने बता दिया।

*वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी और अध्यक्ष महोदय की बड़ी कृपा है कि उन्होंने एक घंटे का समय मुझे दिया और वह उचित भी था क्योंकि जैसा मैंने पूर्व अवसर पर भी कहा था कि एक्यूज करना, अभियोग लगा देना आसान है, सेंटीमेंट्स को अपील करना, भावनाओं को उभाड़ना और उकसाना आसान है, लेकिन अपने देश की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मौजूदा आर्थिक स्थिति में उसका विकास करना, लोगों में आशा का संचार करना और साथ ही प्रजातांत्रिक प्रणाली को कायम रखना मुश्किल है। तो उसकी सफाई में समय लगता ही है। मैं फिर आपका कृतज्ञ हूं।

मैं बहुत विनय के साथ और बहुत नम्रता के साथ यानी किसी कंट्रोवर्शियल स्पिरिट से नहीं बल्कि अगर हो सके तो कुछ जिज्ञासा भाव से कुछ बातें आपकी इजाजत से माननीय गेंदासिंह जी, माननीय मदन पांडेय जी, माननीय राजनारायण सिंह जी और अब्दुल रऊफ जी, माननीय त्रिलोकीसिंह जी तथा जितने मेम्बर मेरे सामने बैठे हैं और कुछ वह मित्र जो मेरे दायें बायें बैठे हैं, उनके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं और फिर जानना चाहूंगा कि अगर मेरे मित्र इधर होते तो वह क्या करते ? क्या उनके सुझाव, रचनात्मक सुझाव हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से केवल बहुत संक्षेप में इस गवर्नमेंट ने जो किया है १६ जिलों के लिये जो रिलीफ वगैरह दिया, ग्रेचुटस रिलीफ दी, और रुपये पैसे की जो इमदाद की जा सकती थी, तकावी की और टेस्ट वर्क वगैरह खोलकर वह मैं टोटल सुनाऊंगा जिलेवार यहां सुनाने के लिये वक्त नहीं मिलेगा।

१९५४–५५ में १ लाख ६५ हजार का ग्रेचुटस रिलीफ इन १६ जिलों में, ९ जिले गोरखपुर और बनारस डिवीजन के और बांदा, इलाहाबाद, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, इस तरह से १६ जिले जहां पिछले साल काफी तकलीफ थी लोगों को, केवल उसी के आंकड़े इकट्ठे कराये थे, जब कि फसल बहुत अच्छी थी तब इतना अहेतुक सहायता के तौर पर खर्च किया गया। १९५५–५६ में जब कि बड़ी भारी बाढ़ आयी ४९ लाख ७७ हजार रुपया ग्रेचुटस रिलीफ में खर्च किया गया। १९५६–५७ में ४६ लाख ६१ हजार रुपया खर्च किया गया। यह वर्ष जो बीता है, १९५७–५८ उसमें ३७ लाख ६३ हजार रुपया खर्च किया गया और १९५८–५९ जिसके केवल ३ महीने ही बीते हैं अब तक, ३ लाख ८७ हजार रुपया खर्च हो चुका है।

टेस्ट वर्क, जो लोग स्वाभिमानी हैं ग्रेचुटस रिलीफ नहीं मंजूर करना चाहते और न करना चाहिये, उनको मजदूरी का बहाना करके जो पैसा दिया गया है उसके आंकड़े भी बता देना चाहता हूं आपकी इजाजत से। मैं सन् १९५४–५५ से आंकड़े दे रहा हूं साल ब साल। १९५४–५५ में २ लाख ५० हजार, १९५५–५६ में १० लाख ८० हजार, १९५६–५७ में १४ लाख ५० हजार, १९५७–५८ में २६ लाख ९३ हजार और इस वर्ष १३ लाख ८९ हजार रुपया इन तीन महीनों में खर्च हो चुका है।

हालांकि १६ जिलों के आकड़े मैं सुना रहा हूं, लेकिन उन ९ जिलों को छोड़कर जो गोरखपुर और बनारस डिवीजन के हैं बाकी जो ७ जिले हैं उनमें पिछले साल विशेष खर्च नहीं करना पड़ा। इसलिये पिछले साल के आंकड़े छोड़ कर सब आंकड़े ९ ही जिलों के समझे जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, तकावी जो केवल रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई, उसके अलावा ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ऐनीमल हस्बेंडरी विभाग, केन डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और प्लानिंग विभाग भी तकावी देते हैं, लेकिन केवल महकमें माल से ऐक्ट १२ और १९ के अन्तर्गत जो तकावी दी गई वह इस प्रकार है। १९५४–५५ में ४५ लाख ९९ हजार, १९५५–५६ में १ करोड़ १० लाख ६९ हजार, १९५६–५७ में १ करोड़ १५ लाख ३५ हजार, १९५७–५८ में यानी पिछले वर्ष, ५० लाख २२ हजार और इस वर्ष ३३ लाख ८८ हजार, इन तीन महीनों में दी जा चुकी है।

रेमीशन इन लैंड रेवेन्यू १९५४–५५ में ४२ लाख ७ हजार ८ सौ, १९५५–५६ में ८० लाख २८ हजार, उसके बाद १ करोड़ ८५ लाख ३९ हजार और १ करोड़ ८९ लाख १२ हजार रुपये की रेमीशन हुई। और उपाध्यक्ष महोदय, जो मालगुजारी हमारे इन ९ जिलों की है वह ७ करोड़ से कम है। तो ७ करोड़ की मालगुजारी और १ करोड़ ८९ लाख १२ हजार

[श्री चरणसिंह]

का रेमीशन पिछले वर्ष दिया गया । यह मैं आंकड़े केवल इसलिये सुना रहा हूं ताकि हम लोगों को अनुमान हो जाय कि कितना गवर्नमेंट की तरफ किया जा रहा है, क्योंकि अंजाने भी बहुत से गलत अनुमान निकाले जाते हैं और उससे जो अनुमान निकलता है उनका कोई फायदा नहीं होता, जनता का कोई फायदा नहीं होता और गवर्नमेंट के साथ अन्याय होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय मैंने यह आंकड़े कुल १९ जिलों के सुनाये । अब केवल देवरिया जिले के आंकड़े जो हैं, वह जो औसत पूरे इन जिलों का है, उससे ज्यादा रिलीफ वहां मिला । लेकिन क्योंकि मेरे पास मुश्किल से ५५ मिनट हैं इसलिये छोड़े देता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, लैन्ड रेवेन्यू में सस्पेंशन १९५८–५९ में ३ लाख २३ हजार रुपये का किया गया । अभी वह सस्पेंड ही कर सकते हैं १९५८–५९ का जो वर्ष शुरू हुआ है उसमें रेमिट नहीं कर सकते हैं केवल सस्पेंड करके सिफारिश करते हैं गवर्नमेंट को कि इतना रुपया रेमिट किया जाय । यह रेमिशन आम तौर से रबी में किया गया । सन् १६–५७ में ३ लाख ९४ हजार दिया गया, ५७–५८ में ११ लाख ३८ हजार का । अब तकावी का सस्पेंशन सन् ५६–५७ में हुआ १५ लाख १ हजार का, सन् ५७–५८ में हुआ ६ लाख ६ हजार ८३२ का और इधर के इन ४ महीनों में हुआ ६ लाख २ हजार रुपये का । हमने सन् ५६–५७ में २४ लाख रुपये तकावी के माफ किये जबकि हमारे पुराने लायक दोस्त कहते हैं कि कुछ नहीं होता ....

श्री गुरुबख्श बहादुर शाह (जिला खीरी)––प्वाइन्ट आफ आर्डर, श्रीमन्, मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी सदन में किसी माननीय सदस्य को पुराना दोस्त कहकर रेफर कर सकते हैं और क्या.....

श्री उपाध्यक्ष––आप नाम बता दें दोस्त का तो अच्छा हो ।

श्री चरणसिंह––वह तो आप भी समझ गये, वह दोस्त भी समझ गये और शाह साहब और श्री राजनारायण जी भी समझ गये, अब मैं समझता हूं नाम बताने की जरूरत नहीं है । तो मैं यह कह रहा था कि २४ लाख की तकावी माफ की गई, उसमें से देवरिया में ५२ हजार की माफ की गई । अब इन ३ साल में जो इस की तकसीम हुई वह ऐसे है कि सन् ५६–५७ में १५ लाख ५ हजार, ५७–५८ में १० लाख ९५ हजार और इस वर्ष ३–४ मास में ३ लाख ५२ हजार, तकसीम हो चुकी है । यह रेवेन्यू विभाग की ओर से है । अब ग्रेटुटस रिलीफ जो दी गई वह सन् ५६–५७ में १३ लाख ५२ हजार, सन् ५७–५८ में १४ लाख ७० हजार और इन ४ मास में इस वर्ष भी १ लाख ७५ हजार रुपये की दी जा चुकी है । सबसीडी जो जिला प्लानिंग विभाग की ओर से दी गई उस के आंकड़े भी मेरे पास हैं, लेकिन वक्त की कमी के कारण इनको मैं नहीं सुनाता ।

मैं अपनी बदकिस्मती समझता हूं कि इत्तफाक से मैं पश्चिमी जिले से वास्ता रखता हूं । मैं इस चीज को महसूस करता हूं कि अगर मैं पूर्वी जिले से वास्ता रखता होता तो मैं बहुत सी बातें खुले तौर पर बेबाकी से कह सकता था, लेकिन अब अगर मैं कुछ बातें कहता हूं जो मैं सही-तौर पर कह सकता हूं तो उसके गलत माने निकाले जा सकते हैं और सैकड़ों हमले हो सकते हैं इसलिये अब इस बारे में ज्यादा न कहूंगा ।

अब इन सब जिलों में पिछले साल १,०६५ जगहों पर काम हुये और ६५,९२४ ऐवरेज डेली अटेंडेंस रही जब तक वह टेस्टवर्क चलते रहे । कल एक बात कही गई जिसका मुझे बड़ा अफसोस है । मेरी मुश्किल यह है कि जब मैं आंकड़े बताता हूं और दलीलें देता हूं और रोज कहता हूं कि आप मुझे अपने आंकड़ों से और दलीलों से झूठा साबित कीजिये और रोज बताता हूं कि बच्चे और औरतों की तादाद वहां अधिक रहती है बनिस्बत पुरुषों के, लेकिन फिर कल कह दिया गया कि बच्चों को हटा दिया जाता है जब कि आंकड़े यह हैं ६५,९२४ आदमी वहां काम कर रहे थे, उनमें से ६,६०० आदमी इलाहाबाद

में थे उन को निकाल दिया जाय तो साढ़े ५९ हजार रहे। उनके बच्चे, स्त्री और पुरुषों के आंकड़े नहीं दिये जो बाकी और जिलों के बचे उनमें से २०,८०० स्त्रियां रहीं और १३,८०० बच्चे थे। मतलब यह है कि इन ५९ हजार में से ३४ हजार तो बच्चे और स्त्रियां थीं और २५ हजार पुरुष थे। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा ताज्जुब है कि कैसे कहा जाता है कि बच्चों को हटा दिया जाता है। मैं तो इस से यह नतीजा निकालता हूं कि या तो पुरुष काम नहीं करना चाहते या उन के पास कोई दूसरा रोजगार हो। हो सकता है कि मेरी लाजिक में कोई फेलेसी हो, लेकिन यह सच है कि वहां बनिस्बत पुरुषों के स्त्री और बच्चे अधिक भेजे जाते हैं। मुझे ताज्जुब और अफसोस यह है कि आंकड़े होते हुए और वाकयात के होते हुए भी मेरे दोस्त तरदीद करते हैं।

पिछले साल ४९,२०० आदमियों को फ़्री गल्ला पहली अगस्त से लेकर १५ अक्तूबर तक तकसीम किया गया। ४९,२०० आदमियों को १५ मार्च तक गल्ला मुफ्त दिया गया और पहली अप्रैल से ३० सितम्बर तक ७,२०० आदमी फ़्री राशन पर हैं और २,००० आदमी पहली जुलाई से बस्ती में फ़्री राशन पर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि रिपोर्ट में भी था कि बच्चों की तादाद स्कूलों में घट रही है और कहा यह जाता है कि क्योंकि पेरेंट्स फीस नहीं दे सकते इसलिये बच्चों की तादाद घट रही है। जैसा कि मालगुजारी में रिलीफ, छूट, तकावी और टेस्ट वर्क्स, ये बहुत रिकग्नाइज्ड तरीके सहायता पहुंचाने के थे।

अब यह स्कूलों के बच्चों की फीस की माफी भी धीरे-धीरे एक रिकग्नाइज्ड चीज होती जा रही है। क्यों? आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फीस की माफी की जिम्मेदारी अगर गवर्नमेंट पर है तो, आपकी इजाजत से मैं पूछना चाहता हूं कि मुझे ठीक आंकड़े मालूम नहीं हैं एजूकेशन डिपार्टमेंट के, लेकिन मेरा अन्दाजा यह है कि दो तिहाई बच्चे ऐसे हैं जो गरीबी के कारण पढ़ ही नहीं पाते हैं और शायद एक तिहाई स्कूल गोइंग एज के—स्पीकिंग सबजेक्ट टु करेक्शन, स्कूलों में पढ़ रहे हैं। साथ ही बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा के योग्य हैं और उनकी उम्र ऐसी है, लेकिन अपने मां-बाप की गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं। तो जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं उनकी फीस की माफी का सवाल तो उठता है, लेकिन जो बच्चे आज बिलकुल नहीं पढ़ते हैं, क्यों नहीं उनको पढ़ाया जाय, यह कहा जा सकता है। हम भी चाहते हैं कि पढ़ायें, लेकिन सारा सवाल रिसोर्सेज का है। कहां से पैसा आये? वह हमारे पास नहीं है। आज यह बात कही जाती है कि स्कूल के बच्चों की तादाद घट गयी, यह सच्चाई के विरुद्ध बिलकुल गलत बात है। मैं "झूठ" बात नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि गलत बात है। १९५५–५६ में गोरखपुर और वाराणसी के प्रायमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूलों में ५,९२,००० बच्चे पढ़ते थे और ६,३२,००० उन्हीं बच्चों की तादाद १९५६–५७ में हो गयी। यानी ४०,००० एक साल के अन्दर, जिसका मतलब यह है कि ७ परसेंट इजाफा हो गया। १९५७–५८ के आंकड़े हमने मंगाये थे, लेकिन ४ जिलों के मिले हैं—जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया और बस्ती के और वहां ४,३६,००० तादाद पहुंचती है जोकि १९५६–५७ की तादाद से कहीं ज्यादा है।

कहा जाता है कि क्राइम्स बढ़ गये हैं और यह कि राजस्व मंत्री जब ११ जून को मऊ में गये थे तो उनके सामने यह रेजोल्यूशन पास हुआ। खैर, मेरे सामने तो नहीं हुआ। फिर भी माने लेता हूं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह पास हुआ या नहीं हुआ उसका कोई अर्थ नहीं है। मैं तो आप की इजाज़त से बतलाना चाहता हूं कि मैंने आई० जी० के यहां से जो आंकड़े मंगाये हैं उनसे मालूम होता है कि १९५७ के कैलेंडर ईयर में ८,८३५ जरायम ९ जिलों में और इस साल ३० जून तक ३,०८२ हुए। ३,०८२ के दूने होते हैं ६,१६२ और उधर यह टोटल है ८,८३५ का। तो यह तो नहीं कहा जा सकता है कि जरायम बढ़ रहे हैं। जरायम कुछ घट रहे हैं।

एक सदस्य—रिपोर्टें कितनी नहीं लिखी गयीं?

श्री चरणसिंह---अगर १९५८ में नहीं लिखी गयीं तो यह भी मानना पड़ेगा कि १९५७ में भी नहीं लिखी गयीं और यही छूट १९५५ और ५६ के लिये भी देनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मालगुजारी बड़ा प्रिय मजमून है। क्यों? सीधी सी बात है कि हमारे सारे सूबे में साढ़े ६७ परसेंट जो वोटर्स हैं वह पेजेंट हैं और हमारे पूरब के जिलों में देवरिया में ८७.४ पेजेंटरी है, बस्ती में ८४ परसेंट से कुछ ज्यादा, बहराइच में ८४ परसेंट से कुछ ज्यादा प्रेजेंटरी है। तो ७६ से ८७ परसेंट तक प्रेजेंटरी है, यह सूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, हम सब लोगों की यह नीति हो गयी है कि वह बात कह जो मान सुहाती हो। लोगों को तकलीफ है, ऐडमिटेड, कब इंकार किया है इस बात से कि लोगों को तकलीफ नहीं है। दूसरी बात यह है कि टैक्स देना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। मालदार आदमी को भी टैक्स देना अच्छा नहीं लगता है। अगर किसी मालदार आदमी से यह वादा किया जाय कि उसका टैक्स घट सकता है तो उसको वह बहुत अच्छा लगता है। यही हालत है श्रीमन्, बहुत सी बातें कही गयी हैं, लेकिन मैं दो तीन बातों के बारे में बहुत मुख्तसिर में ही कहता हूं।

एक बात यह कही गयी कि मालगुजारी अगस्त में वसूल नहीं करनी चाहिये। बड़ी अच्छी बात है, हम इसके लिये नियम बना सकते हैं। लेकिन नतीजा यह होगा कि ३१ जुलाई तक बेबाकी करनी होगी। १५ अप्रैल को यह वाजिब होती है और डेढ़ महीने तक कोई कोआर्सिव प्रोसेज इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तकाजा हो सकता है पहली जून से लेकर ३१ जुलाई तक। इसके बाद सख्त तकाजा करना होगा और अन्त में कोआर्सिव मेजर्स लेना पड़ेंगे। जिन्होंने नहीं दी है उनसे क्यों न वसूल की जाय? उसके घर फसल फरवरी और मार्च के अखीर में आ गयी थी तो वह अप्रैल, मई, जून और जुलाई में दे सकता था। कोई ऐसी चीज तो थी नहीं कि वह ३१ जुलाई से पहले नहीं दे सकता था। इससे पहले उसको दे देनी चाहिये थी। यह वह आदमी है, श्रीमन्, जो दे सकता था लेकिन नहीं दे रहा है तो फिर कौन सा आरगूमेंट है कि इस समय वसूल न की जाय। मैं आपकी इजाजत से यह निवेदन करना चाहता हूं कि विचार कर लीजिये, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर सदन यह तय करता है कि ३१ जुलाई तक बेबाकी हो जाय तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि इससे लोगों को कठिनाई होगी, आसानी कुछ भी नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मालगुजारी की वसूली में बड़ी-बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं। इस तरह की पिछले साल तकरीरें हुई थीं। मैं उस रोज मौजूद नहीं था। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने चारों दोस्तों माननीय राजनारायण, झारखंडे राय और यादवेन्द्रदत्त जी आदि को चिट्ठियां लिख दीं। उनमें से तीन सज्जन ऐसे हैं जिन्होंने जवाब भेजा है मिसाल देते हुये। यहां पर तकरीरें तो हो चुकी थीं। एक साहब के पास कोई इत्तिला नहीं थी। बाद की डेट में इत्तिला आयी। मैंने तहकीकात करायी, लेकिन देरी की वजह से तफसील में नहीं जाऊंगा। मेरे पास एक चार्ट है। मैं नाम नहीं लूंगा कि किस ने इत्तिला भेजी है। एक सज्जन ने इत्तिला भेजी है। उसमें कुछ ऐलीगेशन्स लगाये गये हैं कि गजाधर प्रसाद गोरखपुर के साथ वसूली में ज्यादती की गयी। मेरे पास यह इत्तिला आई है कि:---

"Sri Gajadhar Prasad is not only a defaulter but also instigates tenants not to pay revenue. No coercive processes were issued in this village."

इस गांव में कोई भी कोआर्सिव प्रोसेज इस्तेमाल नहीं किया गया है। वह खुद डिफाल्टर था और दूसरों को भी न देने के लिये उकसाता था। लेकिन उसके खिलाफ तो क्या सारे गांव के खिलाफ भी कोई कोआर्सिव प्रोसेज इस्तेमाल नहीं किया गया है।

दूसरी शिकायत चुन्नी पांडे की है कि उसका बैल बिक गया। उसके बारे में मेरे पास यह इत्तिला है कि:—

"No coercive processes were issued in this village and the complaint of Chunni Pandey has been found to be false".

कोई कोआर्सिव मेजर इस्तेमाल नहीं किया गया और सारे गांव में कोई भी कुर्की नहीं हुई।

श्री उग्रसेन—किसने जांच की ?

श्री चरणसिंह—श्रीमन्, मैं अर्ज कर रहा था कि. . .

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी एक बात बतला दें. . .

श्री चरणसिंह—श्रीमन्, मैं ईल्ड करने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री उग्रसेन से) आप कृपा कर बैठ जायं, जब मंत्री जी आपको मौका देने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री उग्रसेन—हम लोगों को सचेत करते आप।

श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, तहकीकात पब्लिक मीटिंग में नहीं होती है। जिस आदमी से वसूली की गयी है, उससे जांच होती है, अड़ोसी पड़ोसी से होती है, गांव के सभापति से होती है। (व्यवधान) उस गांव में कोआर्सिव प्रासेस ही नहीं हुआ। मैं आपकी इजाजत से यह अर्ज करना चाह रहा था जबकि बीच में इंटरप्शन हुआ कि जो कलेक्शन अमीन है उसकी जो पोजीशन है उसकी जगह पर अपने को रख कर देखें।

श्री उग्रसेन—श्रीमन, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। श्रीमन, कल माननीय गेंदासिंह के बाद माननीय मदन पांडेय जब बोल रहे थे तो माननीय मंत्री ने यह कहा था कि खाद्य समस्या पर ही कहना चाहिये। तो जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं क्या यह खाद्य समस्या से संबंधित है ?

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य का इस तरह से बीच में विघ्न डालना मुनासिब नहीं है। ये सारे प्रश्न उठाये जा चुके हैं, विरोधी दल की तरफ से, जिनका वह जवाब दे रहे हैं व्यवस्था के नाम पर किसी माननीय सदस्य को रोकना मुनासिब नहीं है।

श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि दो चीजें सिर्फ हो सकती हैं। एक तो यह कि हम यह तय कर दें कि मालगुजारी हम वसूल नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे लोग बड़े गरीब हैं। दूसरे यह कि लेजिस्लेचर ने यह तय किया कि मालगुजारी वसूल की जायगी, ला आफ दि लैन्ड है कि मालगुजारी वसूल की जायगी, वह वसूल की जायगी जो रिअलाइजेबिल है, माफ करने के बाद जो नेट डिमांड है वह वसूल की जा रही है। अब उसके मुताल्लिक हमारे जिम्मेदार दोस्तों की तरफ से यह प्रोपेगेंडा हो कि अन्याय हो रहा है, यह गवर्नमेन्ट रावण है। ऋषि मुनियों की औलादों से जबरदस्ती मालगुजारी ले कर अपना खजाना भर रहे हैं, स्टेट का खजाना नहीं, अपना खजाना भर रहे हैं। बराबर ये प्रोपेगेंडे हों। मैं अर्ज करूंगा कि कलेक्शन अमीन मिडिल पास हमारा छोटा सबार्डिनेट आफिशल है। जब गांव में जाता है तो हमारे दोस्तों के कहने में जहां ज्यादा लोग आ जाते हैं तो वहां उसको एक बाल आफ होस्टिलिटी मिलती है। क्या करें ? दरख्वास्त करने से मालगुजारी नहीं मिलती अनुनय विनय करने से मालगुजारी नहीं मिलती, एक आध बार मुल्तवी करने पर भी दूसरी तारीख को भी मालगुजारी नहीं मिलती। तो वह सोचता है कि फलां चीज कुर्क कर लूं। तहसीलदार से गिरफ्तारी का वारण्ट ले जाऊं। इस पर सारे अखबारों में शोर मचता है। एक ऐटमास्फियर सारे सूबे में बनाया जाता है, बन जाता है। वह अपने आप को ऐसा महसूस करने लगता है कि जैसे वह एक आदमी ऐसा है जिसके साथ किसी की हमदर्दी नहीं, बड़ा अन्यायी आदमी है। लिहाजा काम रुकता है। मैंने उस रोज कहा था कि ऐसा वातावरण

[श्री चरणसिंह]

पैदा किया जाता है। बड़ी चीखपुकार उधर से हुई। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सबूत देना चाहता हूं। श्री शिब्बनलाल जी सक्सेना, मेरे दो मित्र सामने बैठे हैं, उनके लीडर हैं। यह वाकया है १५ और १० जनवरी का। गोरखपुर में एक बड़ी कान्फ्रेंस की गयी जिसमें शिब्बनलाल जी सक्सेना तकरीर करने वाले थे को होगी मुझे नहीं मालूम। मेरे पास प्रिंटेड नोटिस मौजूद है, चार पेज की। उसमें लिखा है--- लगान व अन्य सरकारी करों की वसूली रावण द्वारा ऋषियों से कर में खून लेने के समान है। और न मालूम क्या क्या च्वायस वर्ड्स इस्तेमाल किये गये हैं। मेरे कहने का मतलब यह था कि दस हजार आदमियों में यह कहें कि यह गवर्नमेन्ट रावण है, तुम लोग ऋषि हो और जो मालगुजारी ली जा रही है यह तुम्हारे खून के बराबर है तो यह दस हजार आदमियों पर क्या असर लायेगा ?

श्री मदन पांडेय---इतना भी न कहा जाय ?

श्री चरणसिंह---जरूर कहिये। लेकिन मैं बतलाने वाला हूं कि उसका नतीजा क्या होने वाला है। उससे मैं घबराता नहीं हूं। जरूर कहिये।

अब मैं दूसरा सबूत देना चाहता हूं। ८ और ९ फरवरी, १९५८ को पी० एस० पी० के लीडर लखनऊ में इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि कर वसूली के विरोध में सत्याग्रह होगा। नैशनल हेराल्ड की कटिंग मेरे पास है जो १८ फरवरी, सन् १९५८ की है। ११ फरवरी को भी यह चीज निकली, लेकिन इत्तफाक से वह इस समय मेरी फाइल में नहीं है। इसमें यह है कि:---

"P. S. P. Legislators from the eastern districts of the state have decided to ask cultivators to refuse to pay land revenue as decided by the convention of party workers held here on February 8 and 9."

यह लखनऊ की खबर है। इसके क्या मायने हैं जो मायने हैं वह साफ जाहिर हैं।

अब मैं आपकी इजाजत से तीसरा सबूत देना चाहता हूं। कलेक्टर, देवरिया की जो रिपोर्ट मेरे पास आयी है उसमें से कुछ पढ़कर मैं आपको सुना देना चाहता हूं जो अभी हाल ही में श्री गेंदासिंह के उस गांव में जाने के मुताल्लिक है जहां पर मालगुजारी वसूल हो रही थी। पहले तहसीलदार को तहकीकात के लिये भेजा गया। फिर चूंकि गेंदासिंह जी स्वयं इस बात को कह रहे थे तो उन्होंने तहकीकात के लिये एस०डी०ओ० से कहा कि तुम जाकर तहकीकात करो। वह रिपोर्ट जो उन्होंने मेरे पास भेजी है ५,६ पेज में तफसील के साथ रिपोर्ट है। उसमें कहा है कि:---

"Sri Ramdhari Singh is a good collection Amin who is serious in the discharge of his duties. On July 7, 1958 he was working in village Baiju patti and was busy in realizing land revenue. It is stated by the residents of the village, including the Sabhapati that Sri Genda Singh, M.L.A. arrived there suddenly along with a few other P.S.P. workers including a photographer. The visitors were harsh to the Amin and asked him categorically not to collect the dues as the people were not in a position to make payments. Ramdhari Singh protested to this and replied that it was his duty as a government servant to realize the dues and that he will stop doing so when he received orders to this effect from Tahsildar Saheb. He advised them to go to Tahsildar Saheb and make their representations to him. This appears to have infuriated the visitors who abused the Amin and called him a 'thief'. It is said that Sri Genda Singh intervened at this stage and added that Sri Ramdhari Singh should collect the dues from those who wanted to pay and should not realize it from the rest, and that he should release the person he had taken into custody on a warrnant of arrest. The

Amin expressed his inability to accept this proposition as well. This reply was taken by Sri Genda Singh as a direct insult and he asked everybody there not to make any payments of Government dues and, instead, to regard the Amin as a thief, and a robber. He told the audience, nearly 20 in number, that they should take the Amin to the police station Taryasujan in order to discover his real identity. Neither the villagers nor the Amin however showed any interest in this threat."

उन्होंने कहा है कि रामधारी सिंह एक अच्छे कलेक्शन अमीन हैं ७ जुलाई, १९५८ को बैजूपट्टी में काम करने के लिये गये। उस गांव के सभापति और दूसरे लोगों ने बतलाया कि गेंदा सिंह जी कुछ अपने साथियों के साथ वहां थे। उन लोगों ने उस अमीन के साथ कुछ हार्श ट्रीटमेंट किया। उससे साफ यह कहा कि तुम यहां पर मालगुजारी मत वसूल करो क्योंकि लोगों की ऐसी अवस्था नहीं है कि वे दे सकें। उसने यह कहा कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं और मेरा फर्ज है कि मैं मालगुजारी वसूल करूं और जब तक तहसीलदार साहब का हुक्म नहीं आयेगा मैं अपने काम को रोक नहीं सकता। उससे हमारे माननीय मित्रों को क्रोध आया। इस पर उसको चोर कहा। माननीय गेंदा सिंह जी ने इन्टरवीन किया और कहा कि तुम उनसे मालगुजारी वसूल करो जो देना चाहे और जो नहीं देना चाहे उनसे वसूल न करो। अमीन को यह बात मंजूर नहीं हुई। इस पर फिर हमारे मित्रों को क्रोध आ गया और उससे कहा कि तुम चोर ही नहीं हो डाकू हो और लोगों से कहा कि इसको मालगुजारी मत दो और इसको पकड़ कर थाने ले जाओ .....

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---इसकी जांच कराइये कि यह सच है या झूठ है।

श्री चरणसिंह---मैंने तो शुरू में यही कहा कि गलत हो सकती है। झूठ मैंने नहीं कहा। जो आपने कहा गलत। मेरी इत्तला के मुताबिक मैं जो कह रहा हूं, वह यह है। मेरी बात गलत हो सकती है। मैंने कह दिया कि कलेक्टर की सूचना के आधार पर मैं कह रहा हूं। मेरे लिये कहना कि सच है या झूठ है, मैं आप के जरिये अपील करता हूं दोनों हाथ जोड़ कर कि वह इस प्रकार यहां का वातावरण न बिगाड़ें। इससे इस सदन का, प्रदेश का और देश का नुकसान होगा। आपने रिपोर्ट की बात नहीं कही थी, आपने झूठ और सच कहा था।

क्राप कटिंग सर्वे के बारे में कहा जाता है कि आपका वह "नोटोरियस लेखपाल"। आखिर लेखपाल पर आपको इतना क्रोध क्यों है। वह नोटोरियस हो या नहीं, लेकिन अगर वह है तो उस वर्ग के और आदमी इस देश में कैसे हैं? उस वर्ग के उसी तरह के दूकानदार और किसान कैसे हैं? मैं और आगे नहीं जाना चाहता। लेकिन इस तरह से लेखपाल को सिंगल आउट कर के नोटोरियस कहना, मेरा खयाल है कि हमारे काम में कुछ मदद नहीं देगा। और फिर क्या कोई इलाज है? मांग आती है कि सारे सूबे में क्राप कटिंग एक्सपेरीमेंट्स हम देखें। आप कौन होते हैं देखने वाले? आपने कहा कि हम को इजाजत दी जाती .....

श्री गेंदासिंह---जी नहीं।

श्री चरणसिंह---यही कहा आपने। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल सुन रहा था और आपकी जो अटेंशन मेरी तरफ थी उसी कारण उस समय मैं सदन छोड़ कर चला गया था ताकि आपको गुस्सा न आये। मैं चाहता हूं कि आप शान्ति के साथ मेरी बात सुनें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जो क्राप कटिंग एक्सपेरीमेंट्स होते हैं, उनके लिये जो पी० एस० पी० के साथियों ने बंबई का तरीका हम को सजेस्ट किया था उससे फार मोर लिबरल मेथड हमारा है, लेकिन उसकी तरदीद नहीं हुई और उस मेथड के मुताल्लिक जिसके हिसाब से हमारे यहां अन्दाजा लगाया जाता है आप सुनिये, क्या कहता है प्लानिंग कमीशन? उसकी जो इंवेस्टीगेटिंग बाडी यहां आयी थी उसने कहा था कि :---

"In general there was a tendency among the estimating officers to underestimate the crop".

[श्री चरणसिंह]

बाहर से निष्पक्ष लोग और तजुर्बेकार सरकारी कर्मचारी आते हैं और जो यह चार्ज लगाया जाता है सरकारी मशीनरी के खिलाफ और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के खिलाफ कि ओवर एस्टीमेट किया जाता है प्रोडक्शन, उसके मुताल्लिक निष्पक्ष राज कर्मचारियों की राय यह है कि वह अंडर एस्टीमेट करते हैं। यह बात भी शायद झूठ हो सकती है जो मैं पढ़ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक एम० पी० गोरखपुर डिवीजन के हमारे राजस्व सचिव के पास गये और उनसे यह कहा कि मालूम यह होता है कि कुछ सोर्केट, कांफीडेंशियल सर्कुलर्स हैं कि माफी न दी जाय। इसका बार-बार इशारा किया जाता है। मान लो कि जो आदमी इधर आ गया वह अपने लोगों से मुहब्बत नहीं करता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये से बता देना चाहता हूं उधर के भाइयों को कि गरीब आदमी से, अपने देश से और अपने प्रदेश के गरीब आदमियों से, हमको उससे कम मुहब्बत नहीं है जितनी कि माननीय गेंदा सिंह जी को है, लेकिन हमारे ऊपर और हमारे साथियों पर जिम्मेदारी है और जिन पर जिम्मेदारी नहीं है——यह मैं नहीं कह रहा हूं कि जानबूझ कर, लेकिन अनजान में ही वह ऐसी सिचुयशन पैदा कर रहे हैं कि जो उनको आज तो भले ही फायदा पहुंचा दे, लेकिन अल्टीमेटली, बाद में उससे सूबे को और देश को नुकसान पहुंचेगा। उस समय राजस्व सेक्रेटरी ने कहा कि १३,६७००० की मालगुजारी के रेमीशन की सिफारिश आयी है कलेक्टर बस्ती की, ६ लाख या ७ लाख की सिफारिश आयी है, कलेक्टर जौनपुर से, तो क्या रेवेन्यू विभाग ने बस्ती और जौनपुर के कलेक्टर से यह कह दिया कि तुम रिलीफ और रेमीशन की सिफारिश भेज देना और देवरिया और गोरखपुर को कह दिया कि तुम मत भेजना। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम पोलिटिकल मुखालिफ हैं, लेकिन खुदा के वास्ते हमको आनेस्टी के लिये उतना ही क्रेडिट दो जितना कि तुम अपने आप को देते हो वरना यह बात नहीं चलेगी।

कहा गया कि यह गवर्नमेंट तो प्रो-केपिटलिस्ट है। मिल मालिकों से गन्ने की कीमत वसूल नहीं की गयी और उधर किसानों से मालगुजारी वसूल की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९५७——५८ में मिल वालों से जो केन प्राइस वसूल होनी थी वह ३३,६६,५९,००० रुपये थी। उसमें से ३२,४६,००,००० रुपया वसूल हो चुका है यानी कुल लगभग १,२०,००,००० रुपया उनके ऊपर बाकी था, एक महीने पहले। अब मैं अर्ज करना चाहता हूं कि लगभग ३,३६७ लाख में से कुल १२० लाख रुपया ही वसूल करना रह गया है। अब क्या कहा जायगा कि हमारी मिल वालों के साथ हमदर्दी है? अगर बहुत अच्छा पे करने वाला हो और वसूल करने वाला भी बहुत सख्त हो तो भी इतनी बकाया तो रह ही जाती है। फिर मालगुजारी पर इंटरेस्ट नहीं है केन प्राइस पर इन्टरेस्ट है। इसके अलावा, गोकि इसका संबंध नहीं है फिर भी मैं बता दूं कि केन सेस पर भी इंटरेस्ट है।

अब कहा जाता है कि क्राप कटिंग एक्सपेरीमेंट में उन्हें बुलाया नहीं गया। मेरे पास ९ जूलाई, सन्, ५८ का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का लेटर है। वह इस प्रकार है:——

"So long as the crops were standing in the fields none of the political parties came forward with the allegation that the standing crop was below normal. But when the crop had been reaped and harvested, the cry regarding the deficiency in yield of corps arose. So far as the P. S. P. is concerned, Sri Genda Singh, M.L.A, wrote to me that he and his party members would like to be associated with the corp-cutting experiments that were being carried out in the district. I immediately furnished a statement showing the dates on which and the village in which crop-cutting experiments would be carried out. Needless to say, none of the members of the P. S. P. ever attended any crop-cutting experiment. In one of his letters dated March 5, 1958, sent to me, Sri Genda Singh wrote to me that according to his estimates, approximately 50 per cent of the *rabi* crops was below normal. His words are. "लगभग ५० प्रतिशत रबी साधारण से कम है

Thus, according to his own estimate atleast 50 per cent of the *rabi* crop was normal and the remaining 50 per cent was below normal. Sri Genda Singh, however, did not say whether this 50 per cent sub-normal crop was as low as 4 annas in the rupee.

Thus, according to his estimate of the crop in March, it could as well be over 14 annas in the rupee in the remaining 50 per cent villages and if that is the position, no question of remission of land revenue by Government arises.,,"

तो फर्ज किया कि आधी फसल साधारण से कम है तो बाकी १४ आना हो या १२ आना हो सकती ह । यह मार्च का खत है, लेकिन अब वह १२ आने कम है, ४ आने क्राप हुआ है और १२ आने नहीं हुआ है । उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि देवरिया का जिक्र है और गेंदा सिंह जी की वजह से नहीं बल्कि और कारणों से भी मुझे वह जिला बहुत प्रिय है, मेरे मित्र बहुत तकाजा करते हैं और मैं वहां बहुत जाता हूं, जरा इसको भी देख लें कि वहां गन्ना कितना होता है । अभी मेरे पास एक स्टेटमेंट आया है, आफिस में मौजूद है । ६, ७ साल के अन्दर इस कांग्रेसी राज्य में हालत खराब होती गयी, ये शब्द हैं । अब हालत खराब है या बेहतर है, जो आंकड़े मौजूद हैं, उनको मिल के आंकड़े से वेरिफाई किया जा सकता है कि देवरिया ने सन् ५५–५६ में शुगर मिलों को २,६८,९३,००० मन गन्ना सप्लाई किया था और उसकी कीमत फैक्टरियों ने किसानों को दी ३,८०,००,००० रु० जो १,६०,०४५ एकड़ में गन्ना बोया गया था । सन्, ५६–५७ में यह रकबा एक लाख साठ हजार से बढ़ कर १, ६५ हजार एकड़ हो गया और गन्ना जो मिलों को दिया गया वह था ३,१० लाख मन और उसकी कीमत किसानों को दी गयी ४ करोड़ ३९ लाख रुपये । पिछले वर्ष सन् ५७–५८ में रकबा हो गया १, ७९ हजार एकड़ और गन्ना मिलों को सप्लाई किया गया ३, ५४ लाख ३५ मन और उसका दाम दिया गया ५,०५ लाख रुपया ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से दो साल के अन्दर रकबा २० हज़ार एकड़ बढ़ा, कीमत जो किसानों को मिली वह ३ करोड़ ८० लाख से बढ़ कर ५ करोड़ ५ लाख यानी १ करोड़ २५ लाख रुपया देवरिया के किसानों को दो साल के अन्दर अधिक मिला जिसे उन्होंने आमदनी में बढ़ाया और साथ ही साथ चमत्कार यह है कि कांग्रेसी राज्य के अन्दर भुखमरी हो रही है और सत्यानाश हो रहा है उस ज़िले का और उसके पड़ोसी ज़िलों का । अब मैं आपसे अर्ज कर दूं कि मालगुज़ारी कितनी है । मालगुजारी जो वहां किसानों पर है वह सारे ज़िले के अन्दर कुल ५५ लाख रुपये है । इसके ऊपर माफी होती है, ग्रेचयूटस रिलीफ दी जाती ह, टेस्ट वर्कस खोले जाते हैं, प्लानिंग, रेवेन्यू आदि बीसों डिपार्टमेंट से तकावी दी जाती है । यह हिसाब मैं नहीं बतलाता कि कितनी आमदनी होती है और कितना खर्च होता है, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि केवल गन्ने की पैदावारी दो साल के अन्दर किसानों की इतनी बढ़ी है कि केवल उसी पैदावार से सारे साल को मालगुजारी दी जा सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब यह कहा जाता है कि साहब मालगुजारी माफ कर दीजिये और उसकी वसूलयाबी अब बन्द कर दीजिये । जो कुछ आपन अर्ज किया म उसको मानने के लिये तैयार हूं, लेकिन साथ ही साथ फिर यह भी सोचना है कि आपको सूबे के डेवलपमेंट का स्वप्न छोड़ना होगा, क्योंकि अगर ३ एकड़ तक की मालगुजारी माफ करते हैं तो करीब ४ करोड़ रुपया के मालगुजारी बैठती है और अगर सवा ३ एकड़ वाले को लेते हैं तो वे कहेंगे कि एक चौथाई एकड़ ज्यादा होने से हमको देना पड़ता है इसलिये वे उसका बैनामा कर देंगे और उसको तकसीम कर देंगे । और अगर सूबे का ३ एकड़ वाले का छोड़ना चाहें तो इसमें १५ करोड़ के करीब रुपया बैठता है । क्योंकि जब छोड़ना पड़ेगा तो सब का छोड़ना ही पड़ेगा, इसमें डिस्क्रिमिनेशन तो कर नहीं सकते हैं । तो यह जो १५ करोड़ की कमी बैठती है उसको आप कहीं से

[श्री चरणसिंह]
पूरा कर देने की कृपा करें तो मैं इस एंटिसिपेशन में यह कहने के लिये तैयार हूं कि इसे मंत्रि मंडल स्वीकार कर लेगा । माननीय मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि वे मेरा इस मामले में समर्थन करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, गोरखपुर और बनारस डिवीजन में साढ़े ३ एकड़, ४ एकड़ औसत एक फेमिली होल्डिंग का होता है । साढ़े चार एकड़ जमीन पर २२ करोड़ मालगुजारी है । ५ रुपया फी एकड़ मालगुजारी है । अगर मैं साढ़े ३ एकड़ का औसत माने लेता हूं तो १८ रुपय मालगुजारी एक किसान को साल भर में देनी होती है । ३ किसानों में १ भूमिधर है और २ सीरदार । ५५ रुपया तीन किसान अदा करते हैं । उसको ढाई में तकसीम कर दिया जाय तो २२, २२ रुपये दो किसान यानी सीरदार साल भर में देते हैं और भूमिधर देता है १/३ यानी ११ रुपया वह देता है । उपाध्यक्ष महोदय, मेरे स्टेटिस्टिक्स में कोई गलती हुई हो तो मैं फिर समझाये देता हूं । १२ रुपये छमाही एक किसान को देने पड़ते हैं और ६ रुपये छमाही दूसरे किसान को देने पड़ते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह मालगुजारी माफ कर दी जाय तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उसको कोई रिलीफ होगी ? आज १,४०० रुपये पर---कैपिटा इनकम हमारे देश की है । मैं माने लेता हूं कि हमारा सूबा गरीब है और हमारे पूर्वी अंचल के लोग ज्यादा गरीब हैं, जो कि पैक्ट है । तो यहां की औसत आमदनी १ हजार पर---कैपिटा होगी और पूर्वी जिलों की ९०० या ८०० रुपये पर---कैपिटा । अब अगर एक आदमी की सालाना आमदनी ८०० रुपया है और उसका २४ रुपया या १२ रुपया सालाना माफ कर दिया जाय तो विल इट रिलीव हिम (will it relieve him) ? क्या तस्वीर में कोई अन्तर आयगा ? हां, जो बूंद बूंद करके घड़ा भरता है---साढ़े २२ करोड़ रुपया सूबे का खत्म हो जायगा । अगर यह मंजूर है तो बेशक कीजिये, लेकिन २२ करोड़ का दूसरा इन्तजाम कर दीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, फिर कहा गया कि नान आफिशियल से कंसल्टेशन नहीं हुआ । फेमीन कोड पढ़ कर सुना दिया । फेमीन कोड १८६८ से तैयार हो कर १९१२ में फायनली तैयार हुआ था । उस समय नान आफिशियल्स कहीं तस्वीर में थे ही नहीं, आफिशियल्स ही सब काम करत थे । लेकिन आज डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज बनी हुई हैं । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्युनिसिपैलिटीज, लेजिस्लेटिव कौंसिल और असेम्बली वगैरह-वगैरह बनी हुई हैं । फ्लड-रिलीफ या नेचुरल केलेमिटीज कमेटी बनी हुई हैं, गांव पंचायतें बनी हुई है । दिन रात बराबर ये राज्य कर्मचारियों के साथ कांटेक्ट में आते हैं । लिहाजा हमने यह जरूरी नहीं समझा कि इस किस्म का कोई आर्डर जारी किया जाय कि बाकायदा कोई मीटिंग हो । रोज कांटेक्ट रहता है । अन्तरिम जिला परिषद् में ये चीजें आयेंगी । डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग में, फ्लड कमेटीज में एम० एल० एज० रोजाना मिलत ह । तो जो रूल बना हुआ है उसको मैं आज की स्थिति में कोई आवश्यकता नहीं समझता ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ा भारी तीर मारा जाता है जब यह कहा जाता है कि स्केयरसिटी है या फेमीन । मैंने १६ जून को प्रेस कान्फ्रेंस में कहा था, एक दोस्त बैठे थे, उनसे कि मेरी तरफ से जो चाहो लिख दो, लेकिन एक बात की जिम्मेदारी तुम्हारी है---चाहे फेमीन लिखो या स्केयरसिटी इससे लोग डिमारेलाइज होंगे और पेनिक फैलेगा । इससे क्या समस्या का हल होता है अगर फमीन एरिया डिक्लेयर करत हो या स्केयरसिटी एरिया ? जो बात मुमकिन है वह की जाती है चाहे जो भी कंडीशंस हों लेकिन जो कंडीशंस हैं वे फेमीन की हर्गिज हर्गिज नहीं हैं । स्केयरसिटी मान लिया था और इसे गवर्नमेंट बराबर मानती भी आई है और वह स्केयरसिटी एरिया रहेगा, वर्षों रहेगा, और कहीं ज्यादा अर्से तक रहेगा अगर मेरे दोस्तों का यही एटीट्यूड रहा जो आज है । मैंने बराबर कहा था इस बात को, पिछली दफा २२ जूलाई, १९५७ को भी कहा था कि फेमिन नहीं हो सकता है, १४ जूलाई को गोरखपुर गया था वहां भी मैंने कहा था कि फेमिन नहीं हो सकता । लेकिन आज मेरी खुशकिस्मती कि आज मेरे पास श्री अशोक मेहता जी ने जो तकरीर की है वह मौजूद है, उसमें उन्होंने कहा है कि अब

फेमीन होने का सवाल नहीं है । फूड ग्रेन्स इन्क्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसका रिलेवेंट पैराग्राफ भी मेरे पास मौजूद है, उन्होंने भी कहा है कि आज फ्री इंडिया में फेमीन का सवाल नहीं है । इसलिए मैं बहुत श्योर ग्राउंड पर हूं जब मैं कहता हूं कि न फेमीन है और न फेमीन हो सकता है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, अगर मेरे मित्र चाहें और आपकी आज्ञा हो तो मैं बैठ जाऊंगा । मैं यह कह रहा था, मुझे आंकड़े तो याद नहीं रहे, कहा गया कि इतनी छोटी-छोटी होल्डिंग्स हैं एक एकड़ से कम की, शायद ६० लाख होल्डिंग्स बता दिया । (व्यवधान) मैं आपकी इजाजत से दरख्वास्त करूंगा अपने मित्रों से, दोनों से, जो कि सामने बैठे हैं कि जरा मेरी बात सुनें । गालिबन ६० लाख होल्डिंग्स एक एकड़ से कम इन ९ जिलों में आपने बतायीं । इसमें उनका कोई बड़ा दोष मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि बड़े-बड़े लोगों ने इस प्रकार की गलती की है । अभी एक मित्र शायद कह रहे थे कि ५५ परसेंट होल्डिंग्स हमारे सूबे में २ एकड़ से कम की हैं । अब बात क्या है उपाध्यक्ष महोदय, जो गलती की जाती है उसका कारण क्या है ? उसका कारण यह है कि जमींदारी एबालीशन कमेटी की रिपोर्ट वाल्यूम नम्बर २, टेबिल नम्बर ५, पेज नम्बर ६ पर पहला कालम है साइज आफ होल्डिंग्स इन एकड़्स, दूसरा कालम है टोटल नम्बर आफ परसन्स। तीसरा कालम है परसेंटेज आफ दी टोटल नम्बर आफ परसन्स । उसका ग्रैन्ड टोटल है कालम २ । प्वाइंट फाइव एकड़ की होल्डिंग्स २६,४३,०००·५ और १ एकड़ के बीच की होल्डिंग्स १९ लाख बल्कि २० लाख समझिये । एक एकड़ और २ एकड़ के बीच की होल्डिंग्स २२ लाख ५ हजार । परसेंटेज हो गया २१,१६ ३७, १८, और ५५ । इसी की बेसिस पर किसी ने यह कहा था और अखबारों में आर्टिकिल्स भी लिखे जाते हैं, यहां स्पीचेज भी होती हैं । उपाध्यक्ष महोदय, दो बात आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं, जब हम कहते हैं कि होल्डिंग्स इतनी छोटी-छोटी हैं (व्यवधान) सब्र से सुनिये, बहुत मैंने मेहनत की है इस सिलसिले में, अगर मेरे दोस्त का मंशा हो तो मैं बैठे सकता हूं ·····

श्री उपाध्यक्ष---जब माननीय सदस्य को एतराज है तो आप उनको टोकें नहीं । अगर वह सुनना चाहते हैं तो दूसरी बात है । अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो आप कृपा करके उनको टोकें न ।

श्री चरणसिंह---इस तरह से कहा यह जाता है कि लोगों पर यह इम्प्रेस करने की कोशिश की जाती है कि एक एक खानदान के पास ·५ एकड़ जमीन है अगर यह है तो १ करोड़ २२ लाख ७८ हजार, यानी १ करोड़ २३ लाख किसान फेमिलीज हुईं ४५--४६ की फिगर्स से जिसका मतलब यह हुआ कि ६ करोड़ १५ लाख पीजेंट्स हुए सन् ४५ में जबकि कुल आबादी ६ करोड़ ३२ लाख थी । तो यह दरअसल इतनी जमीन एक-एक परिवार के पास नहीं है । इतनी होल्डिंग्स हैं और छोटे-छोटे किसानों के पास दो-दो, तीन-तीन और चार-चार होल्डिंग्स हैं । उसी के नीचे नोट दिया हुआ है जिसे पढ़ने की तकलीफ कोई गवारा नहीं करता ।

"*N.B.*—The total number of persons exceeds the number of cultivators as the same person holding more than one class of interest in land has been counted more than once".

इसलिए होल्डिंग्स छोटी हैं । मेरी इससे तसल्ली नहीं है । होल्डिंग्स बड़ी होनी चाहिए उसका इलाज कुछ और है जिसके लिए यह समय नहीं है । लेकिन जितना कि जाहिर किया जाता है कि इतनी छोटी-छोटी होल्डिंग्स हैं, वह बात गलत है ।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय खत्म हो रहा है ।

श्री चरणसिंह---सैयद अली जहीर साहब के टाइम में से ५ मिनट लिये ले रहा हूं, आपकी इजाजत से ।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है, मैं उनके समय में से काटकर आपको ५ मिनट दे रहा हूं ।

श्री चरणसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही जाती है मेरी बाबत, अब मैं जरा पर्सनल बात पर आता हूं क्योंकि मेरे ऊपर कृपा कटाक्ष माननीय गेंदा सिंह जी का होता है और कभी-कभी मैं बहुत ऐम्बेरेसमेंट महसूस करता हूं । मसलन पिछली बार जब आल पार्टीज रिलीफ कमेटी मुकर्रर हुई और १९/२० सितम्बर की प्रोसीडिंग्स खत्म हो चुकी थीं तो २९ सितम्बर को माननीय गेंदा सिंह जी गोरखपुर में तकरीर करते हैं, जो २९ तारीख के 'नेशनल हेराल्ड' में छपी है उसमें कहते हैं कि आल पार्टी कमेटी ने वह काम किया है जो गवर्नमेंट कभी भी न करती । गवर्नमेंट ने क्या काम किया कोई एक ऐसी चीज नहीं थी जो काबिले अमल होती और जो गवर्नमेंट ५ साल पहले से नहीं कर रही होती और आपने नई बतायी होती। १४ सितम्बर को माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने एक खत भेजा जो मुझे घर पर १६ को मिला था, उसमें आपने फरमाया कि १९ सितम्बर को जो मीटिंग कर रहे हैं मेरी तजवीज है कि ९ जिलों को ढाई, ढाई लाख रुपये दे दीजिये । बलिया को भी ढाई लाख और गोरखपुर को भी ढाई लाख । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, १५ सितम्बर के पहले इन्हीं ९ जिलों के लिये इस रिएक्शनरी और प्रोकैपिटलिस्ट और गरीबों का खून चूसने वाली गवर्नमेंट की तरफ से २९ लाख रुपये के आर्डर्स जारी हो चुके थे । और उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९५६ में इन्हीं ९ जिलों में ८५ लाख रुपये की तकावी मन्जूर की जा चुकी थी ।

दूसरी बात यह कही गयी कि चरणसिंह यह कहता है कि तुम लोग काले पानी चले जाओ। मुझे बड़ी शिकायत है, मैंने १४ जुलाई को गोरखपुर में एक बात कही थी, उसको मिसरिप्रेजेंट किया गया । हो सकता है अनजाने में किया गया हो । मैंने पायनियर में एडीटोरियल कालम से मिले हुये कालम में सफाई कर दी २९ जुलाई को गवर्नमेंट की फाइल मंगाकर बता दिया और माननीय गेंदा सिंह जी को उस मीटिंग में बुलाया था जो २९ जुलाई को हुई, लेकिन वह जानबूझ कर नहीं आये । मेरी सफाई के बाद भी यह रिपीट किया जाता है कि चरण सिंह तुमको काले पानी भेजना चाहता है । मैं नहीं मानता कि यह किसी शरीफ आदमी का काम हो सकता है । उस आदमी का हो सकता है जो अपने आपको और दूसरे को ईमानदार समझता है ।

अब एक बात यह भी कही गयी कि यह राजस्व मंत्री पूर्वी जिलों के साथ जुल्म करना चाहता है इसलिये ओवर प्रोडक्शन दिखलाते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस बदकिस्मत जिले से मैं आता हूं वहां २४ रु० मन गेहूं है और मुझे नहीं मालूम कि देवरिया में भी २४ रु० मन है, लेकिन बस्ती में १९ और २० रु० मन का भाव है । हो सकता है कि देवरिया में २४ रु० मन हो । लेकिन अगर मैं अत्याचार कर रहा हूं, अगर मेरे ही जरिये और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जरिये अत्याचार हो सकता है तो मेरठ में भी कर रहा हूं अत्याचार और वहां मालगुजारी की माफी नहीं दे रहा हूं । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते मुझे भी उतना ही ईमानदार समझें जितना मेरे मित्र उधर जो बैठे हैं अपने को समझते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---वह ५ मिनट भी आपके खत्म हो गये ।

श्री चरणसिंह---इन शब्दों के साथ मैं यहां फिर कहना चाहता हूं कि जो टेक्टिक्स बरती जा रही हैं इससे किसी पार्टी का फायदा हो सकता है, लेकिन देश को फायदा नहीं होगा । आज आपको ये टेक्टिक्स पे कर सकते हैं । कल को आप की, मेरे दोस्तों की हुकूमत हो जाय तो उनको अच्छी तरह पे करेंगे । झारखंडेराय जी का पहली अगस्त को "पायनियर" में बयान निकला । उनसे पूछिये कि केरल के मुताल्लिक उनका क्या खयाल है ? आज कांग्रेस वालों से उनको वही शिकायत है जोकि केरल में वह खुद कर रहे हैं । आज वह कह रहे हैं कि सब पार्टीज मिल कर एक कामन कोड आफ कंडक्ट निकालें । आज वहां कांग्रेस वालों का स्ट्राइक नाजायज है और यह वह सत्याग्रह की बात करते हैं । तो मैं यह अर्ज करना चाहता था कि यह सब टैक्टिक्स इस्तेमाल करके सूबे में जो एटमास्फियर पैदा

किया जा रहा है यह कहां तक किसानों के हित का है और कितना जनतंत्र के हक में होगा ? इससे आज इमीजियेट गेन कुछ मुझको या आपको हो सकता है, लेकिन कंट्री के लिये यह बड़ा इंज्यूरियस साबित होगा । इसलिये मैं आपके जरिये से दोनों हाथ जोड़ कर बहुत विनय के साथ कंट्रोवर्श्यल स्तर पर नहीं, बड़े दुःख के साथ और तकलीफ के साथ माननीय मेम्बरों से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जरा मेहरबानी करके इन टैक्टिक्स से बाज आयें । इनसे देश का फायदा नहीं होगा, फायदा होगा फी एकड़ प्रोडक्शन से । उसके लिये जो कुछ आप कहें, गवर्नमेंट को आप जो कुछ तजवीजें बतायें उसके लिये हम हर तरीके से तैयार हैं । हम नहीं कहते कि हमने सब कुछ कर लिया, बहुत कुछ करने को बाकी है । श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी ने जो तकरीर की उसक लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं । उस लाइन पर अगर तकरीरें हों तो आपको और सूबे को मुबारकबाद ।

*श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, मैं कुछ पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन के तौर पर कहना चाहता था । और बातों का उत्तर तो जमाना देगा, सिर्फ दो बातों के बारे में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं । एक तो जो रिपोर्ट माननीय राजस्व मंत्री ने सुनाई कि मैं गया और मैंने क्या-क्या कहा, तो मैं संक्षेप में एक मिनट में यह बात कह दूं कि जरूर मैं गया । अवाइड करना चाहता था, जाना नहीं चाहता था, दो दिन से । जगदीशपुर और बूझापट्टी के किसान मेरे पास आये ।

श्री उपाध्यक्ष---आप अपना पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन दे दें कि आपने क्या नहीं कहा, उसम स्वयं और बातें न जोड़ें ।

श्री गेंदासिंह---मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं । मैं यह नहीं कहता कि मैंने 'चोर' नहीं कहा । मैंने जब देखा कि बिना वारंट और कुर्की के बैल पकड़ रखा है तो मैंने सिर्फ उससे पूछा कि बताओ, बिना वारंट और कुर्की के जो बैल पकड़ कर रखे, उसको क्या कहा जायगा ? एक बार वह चुप रहा । जब दोबारा पूछा तो वह कलेक्शन अमीन भला आदमी मालूम होता था, उसने खुद कहा कि जो किसी हक से न पकड़े हो उसे 'चोर' और 'डाकू' कहा जायगा । अब उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उसके बाद क्या कहा, सो शायद उस रिपोर्ट में नहीं है । मैंने कहा कि "चोर और डाकू अगर बैल पकड़ लें तो फिर उसको थाने जाना चाहिये । तुम थाने चलो तुम्हें थाने में बन्द होना चाहिये । हम तुम्हारी जमानत करके छुड़ायेंगे और तहसील में जाकर छोड़ेंगे ।" तो मैं समझता हूं कि इसी तरह से कलेक्शन अमीन चोर और डाकू की तरह से बैल खोलते हैं और वह इंस्टीगेशन पर खोलते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---मुझे फिर आपसे यह कहना है कि आप वही कहिये जो आपने नहीं कहा ।

श्री गेंदासिंह---दूसरी बात, उन्होंने अभी होल्डिंग्स के बारे में यह इल्जाम लगाया कि मैंने ६० लाख कहा । तो मैंने उनकी सेवा में अपनी तकरीर की कापी भेज दी थी, लेकिन उन्होंने शायद पढ़ने का कष्ट नहीं किया । मैंने तो बहुत स्पष्ट कहा था कि गोरखपुर और बनारस कमिश्नरी के जिलों में जो खाते एक एकड़ से नीचे वाले हैं वह १६,८५,८४७ हैं और उनके पास ८ लाख कुछ एकड़ जमीन हैं । मैं समझता हूं कि जब वह कुछ कहा करें तो जरा फैक्ट्स के आधार पर कहा करें ।

श्री चरणसिंह---आपने यही कहा सही, लेकिन वह आंकड़े ही गलत हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---श्री राजनारायण, आपको १२ मिनट मिलेंगे ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---आप उन्हीं का समय काट दीजिये, श्रीमन् क्योंकि सरकार की ओर से पूरा उत्तर माननीय चरण सिंह ने दे दिया और एक गलत केस को गलत तरीके से जिस तरह से उन्होंने रखा है, अली जहीर साहब उसको और भी खराब कर देंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजनारायण]

श्रीमन्, माल मंत्री जी ने जो इस सरकार के कार्यों के सम्बन्ध में करीब १ घंटे, १० मिनट में अपना भाषण किया है, मैं समझता हूं कि अगर मुझे समय मिले तो उन्होंने जो एक भ्रामक महल खड़ा किया है, उसको बालू की भीत की तरह गिराने में समर्थ हो सकूंगा ।

श्रीमन्, उन्होंने जो यहां पर चोरी डकैती और कत्ल के सम्बन्ध में आंकड़े दिये और साबित करने की कोशिश की कि अपराधों की संख्या अब घट रही है यह बिलकुल निराधार और भ्रमात्मक हैं । मैं माननीय माल मंत्री से कहूंगा कि यदि उनके भाषण का अर्थ यह है कि गोरखपुर, बनारस और देवरिया में अपराधों की संख्या कम हो रही है तो क्या वह अब मेरठ में बढ़ रही है ? क्या इसको वह मानेंगे ? इत्तिफाक से हमारे पास फिगर्स हैं और वह बताते हैं कि सन् १९५५-५६ में ८४४ डाके पड़े और सन् ५६-५७ में ९३२, इसी तरह से सन् ५५-५६ में लूट के मामले ४१४ हुए और ५६-५७ में ६६२, ५५-५६ में हत्या के केस १,४४८ और ५६-५७ में १,५९९, नकब के केस ५५-५६ में १६,५०९ और ५६-५७ में १९,४२० हुए । अब वह तालिका कहां गयी जब इतने नकब के, चोरी के, डकैती के और रहजनी के केस हुए तो कौन-सी उनकी पुस्तक है कि जिससे वह कहते हैं कि अपराधों की संख्या घटी है और कौन-सी बुद्धि विभ्रम जन्य भ्रान्ति के क्षेत्र में वह बिचरण करते हैं और ऐसा चित्र सदन में खींचते हैं कि जिस के बारे में कहा जा सकता है कि वह सत्य नहीं है ।

मैं आपके द्वारा कुछ और ठोस सुझाव देना चाहता हूं । सदन में जितने भी भाषण हुए, माननीय लक्ष्मीरमण जी का या माननीय माल मंत्री जी का या सरकारी पक्ष के दूसरे लोगों के उनके बाद भी क्या यह सत्य नहीं है कि पानी के कारण जिन फसलों की कमी है उनमें मक्का, बाजरा, ज्वार, कोदों, सांवां, उर्द, अरहर और धान आदि हैं । इन फसलों की उपज बढ़ी है या घटी है । क्या सरकार सफाई के साथ कह सकती है कि इन अनाजों का क्षेत्रफल बढ़ा है या घटा है । मैं बताना चाहता हूं कि मक्का के क्षेत्र में ३१४ हजार एकड़ की कमी हुई है ५४-५५ से ५७-५८ तक, इसी तरह से बाजरे के क्षेत्र में १५८ हजार एकड़ की कमी हुई है इन्हीं ४ वर्षों के बीच में । ज्वार में ५०६ हजार एकड़ की कमी हुई है, कोदों में ४९३ हजार एकड़ की कमी हुई है, सांवां में ११४ हजार एकड़ की कमी हुई है, अरहर में ७९ हजार एकड़ की कमी हुई है, इन ४ सालों में ५४-५५ से ५७-५८ तक । जब यह कमी हुई है तो सरकार को इसका उत्तर देना चाहिये कि इस कमी की वजह से जो अन्न की पैदावार घट रही है उस का जिम्मेदार कौन है ? क्या इस पर भी कोई उस तरफ से कहने की हिम्मत करेगा कि अन्न की पैदावार बढ़ी है ? हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अन्न की पैदावार घटी है । हमारी समझ में नहीं आता कि किस तरह से कह दिया जाता है कि विकास हो रहा है ।

इस के लिये मैं केवल माननीय माल मंत्री को ही दोष नहीं देता, मैं पूरे मंत्रिमंडल को दोषी समझता हूं और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस विषय में मैं केवल यहीं के मंत्रिमंडल को दोषी नहीं समझता बल्कि दिल्ली के मंत्रिमंडल को भी दोषी समझता हूं क्योंकि यह केवल यू० पी० की योजना नहीं है, सारी की सारी देश भर की योजना प्लानिंग कमीशन बनाता है, सारे देश की योजना दोषपूर्ण है । चौधरी साहब आप इधर सुनिये, उधर बात न करें । यह देखना है कि किसानों पर क्या अत्याचार नहीं हुआ । मैं उनको बनारस की, देवरिया की और आजमगढ़ की तालिका दे सकता हूं और कह सकता हूं कि अंग्रेजी राज्य के जमाने में लगान की वसूली में इतने अत्याचार नहीं हुए जितने इस सरकार के जमाने में हो रहे हैं, स्त्रियों को घसीटा गया, बैल कुर्क किये गये, छोटी सी जगह में दस दस १५-१५ आदमियों को बन्द रखा गया, मैंने इसकी शिकायत माननीय मुख्य मंत्री जी से की । मैं माननीय गेंदा सिंह जी को मुबारकबाद दूंगा कि माननीय माल मंत्री ने उनके विषय में यह बात कही और मैं उनके इस काम के लिये उन की प्रशंसा और सराहना करता हूं । हम यहां पर सन् ४३ की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते जब कि कलकत्ते में मिठाई की दुकानों

पर थाल भरे रह जाते थे और सड़कों पर नौजवान भूख से कराहते काल के गाल में ग्रसित होते चले जाते थे और एक-एक दाने को लोग तरसते थे। जब फसल सूख गयी तो लगान सूख गया। क्या इस सिद्धान्त को चौधरी साहब मानते हैं ?

श्री चरणसिंह---मानता हूं।

श्री राजनारायण---तो फिर माफ करें। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जहां २२ करोड़ रुपया वसूल होता हो वहां एक करोड़ की छूट दे देने से प्रसंशा लेना चाहते हैं। १० मई को मैं देवरिया में उपस्थित था, वहां पर कहा गया था कि देवरिया जिला के किसानों के गन्ने का दाम डेढ़ करोड़ रुपये के करीब बकाया पड़ा हुआ है और सरकार कुछ भी कोशिश नहीं कर रही है। मिल मालिकों से पैसा दिलाने के लिये कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है। जहां की जनता भूख से कराह रही हो वहां जो सरकार मिल मालिकों का साथ दे तो फिर ऐसी सरकार के लिये क्या कहा जाय।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज बनारस के जगतगंज मुहल्ला से हमारे पास खत आया है जहां से हमारे मुख्य मंत्री तथा गृह मंत्री आते हैं। इस मुहल्ला में जूते बनाने वाले रहते हैं। उनके मकानों को गिराने का इंतजाम वहां की म्युनिसिपैलिटी कर रही है। इसके बारे में न तो कानूनी कार्यवाही की गयी है और न नोटिस ही दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष---यह क्या मालगुजारी की वसूली के सिलसिले में है ?

श्री राजनारायण---उसी पर आ रहा हूं श्रीमन्, इन लोगों के अत्याचार के बारे में जरा हमको भी कह लेने दें। हमारे यहां एक कहावत है कि "सुनार की सौ और लुहार की एक ऐसी"। मैं यह कहना चाहता हूं कि २६ जूलाई को सोशलिस्ट पार्टी की ओर से एक खत मुख्य मंत्री के पास भेजा गया था और मैं उनसे मिला भी था। मैं पूरा पत्र नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसमें बहुत समय लग जायगा। मैंने उनकी सेवा में साफ शब्दों में कहा था कि सरकार की गलत योजनाएं हैं, गलत नीतियां हैं, जिनकी वजह से खाद्य संकट हमारे यहां है और सरकार उसको दूर नहीं कर सकती है। माना कि सूखा पड़ा, माना कि बाढ़ आयी, माना कि पत्थर गिरा, माना कि ओला आया, लेकिन महात्मा जी ने स्पष्ट कहा था कि केवल हिन्दुस्तान में ही बाढ़ नहीं आती है, पत्थर ओले नहीं पड़ते हैं। प्रकृति का प्रकोप का बहाना लेकर किसानों के हित की बात न करना, यह सरकार के लिये अशोभनीय है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सिंचाई की व्यवस्था क्या है ? जो नलकूप बनारस में लगे हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं कि जो पहले ३६ हजार गैलन पानी देते थे वह केवल ९ हजार गैलन तक ही पानी देते हैं तो इसमें दोष क्या है, किस की खराबी है ? अगर सरकार किसानों के हित की जिम्मेदारी नहीं लेगी तो कौन लेगा ? देवरिया जिले को ले लिया जाय और बताया जाय कि कितनी जमीन पड़ी हुई है। चाहे पडरौना को ले लिया जाय और बतायें कि उस पर कितनी खेती होती है। मैं उनकी बात मानने के लिये तैयार हूं। वह ईमानदारी के साथ कहें। कुड़वा की जितनी जमीन है क्या उस पर सब खेती होती है, राजाराम नगर की जो जमीन है क्या उस सब पर खेती होती है ? वह कभी नहीं कहेंगे।

श्रीमन्, इसी के साथ-साथ यह भी बताया जाय कि कितना रुपया सरकार प्रोडक्टिव स्कीमों में लगा रही है और कितना रुपया अनप्रोडक्टिव स्कीमों में लगा रही है। चौधरी साहब ने समझाने की कोशिश की है। बजट को देखा जाय तो मालूम होगा कि अनप्रोडक्टिव स्कीमों में ज्यादा रुपया खर्च किया जा रहा है। जब यह हालत है तो फिर क्यों तारीफ करते हैं, क्यों बनारस की सड़कें चौड़ी हों, क्यों लखनऊ की सड़कें चौड़ी हों, जबकि जनता भीषण भूख की ज्वाला से कराह रही हो ? हमारे चौधरी साहब के पास इसका क्या जवाब है कि यहां मिनिस्टरों के सामने पंखे लग रहे हैं। सात वर्ष के बाद यह नई हालत है। कहां से उनकी गर्मी बढ़ गयी ? एक तरफ तो हमारे प्रदेश की जनता परेशान है और यहां पर मिनिस्टरों के लिये नये-नये पंखे लगाये जायं जबकि हमारे कमरों के टेलीफोन काट दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष---१० मिनट में जो आपने कहा है वह काफी है । दो मिनट आप और ले लें क्योंकि ४ बजे से दूसरी बहस होनी है ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, ऐसा न करें । सब से कमजोर हम ही हैं। आप सर्व-शक्ति सम्पन्न हैं कोई व्यवस्था निकालें ।

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं ।

श्री राजनारायण---इस सदन के सम्मानित सदस्य जरा इसको देखें। पहला, राज्य में प्रचुर मात्रा में गल्ले का स्टाक रखा जाय और सस्ते दाम पर बिकवाने और खरीदवाने की व्यवस्था हो। सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या बढ़ाइये। न्याय पंचायतों के सेंटर ग्राइज दूकानें खोलिये। कटनई के समय जिस भाव से गल्ला बिका हो उससे सस्ते दामों पर गल्ला बिकवाया जाय। में माननीय चौधरी चरण सिंह से पूछना चाहता हूं कि क्यों यह सरकार सस्ते गल्ले की दूकानें कहती है जब कि सरकार ने इससे ज्यादा सस्ते भाव पर किसान से गल्ला खरीदा या सरकार के इशारे पर गल्ले के व्यापारियों ने खरीदा तो किसान से सस्ता खरीदना और फिर उसको मंहगा बेचना, क्या यह बेईमानी की बात नहीं है? क्या यह गलत बात नहीं है? अगर सच्ची बात कही जाय तो चौधरी साहब को रंज होगा। १३६५ फसली की रबी की तकावी पंचायत टैक्स और अन्य सरकारी पावने की वसूली रोकी जाय। मैं आपके द्वारा चौधरी साहब को फिर खड़ा करना चाहता हूं। वह बतायें कि क्या पारसाल की बनिस्बत गोरखपुर, बनारस की कमिश्नरी में अन्न की ज्यादा पैदावार हुई है? क्या छः-छः वर्ष का गांव पंचायतों का टैक्स नहीं वसूल किया गया? क्या पिछले तीन वर्ष की तकावी नहीं वसूल की गयी है? माननीय चौधरी चरण सिंह क्या नहीं जानते हैं? माननीय मुख्य मंत्री को गुमराह क्यों करते हैं? शायद वह न पढ़े हों, फिलासफर आदमी हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं। तकावी के नियम में लिखा हुआ है कि जब फसल न हो तो तकावी का रुपया नहीं वसूल होना चाहिये। फिर तीन चार वर्ष की तकावी और छः वर्ष का गांव पंचायत का टैक्स अगर वसूल कर रहे हैं तो सरकार रावण नहीं है तो क्या है? खून के मानी क्या हैं? क्या रावण सुई लगा कर खून निकालता था? आज यह सरकार किसानों के शरीर में खून नहीं बनने देती। उनके शरीर में गरमी नहीं होती ।

श्री चरणसिंह---ऐसा नहीं मालूम हो रहा है ।

श्री राजनारायण---हम आपके पास रहते हैं। थोड़ा सा इसलिए हम भी मोटे हैं।

श्रीमन्, चौधरी साहब से ,सही में मैं आपके द्वारा, कहूंगा कि वह जाकर देखें। चौधरी चरणसिंह जी, माननीय सम्पूर्णानन्द जी, माननीय कमलापति जी या राजनारायण जैसे आदमियों को भी ले लिया जाय---जब हम बच्चे थे तो कितने दिनों तक अपनी माता का दूध पीकर रहे थे। आज बच्चा पैदा होता है, सात दिन या पन्द्रह दिन तक भी माता उसको दूध नहीं पिला पाती। क्या यह खून की कमी होने की निशानी नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया। अब कृपया बैठिए।

श्री राजनारायण---एक बात मैं कह दूं। गेंदा सिंह जी ने बाहर जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उन्हीं शब्दों का यहां भी प्रयोग करें, दो जीभ से न बोलें तो मैं उनको बधाई दूंगा।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---उपाध्यक्ष महोदय, वैसे यह बहस तो खाद्यान्न के ऊपर ही शुरू हुई, लेकिन खास तौर से विरोधी दलों के नेताओं की तरफ से जो तकरीरें हुईं, सिवा पालीवाल जी की तकरीर को छोड़ कर, गालिबन कोई और तकरीर ऐसी नहीं थी जिसका ताल्लुक खाद्यान्न से ज्यादा रहा हो। जहां तक माल विभाग या दूसरे विभागों के मुताल्लिक था उसका जवाब चरण सिंह जी ने दे दिया है। मुझे उसको दोहराने की जरूरत नहीं है।

(इस समय ३ बज कर ५४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

खाद्यान्न के मुताल्लिक दो तीन बातें कही गयी हैं जिनका जवाब अभी नहीं हुआ है। सिर्फ वही मैं अर्ज कर देना चाहता हूं। जहां तक पैदावार का ताल्लुक है जो नोट मैंने कल तकसीम किया था खुद मैंने उसमें लिखा है कि जहां तक जमीन का ताल्लुक है १० लाख ७८ हजार एकड़ एरिया घटा है जिस पर खाद्यान्न बोया जाता था और इसी तरह से जो अनाज कम हुआ है उसकी तादाद है ८ लाख टन। इतना पारसाल कम पैदा हुआ है। बहरहाल कमी पैदावार की है ही, इसमें कोई शक नहीं है। कमी कैसे हुई यह एक बिलकुल दूसरी चीज है। अब दूसरी चीज जो कही गई है ,वह यह कि बलिया में दूकाने पहले १८० थीं। अब १४५ ही रह गयी हैं उसकी वजह यह है कि वहां पर कुछ दुकानों के खिलाफ शिकायतें थीं। चुनांचे उनको मन्सूख कर दिया गया और उनको जो लाइसेंस दिया गया था वह कैंसिल कर दिया। अब दूसरे लोगों को वे लाइसेंस दिये जा रहे हैं और वह तादाद पूरी हो जायगी।

कुछ शिकायत गोंडा की थी कि वहां पर दुकानें कम हैं। बहरहाल जहां तक मेरा खयाल है वहां पर जितनी दूकानें होनी चाहिए और जितनी हम मुनासिब समझते हैं उतनी दूकानें खुली हुई हैं। मैंने अपनी तकरीर के शुरू में कहा था कि दिक्कत यह होती है कि अनाज कुछ दिक्कतों की वजह से उन दूकानों पर कभी-कभी वक्त पर नहीं पहुंच पाता। अनाज को भेजने में जो दिक्कत होती है वह ट्रान्सपोर्ट की कठिनाई की वजह से होती है क्योंकि बहुत सी जगहों को इस वक्त अनाज भेजा जा रहा है और हमारे यहां भी एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जा रहा है। इस वजह से दिक्कत २, ४ दिन के लिये कभी हो सकती है। मुमकिन है वह दिक्कत अब दूर हो गयी हो और अब तक वह कमी पूरी हो चुकी होगी।

श्री त्रिलोकी सिंह जी ने शिकायत की कि मुहल्ला कमेटी अब तक कायदे से नहीं बनी हैं। जब शुरू शुरू में यह स्कीम चलाई गयी तो मैंने अपने बयान में यह कहा था कि मैं यह चाहता हूं कि इसमें हमको पब्लिक की तरफ से पूरी-पूरी सहायता मिले। हर शहर और जहां भी दुकानें खुल रही हैं वहां मुहल्ले के लोग सामने आयें। मैंने देखा है कि कई जगहों पर लोग सामने आये हैं और उन्होंने मुहल्ला कमेटी बना कर इस काम को अपने हाथ में लिया है और वे कायदे से गल्ला तकसीम कराते हैं। मुझे खुशी है कि कई जगहों पर लोगों ने इसमें दिलचस्पी ली है, इन्तजाम किया है और पर्ची को बंटवा दिया है। पर्ची के हिसाब से जिनको गल्ला मिलना चाहिये उनको उससे मिलता है। वे दूकान पर आते हैं और अपनी खरीदारी करके चले जाते हैं। वहां पर रश नहीं होता है। मुझे यकीन है कि मुहल्ले वाले इसमें दिलचस्पी लेंगे और इसका इन्तजाम अपने हाथ में लेंगे। जहां पर लोगों ने इन्तजाम अपने हाथ में लिया है वहां पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन बहुत सी जगहों पर लोग दिलचस्पी नहीं लेते हैं। हमारे अफसर जाते हैं और कहते हैं कि कमेटी बनाइये, लेकिन बाज जगहों पर अभी तक कमेटी नहीं बन पाई है। लोग तैयार नहीं होते हैं जिसकी वजह से कुछ दिक्कत होती है। इसलिये मैं सिर्फ अर्ज करूंगा कि इसका इन्तजाम अगर अपने हाथ में आप नहीं लेंगे तो फिर सरकारी मशीनरी के जरिये से इन्तजाम करने में वक्त लगेगा। जैसा मैंने कहा था कि कबाल टाउन्स में और बरेली और मेरठ में आइडेन्टिटी कार्ड बन रहे हैं, लेकिन आइडेन्टिटी कार्ड के बनने में वक्त जरूर लगेगा। तो इसमें यह कहना कि अभी तक वह क्यों नहीं बन पायी, सही नहीं होगा। हमें दूकानें जल्द से जल्द खोलनी थीं, इस वजह से जल्दी से कमेटी नहीं बन सकीं। इसका इन्तजाम अगर अपने हाथ में ले लिया जायगा तो यह इन्तजाम आसानी से हो जायगा।

बहरहाल जो तकरीरें की गयी हैं उनमें तस्वीर का एक रुख दिखलाया गया है। यह खुली हुई बात है कि अगर आप बड़े शहर लन्दन या न्यूयार्क में जायं और वहां की अगर एक तस्वीर खींचने लगें तो वहां की परेशानी ही दिखाई देगी और मालूम होगा कि यहां पर सब तबाह हैं और कोई खुशहाल नहीं है लेकिन बरखिलाफ इसके अगर आप इसका अच्छा रुख देखेंगे तो आपको उसी शहर में अच्छी बातें भी मिलेंगी और ऐसे भी लोग मिलेंगे जो

[श्री सैयद अली जहीर]

खुशहाल हैं, जो अच्छी तरह से अपनी जिन्दगी गुजार रहे हैं। हमारे हर शहर में गरीब लोग हैं और परेशान हाल हैं। हमने कभी इससे इनकार नहीं किया इसलिये कि हमारे यहां बहुत बड़ी तादाद जनता की ऐसी है जो गरीब है और जिसको दोनों वक्त खाना भी नहीं मिलता है; लेकिन इसको तसलीम करना पड़ेगा कि उनकी हालत रोज बरोज बेहतर होती चली जा रही है। इन सब बातों को देखा जायगा तो माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि तस्वीर का रुख उस तरह का अन्धकारमय नहीं है जैसा कि हमारे विरोधी दल के नेता उसको बनाना चाहते हैं।

लखनऊ में छितवापुर पुलिस चौकी के सामने विद्यार्थियों के जुलूस पर गोली वर्षा के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं और इस सदन का कृतज्ञ हूं कि उसने यह अनुमति प्रदान की कि मैं इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव को पेश करूं। जिस सम्बन्ध में मैं इस प्रस्ताव को पेश करना चाहता हूं मान्यवर, वह उस शोचनीय दुर्घटना. . . .

श्री अध्यक्ष---आप प्रस्ताव को पढ़ कर सुना दें।

श्री त्रिलोकी सिंह---मान्यवर की जैसी आज्ञा हो। लेकिन संसदीय प्रथा यही है कि आज्ञा के बाद भाषण देने के बाद प्रस्तावक यह कहता है कि अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का कार्य स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप प्रस्ताव को पढ़ दें क्योंकि उस में दिलचस्पी कई लोग रखते हैं और लोग प्रस्ताव की शब्दावली सुने बिना समझ नहीं पायेंगे।

श्री त्रिलोकी सिंह---निश्चय हुआ कि विधान सभा की बैठक एक निश्चित सार्वजनिक महत्व के आवश्यक प्रश्न, अर्थात् २ अगस्त, १९५८ को लखनऊ नगर में छितवापुर पुलिस चौकी के करीब पुलिस का अकारण विद्यार्थियों के जलूस पर अन्धाधुन्ध गोली चलाना और उसके द्वारा जख्मियों की दवा की व्यवस्था न करने पर विचार करने के लिये स्थगित की जाय।

मान्यवर, नागरिकों के कुछ अधिकार संविधान के अन्तर्गत सुरक्षित हैं और कुछ अधिकार ऐसे हैं कि जिनका जिक्र संविधान में नहीं है, लेकिन जो देश के अन्य कानून हैं, प्रथायें हैं, कामन ला है, उनके अन्तर्गत सुरक्षित हैं। एक अधिकार इस देश के नागरिक को यह प्राप्त है कि वह विचार करने के लिये किसी एक जगह पर इकट्ठा हो सके। यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह आम रास्तों पर जलूस निकाल सके। २ अगस्त को विद्यार्थियों का जो जलूस निकला उसकी सूचना जितने भी स्थानीय अधिकारी लखनऊ शहर के थे, जिनका पुलिस और मैजिस्ट्रेसी से वास्ता है, उन सब को थी। पहले से उसका ज्ञान उनको था और इतना ज्ञान था कि उन्होंने उसकी चौकसी के लिये जिन रास्तों से वह जलूस गुजरने वाला था नाके-नाके और कोने-कोने पर पुलिस के सिपाही खड़े कर रखे थे। मैजिस्ट्रेट्स शहर का गश्त कर रहे थे और जुलूस के आगे और पीछे दोनों तरफ पुलिस की मोटरें चल रही थीं और पुलिस के सिपाही डंडों से और हथियारों से सुसज्जित नजर आ रहे थे।

यह सर्वमान्य है, निर्विवाद है कि लखनऊ शहर में यह जलूस ४ घंटे के करीब घूमा और यह भी निर्विवाद है कि इन चार घंटों के बीच वह कई पुलिस स्टेशनों और पुलिस के अड्डों के सामने से गुजरा। यह बात भी निर्विवाद है कि इन पुलिस चौकियों पर पुलिस के सिपाही और दूसरे अन्य अधिकारी और मैजिस्ट्रेट आदि भी १००, २०० की तादाद में इकट्ठे थे कौन से और किस स्थान पर यह नौबत आयी मान्यवर, कि गोली चलाई जाय? क्यों? क्या खास बात थी कि छितवापुर में गोली चली? यह भी सब को मालूम है और मैं इसका

माननीय सदस्यों को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि यह जुलूस कौंसिल हाउस के सामने प्रदर्शन करने के बाद छितवापुर में पहुंचा था। कौंसिल भवन में लखनऊ के जिला मैजिस्ट्रेट और कप्तान पुलिस और दूसरे अन्य बड़े अधिकारी थे।

यह उन अधिकारियों का कहना है कि उनको यह मालूम था कि कान्यकुब्ज कालेज में उसके आस-पास उपद्रव होने की सम्भावना थी और उस उपद्रव को रोकने के लिये अगर कोई फसाद बरपा हो तो उस पर काबू पाने के लिये उन्होंने पुलिस का खास दस्ता बहुत बड़ी संख्या में कान्यकुब्ज कालेज के आस-पास लगा रखा था। कान्यकुब्ज कालेज से १०० गज के फासले पर उत्तर की ओर, आम सड़क पर छितवापुर की पुलिस चौकी है। वहां इसी प्रयोजन से पुलिस जमा की गई थी। लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि वे अधिकारी जो काउन्सिल हाउस तक तो उस जलूस के आसपास थे, आगे भी और पीछे भी, उनमें से एक भी क्यों छितवापुर तक नहीं जा पाया। न डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, न बड़े कप्तान पुलिस, न छोटे कप्तान पुलिस, न सिटी मैजिस्ट्रेट ही गये यद्यपि मालूम था कि वहां झगड़ा होने का इमकान है। जहां ये नहीं गये वहीं गोली चल गयी। मैं इस बात पर खास जोर देना चाहता हूं कि जहां बड़े-बड़े अधिकारी साथ रहे वहां गोली नहीं चली, लेकिन जहां ये नहीं रहे और इनको भय था कि झगड़ा होगा, वहां गोली चली।

और कैसे गोली चलती है? कहा जाता है कि ढेले फेंके गये। मैंने माना कि ढेले फेंके गये। लेकिन किस कानून के अन्तर्गत ढेले का जवाब गोली है? मैं इस आदरणीय सदन से बड़े नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वर्दी की भी कोई लाज होती है। हर आदमी वर्दी पहनने का मुस्तहक़ नहीं है। वर्दी पहन कर गुंडागर्दी करना और बजाय शान्ति कायम करने में सहायक होने के अशान्ति फैलाना वर्दी को शोभा नहीं देता है, वह आदमी वर्दी पहनने लायक नहीं है। फिर, गोली से मरा कौन? वह विद्यार्थी नहीं है, एक खिदमतगार था। पुलिस के पास कोई इस बात की शहादत नहीं है कि उसने किसी को ढेला मारा हो। वह बेगुनाह था। गोली से निर्दोष व्यक्ति मरा। यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

मैं गोली चलने के १५ मिनट पूर्व ही लखनऊ में आया था और मेरा दुर्भाग्य है कि स्टेशन पर उतर कर मैं इस रास्ते से नहीं आया वरना गोली चलने की नौबत ही नहीं आती। लेकिन चलने के बाद मैं तुरन्त वहां पहुंचा। मुझे वहां बड़े-बड़े अधिकारी मिल। पूछा कि कैसे गोली चली। हालांकि ५० मिनट का वक्त हो चुका था कहा कि पता नहीं क्यों गोली चली। पूछा सेल्फ डिफेन्स में फायर किया? किसके ऊपर हमला हुआ, कहां से हुआ, काहे से हुआ, किसने किया? इन आंखों ने, मान्यवर, देखा है कि पुलिस चौकी से १०० गज के फासले के अन्दर ईंटों की कुल तादाद ६०, ७० से ज्यादा नहीं थी। मैंने पूछा कि कहां से गुम्मा या ईंट फेंकी गई। बतलाया गया कि जब पुलिस वालों ने लाठी-चार्ज किया तो लड़कों को मारते हुये १०० गज की दूरी पर खदेड़ ले गये तो वहां पर कुछ के हाथ में गुम्मे पड़ गये। उनमें से एक ने एक पुलिस मैन को गुम्मा मारा। मैं बड़े आदरपूर्वक इस आदरणीय सदन से निवेदन करूंगा कि उसने वर्दी की लाज नहीं रखी। जो कायर की तरह से गुम्मे के डर से भाग जाय और दूसरों पर गोली चलाने का दावा रखे। मालूम होता है कि लखनऊ के किसी नवाबी या शाही खानदान के कोमल और नाजुक थे कि एक ईंट की चोट को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते।

एक और बात देखने की है। कितनी ईंटें पड़ीं? पुलिस का कहना है कि १७ पुलिस वालों को चोटें लगीं और ४ दूसरे सरकारी आदमियों को चोटें लगीं। २१ को चोट लगी। गोली कहां चली है? जहां ईंट पहले पड़ी हुई है वहां से १००, ९० गज के फासले पर गोली के निशान मौजूद हैं, तिमंजले पर, दुमंजले पर और मकान की खिड़की के ऊपर जहां कि एक सरकारी अधिकारी रहता है जो गवर्नमेंट आफ इंडिया का मुलाजिम है। जहां से स्त्री-पुरुष, खड़े हुए देख रहे थे। उन्हीं को ताक कर गोली मारी गयी। वे एक तरफ हो गये। आज भी उनकी खिड़की के दरवाजे की चौखट के ऊपर गोली के निशान हैं। क्या उन्होंने,

[श्री त्रिलोकीसिंह]

ऊपर से ढेला मारा था? गोली उनके ऊपर नहीं चलायी गयी जिन्होंने कहा जाता है ईंटा मारा। उनके ऊपर चलायी गयी जो कोठे पर खड़े देख रहे थे। डाक्टर शर्मा के मकान पर ऐसे गोली के छर्रे पड़े कि पचासों छर्रे के निशान वहां हैं।

मालूम है कि लड़ाई में भी जिनको चोट लगती है उनका इलाज कराया जाता है। यहाँ गोली चलाने में तत्पर और इलाज कराने से मतलब नहीं? जिन पुलिस के आदमियों को चोट लगी बतायी जाती हैं उन्हें तो अस्पताल पहुंचाया गया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, लेकिन जिनके गोली लगी उनके बारे में एक घंटे बाद भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब फरमाते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि किसको गोली लगी। पुलिस ऐक्ट मैंने भी पढ़ा है। पुलिस रेग्यूलेशन्स भी मुझे पढ़ने का इत्तिफाक हुआ है। मैं भी जानता हूं कि पुलिस के क्या फ़रायज़ हैं, पुलिस की क्या हिस्टरी है। पहले पुलिस फोर्स सन् १८२९ में राबर्ट पील ने बनाई थी वहां से मैं पुलिस का इतिहास जानता हूं। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले गोली मार कर भागें और जिसके गोली लगे उसके इलाज की परवाह न करें। उनके पास मोटरें थीं किन्तु दूसरे लोग जख्मियों को कराहती हुई हालत में रिक्शा पर लाद कर अस्पताल ले गये। लेकिन पुलिस वालों का कोई फर्ज नहीं था! मैं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि यह मक्खी के साथ जैसा बर्ताव है। मक्खी को भी, यद्यपि उससे कोई लाभ नहीं है और वह हानिकारक है, कोई आदमी मारता नहीं है। अगर कोई आदमी मक्खी को धोखे से मार भी ले तो भारतीय परम्परा रही है कि उसे छेड़ा जाता है कि यह मक्खीमार शख्स है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मक्खी के साथ भी हम ऐसा बर्ताव नहीं करते हैं जो कालरा फैलाती है और किसी तरह से भी इन्सान को राहत नहीं पहुंचाती है। यहां इन्सान के साथ मक्खी से भी बुरा बर्ताव किया गया।

सरकार की तरफ से, श्रीमन्, एक विज्ञप्ति निकाली गई और जिला मैजिस्ट्रेट ने भी निकाली। उन में लीपापोती करने का प्रयत्न किया है। मेरा यह निश्चित मत है, मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि यह जनता की सरकार है। तो जिसकी सरकार हो उसी पर गोली चलाई जाय। इसकी मिसाल संसार के इतिहास में नहीं मिलेगी। कोई खास बात हो, उपद्रव हो, या विप्लव की कैफियत पैदा हो, इन्सरैक्शन हो या आर्म्ड रिवोल्ट हो, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी। किसी मजीद सबूत के देने की आवश्यकता नहीं है। जो जुलूस ४ घंटे तक शहर से निकल गया और जिसका मुख्य काम हो गया और गोली चलाने की नौबत नहीं आई, उसके अन्त में जब वह जुलूस समाप्त होने जा रहा है, तो क्यों गोली चलाने की नौबत आई? मैं यह इल्जाम लगाता हूं इस सरकार के ऊपर और इसके उन कर्मचारियों के ऊपर जिन्होंने गोली चलाई कि गोली अकारण चलाई गई, बिना प्रोवोकेशन के चलाई गई। वहां सड़क ५० फीट के करीब चौड़ी होगी। दोनों तरफ पुलिस की मोटरें खड़ी कर दी गईं और रास्ता वहां रुक गया। वहां जलूस आता है। पुलिस ने वहां रास्ता रोका। मैं चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन उन लोगों से पूछा है जो वहां के रहने वाले हैं और भले आदमी हैं, कालेज की पढ़ने वाली लड़की है, एक ५५, ६० वर्ष का बूढ़ा आदमी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के गजेटेड अफसर हैं, एक लकड़ी बेंचता है ४५, ५० वर्ष का आदमी है। कोई कारण नहीं है कि सब लोग झूठ बोलेंगे। ऐसी मुअज्जिज शहादत सरकार के पास एक भी नहीं मिलेगी। लेकिन गोली चलाई गई और अकारण गोली चलाई गई। इस बात का सबूत है कि उन्होंने घायलों की मरहम पट्टी का इन्तजाम नहीं किया। इससे बढ़ कर निन्दनीय और अशोभनीय काम किसी सरकार के लिये कोई हो नहीं सकता जैसी कि लखनऊ में गोली चलाई गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका प्रायश्चित्त सरकार को करना चाहिये और उस व्यक्ति की जिसकी अकारण मृत्यु हुई और जो अस्पताल में जख्मी पड़े हुए हैं, उनको मुआविजा दिया जाना चाहिये।

जब चोरों पर फायरिंग की जाती है तब भी मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी होती है। लेकिन जब एलानिया काम होता हो, २, ३, ४ दिन पहले यह एलान किया गया हो, सरकार के अधिकारियों को जिसकी इत्तला हो, जब समूह उमड़ता हो, जब जनता चलती हो तो उसके साथ चोरों जैसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिये। उससे कोई मसला हल होने वाला नहीं है। इसलिये इस गोली कांड की जांच होनी चाहिये। मैं आशा करता हूं माननीय नेता सदन से, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से, जिनके ऊपर इस प्रदेश के काम चलाने की जिम्मेदारी है कि एक ओर तो सरकारी कथन है और दूसरी ओर उससे बिल्कुल दूसरा कथन मेरा है, जिला मैजिस्ट्रेट इसके विपरीत बात कहते हैं, इन की सफाई के लिये जांच वे करायेंगे और जांच ऐसे अधिकारी से करायेंगे जिसको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न मुकर्रर किया हो। सरकार की तरफ से चीफ जस्टिस को यह निवेदन किया जाय कि वे जजेज में से ही किसी को इसकी जांच के लिये दें। जो मौके पर भी जायं और देखें और इस मामले में निर्णय दें कि गोली कैसे चलायी गयी, उसकी जिम्मेदारी किस पर है, गोली जस्टीफाइड थी या नहीं, इन मामलों में वे अपनी स्पष्ट राय दें। इन शब्दों के साथ मैं पुनः प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का कार्य स्थगित किया जाय।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय त्रिलोकी सिंह जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है और उसके सम्बन्ध में जिस घटना का जिक्र किया गया है, वह कांग्रेस के शासनकाल के इतिहास का सब से काला पन्ना है। अभी कुछ ही मिनट पहले माननीय माल मंत्री जी ने भाषण करते हुए केरल की सरकार का जिक्र किया था क्योंकि केरल में भी इसी प्रकार की घटना हुई थी। उसकी दुहाई देकर संभवतः वह इस काली घटना को छिपाने का प्रयास कर रहे थे। गोली कांड कहीं भी हो, हम उसकी निन्दा करते हैं चाहे वह केरल में हो, चाहे लखनऊ में हो और चाहे दिल्ली की किसी गली या कूचे में हो। यह एक शर्मनाक बात है कि ऐसे लोगों पर गोली चलाई जाय जिनके पास न कोई हथियार हो, न बन्दूक हो न तोप हो और न लाठी हो, हथियार नाम को कोई चीज न हो। छोटे-छोटे मासूम बच्चे जिन्होंने अपनी मांगों के लिये हर मुमकिन तरीका अपनाया, प्रजातन्त्र जिन तरीकों की इजाजत देता है और हार कर उन्होंने प्रदर्शन करने का तरीका अपनाया। वे अपने रास्ते चले जा रहे थे, उनका रास्ता रोका गया और दूसरे दिन प्रेस नोट में निकाला गया कि वे कान्यकुब्ज कालेज से विद्यार्थियों को निकालने जा रहे थे।

यह वाकया किस वक्त का है। यह तीन बजे का वाकया है। तीन, साढ़े तीन बजे का ही वक्त रहा होगा। जो भी स्कूल और कालेजेज के टायमिंग्स को जानते हैं, वे यह भी जानते हैं कि साढ़े तीन बजे विद्यार्थियों को निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उस वक्त कालेजेज बन्द होने की स्थिति में आ जाते हैं। इसलिये यह बहाने की बात नहीं हो सकती कि वे कान्यकुब्ज कालेज के विद्यार्थियों को निकालने जा रहे थे। मान लिया भी जाय कि उनको निकालने जा रहे थे तो भी हमें सत्याग्रह का जो अस्त्र गांधी जी ने दिया है कि बातचीत करके, आग्रह करके किसी दूसरे से अपनी बात मनवायें, अगर उसके अनुसार विद्यार्थियों ने किया तो उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे गोली चलाने जैसी भयानक चीज करने की आवश्यकता होती।

इस सिलसिले में मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि चाहे वे नाजायज काम करने जा रहे थे तो भी क्या गोली चलाना वहां जायज था, आवश्यक था? क्या उसका गोली ही एकमात्र इलाज था? एक बार अगर माइल्ड लाठी चार्ज करके हटा दिया गया था तो बाद में भी माइल्ड लाठी चार्ज करके हटाया जा सकता था। क्या सरकार के पास टीअर गैस के बम खत्म हो गये थे? क्या हीज वाटर पाइप से प्रहार करके उनको नहीं हटाया जा सकता था?

[श्री मदन पांडेय]

अगर इन सब चीजों को इस्तेमाल करने के बाद गोली का प्रयोग किया जाता तो समझा जाता कि इसमें कोई जस्टिफिकेशन है, लेकिन जब इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया और सीधे सीधे लाठी और गोली से बात की जाती है तो यह कहना पड़ेगा कि यह सरकार अब लोकप्रिय सरकार की तरह नहीं बल्कि लाठी, गोली और इन सब हत्याओं, लूटपाट के बल पर, पुलिस द्वारा गुन्डागर्दी के बल पर, फौज, डंडे और गोली के बल पर हमारे ऊपर शासन करना चाहती है। इस घटना की जितनी भी निन्दा की जाय, जैसा कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कहा, वह थोड़ी ही है। जैसा कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कहा इस सारी घटना की एक जुडिशियल इन्क्वायरी ही उपयुक्त है और जुडिशियल इन्क्वायरी करने में एक मिनट की भी देरी नहीं करनी चाहिये। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे इस तरह की जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा करें।

एक दूसरा प्रश्न और है जिसकी तरफ मैं दो शब्दों में संकेत कर देना चाहता हूं। और जो दुर्घटना होनी थी वह तो हो चुकी, लेकिन और दो व्यक्ति जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों की भूख हड़ताल का १५ वां दिन है, उन्होंने तब से अन्न ग्रहण नहीं किया है। जब कल हम और माननीय त्रिलोकी सिंह और दूसरे विरोधी दल के नेता गये थे तो उनको देखने से मालूम पड़ता था कि कुछ ही दिनों में उनकी हालत ऐसी हो जायगी कि सरकार उनको बचा नहीं सकेगी अगर उनको बचाने का शीघ्र प्रयास नहीं किया गया। इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरी बहुत ही मार्मिक शब्दों में अपील है कि वे राजहठ को छोड़ दें और बालहठ अगर कुछ आगे भी बढ़ने के लिये कहे तो आगे बढ़ कर शीघ्र से शीघ्र उन दो बच्चों की जान बचावें हो सकता है कि उनमें से कल कोई जवाहरलाल हो और कौन-कौन हो। इसलिये उनकी जान बचाने का शीघ्र प्रयास किया जाय। इन शब्दों के साथ में माननीय त्रिलोकी सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, २ अगस्त को जो लखनऊ में घटना घटी उसके लिये इस सरकार की जितनी भी निन्दा की जाय वह थोड़ी है। हमने ४ अगस्त को अपने कामरोको प्रस्ताव द्वारा आपसे निवेदन किया था कि इस सदन की कार्यवाही स्थगित हो। उसी आशय का प्रस्ताव चूंकि माननीय नेता विरोधी दल, माननीय त्रिलोकी सिंह के नाम से था, इसलिये आपने उसी को रखा। मैं अपने कामरोको प्रस्ताव में जिन भावनाओं को प्रदर्शित कर रहा था, उन भावनाओं को आपके द्वारा पुनः रखना चाहता हूं।

श्रीमन्, मैं आज आपके द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों को इस बात का स्मरण करा देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान ने अपने स्वातंत्र्य संग्राम में एक नवीन प्रणाली अख्तियार की महात्मा गांधी के नेतृत्व में। बराबर हिन्दुस्तान ने इस बात पर गर्व किया कि अहिंसात्मक प्रणाली को अख्तियार करके हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ कर दुनिया में एक मिसाल कायम कर रहे हैं। गांधी जी के इस वाक्य को सदन के सम्मानित सदस्यों के सम्मुख हमको बार-बार रखने की आवश्यकता नहीं थी, नहीं होनी चाहिये थी। मगर दुःख होता है कि यह सरकार जिस माता के कोख से पैदा हुई, उसी कोख पर लात मारने के लिये तैयार है। जो आज इस सरकार को कायम किये हुये हैं, आज यह सरकार उन्हीं के ऊपर लाठी चलाती है, उन्हीं के ऊपर गोली चलाती है और उन्हीं के ऊपर तरह-तरह के जुल्म ढाती है। इसलिये श्रीमन्, हमारे लिये यह बहुत आवश्यक है कि हम इस पर अच्छी तरह से विवेचन करें, इसकी गम्भीरता में जायं और इसकी बुनियाद और जड़ में जायं कि आज यह सरकार साम्राज्यशाही तरीके को क्यों अख्तियार कर रही है।

श्रीमन्, आपको याद होगा कि जब हम लोग पी० एस० पी० में थे उस समय थानू पिल्लई की सरकार केरल में थी। मैं कहता हूं कि कोई भी सरकार कायम हो जाय, लेकिन अगर सरकार शांत और निहत्थे जलूस पर गोली चला कर हुकूमत करती है तो उसको हुकूमत में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिये। मैंने ३ तारीख को एक पत्र द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन

किया था कि वे एक सही बात को प्रदर्शित करने के लिये, एक सही सिद्धांत को चरितार्थ करने के लिये अपनी सरकार का इस्तीफा पेश करें। श्रीमन्, अगर आप आज्ञा दें तो थोड़ा समय मेरे लिये बढ़ जायगा. . .

श्री अध्यक्ष—१५ मिनट का समय है ।

श्री राजनारायण—थोड़ा बढ़ा दीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, नियम में दिया हुआ है—

"No speech during such debate shall exceed 15 minutes in duration except with the permission of the Speaker".

श्री राजनारायण—With the permission of the Chairman everything can be done.

श्री अध्यक्ष—जब विरोधी दल के नेता ने १५ मिनट से ज्यादा समय नहीं लिया तो उस अनुशासन को आप भी स्वीकार करें तो अच्छा होगा ।

श्री राजनारायण—मैं जरूर कोशिश करूंगा, लेकिन विरोधी दल के नेता से एक अलग सिद्धांत हमको प्रतिपादित करना है, इसलिये मैं कुछ अधिक समय चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—उनके प्रस्ताव का ही समर्थन आप कर रहे हैं, कोई अलग सिद्धांत का प्रश्न अब नहीं है ।

श्री राजनारायण—किसी नियम की बारीकी में आपने हमारा प्रस्ताव नहीं माना, तो इसमें हमारा दोष नहीं माना जाना चाहिये ।

हम जो सिद्धान्त प्रतिष्ठित करना चाहते हैं वह यही है कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कम्युनिस्टों की सरकार हो, चाहे प्रजा सोशलिस्ट या सोशलिस्टों की सरकार हो जो सरकार निहत्थों और शांतिप्रिय जनता पर बन्दूकी हमला करती है वह नालायक, निकम्मी और बर्बर कहलायेगी । उसका अस्तित्व नहीं रहना चाहिये । यह पत्र मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा था कि कल लखनऊ में छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस ने पुनः निर्मम गोली वर्षा की । कई व्यक्ति गोली से घायल हुये, एक मर भी गया ।

श्री अध्यक्ष—आप पत्र पढ़ें नहीं ।

श्री राजनारायण—पूरा नहीं पढ़ूंगा ।

श्री अध्यक्ष—आप उसका तात्पर्य जबानी कह सकते हैं ।

श्री राजनारायण—इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों के सामने मैं यही सिद्धांत रखना चाहता हूं कि जनतंत्र, जम्हूरियत, जनता का राज्य यहां पर है । साम्राज्यशाही, पूंजीश हो या तानाशाही नहीं है । तो जब जनता का राज्य होगा और जब जनता अपनी जायज मांग के लिये शांति पूर्ण और निहत्थी हो कर अग्रसर होगी तो क्या वही जनता अपने पर गोली वर्षा करेगी, हमने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है । हमें खुशी है कि माननीय विनोबा भावे जी ने अपने जजबात का इजहार करते हुये कहा था कि महात्मा गांधी जी के मरने के बाद अगर अहिंसा के सिद्धांत को सर्वोपरि किसी ने रखा है तो वह डाक्टर राममनोहर लोहिया हैं । मैं आज उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं । (हंसी) जरा आज यह सरकार और इस सरकार के सम्मानित सदस्य बेहयाई को अख्तियार न करें .....

श्री अध्यक्ष—आप इस शब्द को वापस लीजिये ।

श्री राजनारायण—अगर किसी को दुख है तो मैं वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष--किसी को पत्थर लगेगा तो उसको दुख होगा ही। किसी को बुरा कहियेगा तो बुरा लगेगा ही ।

श्री राजनारायण--नहीं कहना चाहिये ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--मेरा कहना यह है कि किसी को दुख हो या न हो बाज बातें ऐसी होती हैं कि जिनको नोटिस करना अच्छा न हो, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग करना सदन की मर्यादा के प्रतिकूल अवश्य होगा।

श्री अध्यक्ष--इसीलिये तो मैंने कहा कि उनको इन शब्दों को वापस लेना पड़ेगा।

श्री राजनारायण--मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप बेहयाई शब्द को अनपार्लियामेंटरी डिक्लेयर करते हैं तो मैं वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष--आप अगर सदन के सदस्यों को कहें कि वे बेहयाई कर रहे हैं तो यह अनपार्लियामेंटरी ही नहीं है, बल्कि उसके साथ-साथ इसमें सदन का अपमान भी है। मैं समझता हूं कि आप इसको वापस ले लेंगे ।

श्री राजनारायण--आपकी आज्ञा है और मुझे अपने भावों को व्यक्त करना है इसलिये इस समय मैं वापस लेता हूं ।

मैं सदन के सम्मानित सदस्यों को यह बतलाना चाहता हूं कि अनावश्यक रूप से सदन के वातावरण में वे गरमी न लायें ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि बहुत गम्भीर विषय है। आप अपनी तरफ सबकी सहानुभूति चाहते हैं, लेकिन इस तरह के शब्द प्रयोग न करें जिससे लोग नाराज हों।

श्री राजनारायण--यह समय तो कट जायगा ?

श्री अध्यक्ष--जो समय मैंने लिया है वह अवश्य कट जायगा।

श्री राजनारायण--मैंने इस सदन के सम्मानित सदस्यों को यह समझाने की कोशिश की है और पुनः समझाने की चेष्टा करूंगा कि मैं इस औचित्य को जानना चाहता हूं कि जब विद्यार्थियों का जुलूस राजधानी में निकलने वाला था और उसकी जानकारी माननीय मुख्य मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय गृह मंत्री को थी और इस सरकार को अगर किसी सिद्धांत और व्यवस्था की रक्षा करनी है तो क्या यह सरकार विद्यार्थियों और नागरिकों की जान ले कर उसकी रक्षा करना चाहती है ? अगर सरकार समझती है तो माननीय कमलापति जो अपने निवास भवन, शयनागार से क्यों नहीं बाहर आये, माननीय सम्पूर्णानन्द जी क्यों नहीं बाहर आये ? यहीं लखनऊ नगर में विराजमान थे। अगर यह कहें कि हम मुख्य मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, बाहर ऐसे मामले आते रहें तो हम कहां-कहां बाहर आते रहेंगे, तो यह भी इनका कथन इनके कदम को सही साबित नहीं करेगा, क्योंकि यह विद्यार्थियों की हड़ताल उनकी जानकारी में हुई थी, कोई बनारस, गाजीपुर, बलिया या मेरठ, बुलन्दशहर में नहीं हुई थी। यह लखनऊ में हुई थी और इनकी नाक के नीचे थी। उस समय आकर के देख सकते थे।

दूसरी बात यह है कि अगर सिद्धांत के मुताबिक देखा जाय तो साम्राज्यशाही जमाने का कानून भी जान का बदला जान कहता था। दफा ३०२ जब तक कोई कत्ल न किये हो उसके ऊपर नहीं चल सकती थी। जान का बदला जान, मगर आज कांग्रेस की सरकार माल का बदला जान लेना चाहती है। कहीं खम्भा गिर गया हो, कहीं बल्ब टूट गया हो, शीशा टूट गया हो, तो खम्भा लगाया जा सकता है, बल्ब फिर नया आ सकता है, मगर क्या वह गरीब जो एक सेवक था जिसकी हत्या हुई और इस सरकार की गोली से हत्या हुई उसकी जिन्दगी यह सरकार दे सकती है, मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं। जनतंत्र और पूंजीशाही

सरकारों का यह फर्क होता है। जनतांत्रिक प्रणाली में, जनांत्रिक पद्धति में मानव जीवन के मूल्य की प्रतिष्ठा होती है। पूंजीशाही प्रणाली में पूंजी की प्रतिष्ठा होती है। पूंजीशाही जमाने के बने हुये कायदे और कानून के मुताबिक, श्रीमन्, मैं पुनः आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं और अपने उन दोस्तों से अर्ज करना चाहता हूं जो केवल मैजिस्टीरियल या जुडिशियल इन्क्वायरी तक अपने को सीमित रखना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जो मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी या जुडिशियल इन्क्वायरी का कायदा कानून बना हुआ है, उसमें कहीं मंत्री भी जिम्मेदार हो सकता है? जितनी वर्तमान कायदे कानून के अनुसार जुडिशियल इन्क्वायरी हुई उसमें क्या कहीं मंत्री लोग भी जिम्मेदार बनाये गये और उनके ऊपर भी दोषारोपण किया गया है, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा है या उनको भी दंडित किया गया है? यह सवाल मैं उन सम्मानित सदस्यों से करना चाहता हूं जो अपने को केवल इस मांग तक सीमित करना चाहते हैं। मैं अपने उन दोस्तों से भी कहना चाहूंगा जो गृहमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की बात करते हैं, यह पूरी सरकार की सम्मिलित जिम्मेदारी की बात है। श्री सम्पूर्णानन्द की सरकार क्यों न इस्तीफा दे? इनको इस्तीफा देना चाहिये और इसी के साथ-साथ सारा का सारा मंत्रिमंडल चला जाता है। इसलिये हम बार-बार अपने इन जजबात का इजहार करेंगे माननीय सदन के सम्मानित सदस्यों के चरणों में कि यह सरकार इस्तीफा दे। अगर समुचित प्रायश्चित होना है तो इस सरकार के इस्तीफे से कम नहीं होना चाहिये।

मैं आपके द्वारा पुलिस मंत्री से कहूंगा, वह जरा जनतांत्रिक मुल्कों के इतिहास का अवलोकन करें। इंग्लैन्ड में ७५ वर्ष से गोली नहीं चली, शांतिमय प्रदर्शन पर गोली नहीं चली? मैं आपसे बताऊं श्रीमन्, पार्लियामेंट भवन के शीशे हिल गये जिस समय कि मिश्र पर हमला हुआ था, ईडेन की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। उस समय कितनी गोली चली थी? कितनी हत्या हुई थी? शीशे टूटे या नहीं? दरवाजे पर धक्के दिये गये या नहीं? तो यह सवाल नहीं है कि बल्व टूटे या नहीं सवाल बुनियादी यह आता है कि गोली चलाने का सवाल जबकि सशस्त्र बलवा हो, सशस्त्र क्रांति हो, उस समय ही आ सकता है, उस समय ही गोली चलायी जा सकती है मैं बलरामपुर अस्पताल में मौजूद था, मोटर भर-भर कर पुलिस वाले आते थे अपनी खरोंच दिखलाने के लिये, किसी ने अपने नह से बकोट लिया और चले गये वहां दिखाने के लिये, गोली चलाने का औचित्य दिखलाने के लिये।

हमने मांग की है कि अगर भीड़ अनियंत्रित हो तो क्यों न आंसू गैस का प्रयोग किया जाय। क्यों न वाटर होज का प्रयोग किया जाय, या इस तरह के कोई और उपाय, वैज्ञानिक तरीके सरकार ढूंढे जिससे कि मृत्यु न हो, गोलियों की वर्षा न हो। यह कई बार इस सरकार को सुझाव हमने दिये थे। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब नहर आन्दोलन हमारे प्रदेश में चल रहा था माननीय गोविंद बल्लभ पंत जी यहां मुख्य मंत्री थे। उस समय भी यही परिस्थिति पैदा हुई थी। उस समय हमारा कहना था, और जो लोग उस समय के सदन के सदस्य होंगे सुने होंगे, एक बड़ा जलूस निकला मगर पं० गोविंद वल्लभ पंत ने हथियार बन्द पुलिस को हटवा लिया, आर्म्ड पुलिस को हटवा लिया था। माननीय कमलापति जी को इसीलिये १ बजे रात परसों मैंने फोन किया था और निवेदन किया था कि आर्म्ड फोर्स को हटा लें, सरकार को हम दिखा सकते हैं कि विद्यार्थियों का जलूस शांति के साथ चल सकता है या नहीं।

अब रह गई बात विद्यार्थियों के मांगों की वह मांगें उचित हैं या अनुचित, इसके बारे में सरकार का कोई दृष्टिकोण हो सकता है हमारा दूसरा हो सकता है। हम इसके दो विभाग करते हैं, एक विद्यार्थियों की मांगों का और दूसरे उनकी मांगों से उत्पन्न परिस्थिति——आज तो सीधा सवाल विद्यार्थियों की मांगों से संबंधित नहीं है, आज तो सवाल है निर्मम हत्या का। यों मैं ऐसा मानता हूं कि बी० एम ०बी० एस० छात्रों की मांगों को सरकार को पूरा करना चाहिये, इस सरकार ने जो उनको आश्वासन दिये हैं उससे विचलित होने के साथ-साथ उसके पीछे जाना

[श्री राजनारायण]

किसी भी जनतांत्रिक सरकार का काम नहीं हो सकता। मैं आपके द्वारा मंत्रियों से पूछना चाहता हूं क्या स्वातंत्र्य संग्राम में विद्यार्थियों ने भी अपने खून की होली नहीं खेली थी? क्या विद्यार्थियों ने अंग्रेजी हुकूमत को खत्म करने के लिये, जबकि बड़े-बड़े नेता जो आज कुर्सियों पर विराजमान हैं, जेलों में बन्द हो गये थे, उसकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया था और उस धधकती आग में निडर होकर नहीं कूदे थे। ९ अगस्त की घटना याद है उस समय हमारा जीवन भी विद्यार्थी जीवन था और अंग्रेजों से टक्कर ली थी। न मालूम कितनों की मांग का सिन्दूर मिटा था, न मालूम कितनी माताओं की गोदियां सूनी हो गई थीं और कितने मासूम बच्चों को लटकाया गया था। मगर इन विद्यार्थियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर करके समरांगण में कदम बढ़ाया और अंग्रेजी हुकूमत को खत्म किया।

श्री अध्यक्ष---आपके २ मिनट बाकी हैं।

श्री राजनारायण---यह हमारे लिये ही सब हो गया कि लाल बत्ती नहीं होगी। करफ्यू मस्ट नाट रिंग टु नाइट (Curfew must not ring tonight).

श्री अध्यक्ष---लेकिन हम जानते हैं आप लाल बत्ती के बगैर भी रुक जाते हैं।

श्री राजनारायण---मेरा कहना है सरकार इस दृष्टिकोण से अपने को देखे। अभी सुबह मैं एक नजीर दे रहा था और वह नजीर है श्री बी० जी० खाते, रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस मध्य प्रदेश की। उन्होंने कहा कि ३० साल की पुलिस सर्विस के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि जितनी गोलियां पुलिस की ओर से चलती हैं नाजायज हैं और बिना गोली चलाये हुये भी काम चल सकता है। जब मैंने इस बात को माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी के निवास स्थान पर सुनाया गया तो कहा गया कि उनका कम्पलसरी रिटायरमेंट कराया गया था। लेकिन किसी को सर्विस से अलग करने की बात दूसरी है मगर जो उनका अनुभव है वह तो अपनी जगह पर है ही।

आस्ट्रिया की हुकूमत में १९१९ में ४ पुलिस के सिपाही भीड़ के जरिये कत्ल कर दिये गये थे, वहां पर सोशलिस्ट सरकार थी। लोगों ने उनसे कहा कि फायरिंग होनी चाहिये मगर सरकार ने कहा, नहीं। यह गवर्नमेन्ट सरवेंट हैं इनकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, अपनी जान को जोखिम में अगर डालना भी पड़े तब भी जनता की जान की हिफाजत करना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कब-कब इन्होंने खतरा उठाया, कब-कब कोई पुलिस के किसी भी अधिकारी की हत्या हुई? कहीं खरोंच हो जाय तो समझते हैं बहुत बड़ी चोट आ गई और अपनी रक्षा हेतु न जाने क्या से क्या करने को तैयार हो जाते हैं। इस तरह से सोचने की जो प्रणाली है यह जितनी जल्दी खत्म हो उतना ही अच्छा है।

इन शब्दों के साथ में माननीय मुख्य मंत्री जी से पुनः कहना चाहता हूं कि वह बहुत जल्दी आवेश में न आया करें और गरम न हुआ करें। वह बुड्ढे हो गये हैं। उनकी अवस्था बड़ी है। अगर उनके खून में इतनी गर्मी है तो नौजवानों के खून में कहीं ज्यादा गरमी है। उन्हें नौजवानों के प्रति सोच समझ कर कदम उठाना चाहिये और उनकी मनोवृत्ति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिये। जब हम देखते हैं कि उनके साथ बर्बरता का व्यवहार किया जाता है तो मैं मुक्त कंठ से कहना चाहता हूं कि यह सरकार इस्तीफा दे। और अगर बिना इस्तीफा दिये हुये माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी सरकार को चलाना चाहते हैं, तथा अन्य कोई कम काम इस्तीफा से करना चाहते हैं तो मैं समझूंगा वह समय की पुकार के साथ नहीं चल रहे हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, छितवापुर में जो यह २ अगस्त को गोलीकांड हुआ उसके सैद्धान्तिक विचार के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, परन्तु व्यवहारिकता में, क्या वह गोली चलाना आवश्यक था इस बात पर विचार करूंगा। जिस समय

वहां पर गोली चली उसके १५–२० मिनट के बाद ही मैं स्वयं घटना स्थल पर पहुंचा। हो सकता है कि लोग इसको उचित समझें या न समझें लेकिन मेरा मत है कि जितने लोग सामाजिक जीवन में कार्य करते हैं उन्हें ऐसे स्थान पर जहां ऐसी घटना घटे अवश्य जाना चाहिये। मैंने वहां जाकर इस दृष्टि से सब से पूछना शुरू किया कि क्या वास्तव में वहां गोली चलाने की आवश्यकता थी या नहीं। मुझे जो कुछ मालूम हुआ उसके बाद मेरा दृढ़ मत है कि वहां पर तनिक भी गोली चलाने की आवश्यकता नहीं थी। कहा जाता है कि विद्यार्थियों ने पुलिस पर ढेले फेंके, हो सकता है कि फेंके हों, लेकिन प्रश्न यह है कि उनको प्रोवोक किस ने किया? उनको पहले उत्साहित किस ने किया? मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां की पुलिस ने पहले लड़कों पर लाठीचार्ज किया। क्या आवश्यकता लाठीचार्ज की हो गई थी?

अभी हमारे बुजुर्ग माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने बताया कि पुलिस लाठी चार्ज करते हुये विद्यार्थियों को फर्लांग डेढ़ फर्लांग तक खदेड़ कर ले गई। अगर यह चीज हुई और उसके रिटेलियेशन में लड़कों ने ५० ढेले फेंक ही दिये तो उससे कौन सा तूमार बंध गया, कौन सा आकाश फट पड़ा और कौन सी बड़ी भारी क्रान्ति हो गई? जब जलूस वापस जा रहा था तो उसको अन्तिम समय में लाठीचार्ज कर के छेड़ने की आवश्यकता क्या थी? कहा जाता है कि शान्ति और सुरक्षा की दृष्टि से और सिविल लिबर्टी और ला-ऐन्ड आर्डर के मेन्टेन करने के लिये ऐसा किया गया। तो क्या ला ऐन्ड आर्डर के मेन्टेन करने के माने यह होंगे कि लोगों के जीवन के साथ गोली चलाकर खिलवाड़ की जाय? कौन सा ऐसा हौवा हुआ और कौन सा ऐसा बड़ा हंगामा हो गया था? यह कैसा ला ऐन्ड आर्डर का कानून है which hides so many acts of omission and commission therein? वास्तव में वहां ला ऐन्ड आर्डर का प्रश्न नहीं था, प्रश्न वहां पर यह था, और मैं अपने अनुभव पर कह सकता हूं कि यह हो सकता है कि बच्चों ने पुलिस को चिढ़ाया हो, कोई बोली बोल दी लेकिन जो शासक वर्ग है, जिसके हाथ में शक्ति है उनमें कुछ सेल्फरेस्ट्रेन्ट की भी आवश्यकता है। उन्होंने हो सकता है उस गुस्से को निकालने का प्रयास किया हो लेकिन क्या बच्चों पर ही गुस्सा उतारा जाता है? मेरा तो स्पष्ट मत है कि प्रथमतः जो लाठीचार्ज हुआ वही गलत था। कहा जाता है कि जो ५०–६० ढेले फेंके गये, कुछ पुलिस कांस्टेबिल घायल हुये। मैंने वहां पर जो पुलिस के एस० एस० पी० थे उन से पूछा, वहां पर प्रेस प्रतिनिधि भी थे, कि आप के कौन कांस्टेबिल घायल हुये हैं तो उन्होंने २ कांस्टबिलों को दिखाया कि उनके कुछ हल्की सी खरोंचें थीं जिस तरह से कि शेविंग करते समय रेजर ब्लेड से हो जाती हैं। कहा गया कि वायरलेस के ड्राइवर के कुछ चोट आई है, मैंने गाड़ी रोक कर देखा कि उस के मुंह पर कहीं भी चोट नहीं थी। जरा देर को हम विचार करने की दृष्टि से मान भी लें कि उनके इतनी चोटें आ भी गई हों तो क्या इस के माने यह हैं कि बच्चों पर गोली चला दी जाय? इसके हरगिज़ यह माने नहीं हैं। अन्य देशों में भी इस तरह के लड़कों के प्रदर्शन होते हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इंगलैंड, अमरीका, फ्रान्स, इटली आदि देशों में कितनी बार बच्चों पर गोली चलाई जाती है? भीड़ को तितर-बितर करने के अन्यान्य तरीके भी होते हैं। उनके पास टीयर गैस बम मौजूद थे, वाटर होज़ मौजूद थे, फायर हाइडेरन्ट्स थे क्या इन चीजों का इस्तेमाल भीड़ को हटाने के लिये पहले नहीं किया जा सकता था, क्या पानी बरसा कर भीड़ नहीं भगाई जा सकती थी? ऐसे मौके पर लोगों की जान लेने वाली गोलियां बरसाने का क्या अर्थ है? यदि आज इस तरह के अधिकारियों पर अनुशासन नहीं रखा जाता तो मैं यही कहूंगा यह सरकार अपने अधिकारियों पर अनुशासन रखने में असमर्थ रही है और आज स्थान-स्थान पर इस तरह के गोलीकांड हो रहे हैं।

अभी श्रीमन्, सुबह नौगढ़ की बात उठी कि भूखे लोगों ने रोटी मांगी तो उन पर लाठीचार्ज हुआ। लखनऊ में कुछ मांगों को लेकर विद्यार्थी चले, उनके ऊपर विचार करना चाहिए था। वह प्रदर्शन करने लगे तो उसको जाने देना चाहिए था, लेकिन उन मांगों को लेकर रोष करके गोली चलवाना, यह उचित नहीं था। और इनके कलेक्टर कितने सभ्य हैं और कितने शासन-कुशल हैं उसका मैं एक ही उदाहरण दिये देता हूं। जिस समय मैं छितवापुर

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]
पुलिस चौकी पर गया तो कलेक्टर महोदय घटना के समय खुद उपस्थित नहीं थे, घटना के कुछ मिनट बाद आये । मैंने बड़ी विनम्रता के साथ पूछा कि आप बतायें कि घटना के सम्बन्ध में आपका क्या वर्जन है तो उन्होंने बहुत ही गर्वपूर्वक अपनी पीठ घुमा करके, जैसे कि सारी सुन्दरता उनकी पीठ में ही मौजूद हो, चलते हुए कहा कि मुझे कुछ भी नहीं कहना है । इससे हम क्या समझें ?

जहां कल गोली चली, वहां जो मैजिस्ट्रेट थे, क्या वह एम्पावर्ड थे गोली चलवाने के लिए? आज के अखबार में उनका नाम आया, 'मिस्टर सहाय' यही मैंने सुना कि कोई मिस्टर सहाय हैं । वह शायद थर्ड क्लास जुडीशियल मैजिस्ट्रेट हैं । क्या उनको पावर थी फायरिंग का आर्डर करने की ? वह ऐसे सज्जन हैं कि जिनकी सर्विस थोड़े दिन की है । जब इतना टेंस ऐटमास्फीयर है, इतनी तीव्रता है, किसी समय भी इस बात की आशंका हो सकती है कि लोगों के टेम्पर्स हाई हो सकते हैं, वह टूट सकते हैं तो ऐसे अनुभव-विहीन और नये मैजिस्ट्रेट को वहां रखने की क्या आवश्यकता थी ? क्यों नहीं एक सीजंड मैजिस्ट्रेट वहां रखा गया जो परिस्थिति को सम्भाल सकता और परिस्थिति को समझकर बुद्धि और चतुरता के साथ काम करता । लेकिन जिसको कि कहा जाता है 'रा वुड' ऐसा आदमी वहां रखा गया जिसको ढेले को देख कर ही डर लग गया हो और फायरिंग का आर्डर किया हो, इसकी क्या आवश्यकता थी ? इस तरह से लोगों के हाथ में सारी शक्ति दे देना लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है ।

इतनी सब घटना हो जाने के ६ घंटे बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने समाचार-पत्रों को प्रेस कम्यूनिक दिया । करीब १० बजे रात को मेरे सामने दिया गया, एक कर्मचारी लेकर गये । क्या इसमें संदेह नहीं हो सकता है कि सत्य घटना को छिपाने के लिए, उसको मिटीगेट और मिनिमाइज करने के लिए इस बीच में प्रयास किया गया । मैजिस्ट्रेसी के साथ सब तरह के साधन हैं । उनके पास वायरलेस है, जिसको सैनिक शब्दावली में "वाकी-टाकी" कहा जाता है । क्या उसके जरिये उनको हर समय खबर नहीं मिल रही थी ? मिल रही थी, परन्तु यह सारा कम्युनिक ६ घंटे बाद निकाला गया । क्यों देर की गयी है ? मेरा संदेह है कि घटना को टिविस्ट करने के लिये, मिनिमाइज करने के लिए जिससे सारी आपत्ति दूसरे पर पड़े और इन सब बातों पर विचार करके वह कम्युनिक दिया गया ।

मैं आपको अपने कल के अनुभव का उदाहरण दूं किस प्रकार यह ब्योरोक्रेसी प्रोवेकेशन करती है । कल माननीय गृहमंत्री जी हम सब लोगों के अनुरोध पर सहमत हो गये थे कि अगर सारे विरोधी दल के नेता विद्यार्थियों के जलूस के साथ आयेंगे तो उनको आने दिया जायगा । हम सब लोग जलूस के साथ चल रहे थे और जिस वक्त पोस्ट-मास्टर जनरल के दफ्तर के पास पहुंचे तो उस दफ्तर के दो कर्मचारी, जो अपने को कर्मचारी कहते थे वह उस बिजली के खम्भे पर जहां लाइट लगी हुई है उस पर चढ़े हुए थे और एक को मैंने अपनी आंख से देखा कि उसने शीशे को तोड़ा और बल्ब निकाल लिया । दो विद्यार्थी उनको पकड़ कर लाये । मैंने और कुछ नहीं कहा, केवल गर्दन पकड़ करके कहा कि भाग जाओ, नहीं तो न जाने क्या हंगामा होगा । इस तरह से सरकारी कर्मचारी प्रोवोकेशन करते हैं । जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या यह संभव नहीं है कि मैजिस्ट्रेसी के साथ एजेंट प्रोवोकेटयोर भी गये हों और लोगों को प्रोवोकेट किया हो कि किसी प्रकार से ऐसा कार्य हो कि जिससे विद्यार्थियों में अनुशासन-विहीनता पैदा हो । तो कोई ताज्जुब नहीं है कि ब्योरोक्रेसी ने अपने एजेंट प्रोवोकेटयोर की सहायता से ऐसा वातावरण पैदा किया हो जिससे वहां लोगों में उत्तेजना फैले । तो यह दूसरे पर इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा । यह ब्योरोक्रेसी का दोलापन है और वह अपनी गड़बड़ियां छिपाने के लिए जैसे स्टेटमेंट देती है वैसा ही यहां पर कहा जाता है । श्रीमन्, गणतंत्र के अन्दर इस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों का शील्डिंग सरकार की ओर से नहीं होना चाहिये ।

यह कहा जाता है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन का प्रेस्टिज नष्ट न हो । मैं श्रीमन्, इस शब्द का अर्थ नहीं समझ पाया । श्रीमन्, शासन कैसे चलता है यह विचार करने की चीज है ।

शासन केवल प्रेस्टिज के नाम पर अपात्र द्वारा नहीं चलाया जा सकता है, इसके लिये श्रीमन्, बुद्धिमत्ता चाहिय, धैर्य चाहिये, दूरदर्शिता चाहिये और शासन कौशल्य चाहिये जिसे अंग्रेजी में टैक्ट कहते हैं । इसके लिये मैं संस्कृत का एक शब्द कह दूं कि "गाम्भीर्य समुद्र इव" । इस प्रकार के भाव शासन के अन्दर चाहिये । हम लोग इन सब बातों को तो दूर कर देते हैं और एक विचित्र प्रकार का वातावरण बनाकर सारी दुनिया के आगे एक तूमार बांधते हुये कहते हैं कि हम शासन प्रेस्टीज के आधार पर चलाते हैं तो यह नहीं हो सकता है । इसका परिणाम उल्टा होगा और वह राज्य असंगत होगा और जिस ओर उस राज्य के ले जाने का प्रयास होगा उस ओर वह नहीं जायगा । जिसके हाथ में बागडोर है और जो राज्य के कर्मचारी हैं उसे जिधर चाहेंगे ले जायंगे । हमें यह निरन्तर दिखाई पड़ रहा है कि इस शासन में आजकल घोषणायें बहुत होती हैं लेकिन जब उनके व्यवहार का समय आता है तो वह उल्टा होता है ।

मैं श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी का अत्यंत आभारी हूं कि उन्होंने यह कहा कि जो कुछ हम कहें उसको पूरा करना चाहिये । लेकिन मेरा श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से विनम्र निवेदन यह है कि वह थोड़ा सा अपनी ओर देखने का कष्ट करें और अपनी सरकार की ओर देखें कि उनकी सरकार की ओर से जो जो आश्वासन दिये गये और उनका जब समय आया तो क्या उनका अक्षरशः पालन किया गया है ? हम लोगों को तो बराबर यही अनुभव में आया है कि सरकार का यह रवैया रहता है कि आश्वासन दे दिये जायं और जब उसके व्यवहार का समय आता है तो व्हिटलिंग अवे किया जाता है ।

श्रीमन्, यहां देखने की चीज यह है कि एक ओर जब विद्यार्थियों को भर्ती किया गया था तो उस समय आश्वासन जो दिये गये थे उनको आज तक स्पष्ट क्यों नहीं किया गया है ? वह क्यों आज तक भड़कते रहे, क्यों यह चिंगारी आज तक बढ़ती रही,क्यों न इसका शमन किया गया, क्यों न उसका कोई हल निकाला गया ? इसका कारण यह है और स्पष्ट है कि आश्वासन देते समय तो इस सरकार के सामने यह विचार नहीं रहता है कि ऐसा आश्वासन देना हमारी सामर्थ्य में है या नहीं । आया वह इसको पूरा भी कर पायंगी या नहीं । उस समय तो यह रहता है कि सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, इसलिये ऐसा किया जाय जिससे जनता प्रसन्न हो, लेकिन जब समय आता है और वह अपने रिसोर्सेज़ के अनुरूप नहीं होते हैं और पूरा नहीं कर पाते हैं तो व्हिटलिंग अवे जारी हो जाता है, इससे लोगों के हृदयों में नैराश्य व्याप्त हो जाता है ।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मुझे ५ मिनट का समय और दिया जाय, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है ।

श्री अध्यक्ष–महत्वपूर्ण तो सबके लिये है । और बोलने वाले हैं इसलिये दो मिनट में समाप्त कर दें ।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे––श्रीमन्, कहीं ऐसा न हो कि मैं ही दुर्भाग्यशाली हो जाऊं ।

श्री अध्यक्ष––नहीं मैंने किसी को ज्यादा समय नहीं दिया है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे––श्रीमन्, मैं प्रयास करूंगा ।

श्रीमन्, इससे लोगों में एक विद्वेष खड़ा होता है जो समय-समय पर प्रस्फुटित होता रहता है और डेमोक्रेसी में तो बार-बार यह चीज होती रहती है और लोगों में उत्तेजना व्याप्त हो जाती है जिसका परिणाम होता है कि सरकार को लाठीचार्ज करना पड़ता है, गोली चलानी पड़ती है । यह उनके कृत्यों का भीषण परिणाम है, यह हमारी डेमोक्रेसी के लिये बड़ा घातक है । आज इस बात के विचार करने की जरूरत है कि क्या हम डेमोक्रेसी के नाम पर ओटोक्रेसी

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

या ब्यूरोक्रेसी चला सकते हैं ? क्या गोली चलाना, लाठीचार्ज करना हमारे आपके लिये हितकर सिद्ध हो सकता है ? हम और आप तो ला एंड आर्डर के पीछे हैं इसे नहीं छिपा सकते हैं । इसलिये हमें विचार करना पड़ेगा कि अगर हमें डेमोक्रेसी के अन्दर चलना है तो किस तरह से चलना चाहिये । अगर सरकार ने यह तय कर लिया है कि हमें डेमोक्रेसी का खाली हल्ला करना है और वैसे इसे समाप्त करना है तब तो मुझे कुछ भी नहीं कहना है । अगर डेमोक्रेसी को ठीक ढंग से चलाना है तो गोली तथा डंडे की पद्धति को समाप्त कर देना चाहिये । लोगों में जो फ्रस्टेशन पैदा होता है उसकी औषधि करनी चाहिये ।

श्रीमन्, मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिये । यदि शासन द्वारा जांच की जायगी तब तो ऐक्यूज्ड ही जज बन जायगा और जब जज बन जायगा तो फिर न्याय नहीं हो सकता है । इसलिये श्रीमन्, इसके लिये तो ओपेन जुडीशियल इंक्वायरी होनी चाहिये । जब कोई घटना होती है, या कोई आरोप होता है तो उसकी खुली हुई जांच होती है और इस जांच के बाद यह स्पष्ट हो कि सरकारी अधिकारियों की अपात्रता के कारण यह सारी दुर्घटना हुई । श्रीमन्, मैं एक ही बात निवेदन करूंगा । जिस प्रकार श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेलवे के बहुत से ऐक्सीडेंट्स होने के बाद, इन्क्वायरी में यह स्पष्ट होने के बाद, कि रेलवे विभाग की गलती से हुए, अपने पद से इस्तीफा दे दिया था उसी प्रकार अगर यह स्पष्ट हो कि जो गोलीकांड और डंडाकांड हो रहे हैं इसके लिए सरकारी अधिकारी उत्तरदायी हैं तो उसको भी वही कदम उठाना चाहिये, क्योंकि वह इस ओर के बैठने वाले नहीं थे । उनका उदाहरण उनके सामने है । जहां तक जांच का सम्बन्ध है केवल इस घटना की जांच नहीं होनी चाहिए, उन सारी घटनाओं की जांच होनी चाहिये, जितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं ।

इन शब्दों के साथ जो इधर से कामरोको प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । यह बड़ा अहम सवाल है । अगर रोज की तरह होता तो न कहता । माननीय मुख्य मंत्री जी कोई दूसरी किताब पढ़ रहे हैं । संसदीय परम्परा के मुताबिक उनको सदन में जो भाषण हो रहे हैं उनको सुनना चाहिये और किताब इस समय बन्द कर देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--यह परम्परा अवश्य है कि अगर इसी जारी बहस के विषय से सम्बन्धित कोई चीज हो तो पुस्तक में पढ़ ले । लेकिन उस विषय से सम्बन्धित न हो तो मैं समझता हूं कि ऐसी किताब पढ़ने का सदन में मौका नहीं है ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय, भारत के नये संविधान के लागू होने के बाद इस सदन में आज हम दूसरी बार इस प्रदेश में हुए एक गोलीकांड के विषय पर विचार कर रहे हैं । आज से ठीक पांच वर्ष पहले ऐसी ही एक घटना इसी लखनऊ शहर में हुई थी जिस पर हमने विचार किया था । कोई भी गोलीकांड हिंसा का एक रूप है । हिंसा चाहे जनता द्वारा प्रयोग की जाय या सरकार द्वारा प्रयोग की जाय या जनता या सरकार दोनों का अन्तिम अस्त्र होना चाहिए । देखना यह है कि जो गोलीकांड दो तारीख को हुआ क्या वह अन्तिम अस्त्र था ? क्या पुलिस के पास इसके अलावा और कोई हथियार नहीं रह गया था ? मेरा अपना दृढ़ विचार है । जहां तक मैंने आने के बाद जांच-पड़ताल की, वाकयात को जानने की कोशिश की मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पुलिस वहां पर गोलीकांड को बचा सकती थी । उसके अलावा पुलिस के पास जितने हथियार हैं उनमें से बहुतों का इस्तेमाल नहीं किया गया । माननीय नेता विरोधी दल ने और अन्य नेताओं ने जिन वाकयात का वर्णन किया है उन्हें मैं फिर से आपके सामने नहीं कहना चाहता । पानी का इस्तेमाल, टियर गैस का इस्तेमाल और कड़ाई के साथ लाठीचार्ज का इस्तेमाल, ये हथियार भी थे । उनका भी इस्तेमाल हो सकता था ।

दूसरी बात, मैं यह जानना चाहता हूं, और सरकार से इसका स्पष्ट जवाब चाहूंगा कि क्यों ऐसे मौकों पर भीजिले के मुख्य अधिकारी चाहे वह डिप्टी कमिश्नर हों अथवा सीनियर सुपरिन्टेंडेंट पुलिस हों या सुपरिन्टेंडेंट हों खास जुलूसों के साथ क्यों नहीं रहते क्यों कुछ खास स्थानों तक ही वे साथ देते हैं या उनके साथ रहते हैं । जहां पर ऐसी घटनाएं होने की अधिक सम्भावना रहती है वहां नहीं रहते । काउंसिल हाउस पर जाना, माननीय मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रियों के स्थान पर जाना उचित है । लेकिन इन स्थानों पर शायद ही कभी ऐसी घटनाएं हुई हों । आमतौर पर ऐसी घटनाएं शहर के किसी गली में या किसी खास कोने की बाजार में हुआ करती हैं। मेरा अपना विचार है कि जो जिले के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभा सकते थे उन्होंने उसका निबाह नहीं किया । इसलिये मेरी स्पष्ट मांग है कि जो ऊंचे से ऊंचे पुलिस के अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी थी उस दिन शान्ति व्यवस्था को कायम रखने की वे तत्काल मुअत्तल किये जायं और उनकी मुअत्तली के बाद तब न्यायिक जांच की जाय । जब कि सीनियर सुपरिन्टेंडेंट पुलिस और दूसरे अधिकारियों ने कहा है कि केवल हवाई फायरिंग हुई है । जब उन्हें फायरिंग का कोई पता नहीं है, जब उनकी जानकारी इतनी कम है अथवा पुलिस के अपराध को छिपाने की उनकी यह इच्छा है तो ऐसी हालत में हमें कतई विश्वास नहीं है कि उच्च पुलिस अधिकारियों के अपने उन्हीं पदों पर रहते हुये कोई न्यायसंगत जांच हो सकती है । इसलिये मैं इस बात की मांग फिर दोहराता हूं कि उन्हें तत्काल मुअत्तल किया जाय तभी कोई न्यायिक जांच स्थापित की जाय ।

सरकार भी इस बात को मानती है कि आज की जनतन्त्र प्रणाली में जो दोष का भागी है उस को दंड मिले । एक निर्दोष व्यक्ति चाहे कोई भी हो, दंडित न हो । आज का सिद्धान्त है सौ दोषी छूट जायं, परन्तु एक निर्दोष दण्डित न हो । लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति मरा उसका क्या दोष था ? अगर कोई विद्यार्थी मरा होता या हड़ताल में हिस्सा लेने वाला या मुख्य जलूस में हिस्सा लेने वाला मरा होता तो यह कहा जा सकता था कि विद्यार्थी उपद्रव कर रहे थे और वह गोली चलने से मरा । लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो जलूस में नहीं था जो कि आन्दोलन के समय नहीं था जो गरीब था, जिसके चार-चार बच्चे हैं, जिसकी विधवा बीबी अपने बच्चों के लिये बिलबिलाती शहर में घूम रही है, जिनको भी जानती है उनके पास अपने दुःख की फरियाद करती फिरती है, उसके ऊपर गोली चलाने का कोई भी अधिकार पुलिस को नहीं था । इससे यह साबित होता है कि पुलिस ने बिला ठीक देखे और बिना ठीक समझे हुये गोली चलाई । इसलिये पुलिस पूरी तरह से इसके लिये जिम्मेदार है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विषय बहुत गम्भीर है । इस पर बहुत लम्बी चौड़ी तकरीर की आवश्यकता नहीं है । मैं समझता हूं कि इस गम्भीर वातावरण का असर सरकार पर पड़ना चाहिये और सरकार को इस बात को महसूस करना चाहिये कि हमारी क्या भावनायें हैं और जनता की क्या भावनायें हैं । आज इस प्रदेश के सभी उन व्यक्तियों की भावना का, जो इस घटना से दुखी हैं, सरकार को आदर करना चाहिये और सरकार उन बातों को पूरा करे जो पूरी करनी चाहिये । मैं सरकार से इस्तीफे की मांग नहीं करता । इसलिये नहीं करता कि इस्तीफा मांगने से मिला नहीं करता है । इस्तीफा तो लोगों से लिया जाता है । जिस दिन हमारी यह ताकत होगी उस दिन हम इस्तीफा ले लेंगे और इस्तीफा हमें अपने आप मिल जायगा । मांगने से वह हमें नहीं मिलेगा । इसलिये मैं उस मांग को नहीं दोहराता । मैं यह मांग करता हूं कि उन अफसरों को तत्काल मुअत्तल किया जाय तभी न्यायिक जांच हो । जो अधिकारी दोषी पाये जायं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो । जो मारा गया है उसके परिवार को जितना अधिक से अधिक मुआविजा हो सकता है दिया जाय ताकि उसके बच्चे और बीबी अपना भरण-पोषण कर सकें । जो इसके लिये दोषी पाये जायं सरकार उनके साथ कोई रियायत न दिखाये ।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)---अध्यक्ष महोदय, २ अगस्त को छितवापुर चौकी के नजदीक जो दुखद घटना हुई और जिसके विषय में यह हाउस आज बहस करने के लिये बैठा है उसका सभी को दुःख है। यह सही है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी उसका पैटर्न हो उसकी तरफ से इस तरह की घटना न हो, तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार कभी इस बात को पसन्द नहीं कर सकती कि इस तरह की घटनायें उसके शासनकाल में हों। फिर भी यह दुःख है कि इस तरह की घटनायें इसी देश में नहीं, इसी प्रदेश में नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों और देशों में भी हो जाती हैं। नेता विरोधीदल ने यह कहा और मुझे खुशी है कि पांचों दल के नेता जो यहां पर बोले उन्होंने इस बात से इन्कार नहीं किया कि वे उस दिन उस समय वहां पर उपस्थित नहीं थे। उन्होंने इस बात को माना कि जो बातें यहां पर कही वे देखी हुई बातें नहीं हैं। सुनी हुई बातें हैं। उन्होंने उसके आधार पर यह कह दिया कि जो वहां फायरिंग हुई थी वह करीब-करीब बिना किसी प्रोवोकेशन के की गई थी। मान्यवर, मेरे लिये यह कहना कठिन है कि जो उस दिन गोली चली उसका कोई कारण था। मैं यह बात कहना नहीं चाहता यद्यपि मैं भी यह बात उतने ही जोर से कह सकता हूं कि गोली सही तौर पर चलाई और उसके लिए पर्याप्त कारण था। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि मैं उनके कदमों पर चलने वाला नहीं हूं। जब वह कांड हुआ उस समय न वह थे और न इधर का कोई भाई था। उन्होंने एक मांग की कि इंक्वायरी बिठाना ठीक नहीं है, इंक्वायरी बिठाई जाय, लेकिन उन्हीं के दूसरे एक साथी ने कहा कि गवर्नमेंट इस्तीफा दे। झा खंडे राय जी ने कहा कि इस्तीफा मांगा नहीं जाता है लिया जाता है। इस तरह की बातें यहां हुईं। बहरहाल, यह चीज अपनी जगह पर है। पर विरोधी पक्ष एक मत नहीं हैं यह स्पष्ट है।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो गोलीकांड हुआ उसके पीछे भूमिका क्या थी उसको भी हम को सोचना और देखना पड़ेगा वरना हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। एक खास बात मैंने देखी कि उस भूमिका का जिक्र किसी नेता ने नहीं किया। भाई राजनारायण जी ने बड़ी ईमानदारी के साथ अपने विचारों का इजहार किया और कहा कि वह समझते हैं कि विद्यार्थियों की मांगें जायज हैं। सही हैं, उनकी अपनी एक राय है। बहरहाल, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। इतना जरूर मानता हूं कि जैसा माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कहा कि विधान में लिखा है कि हमको एक जगह इकट्ठा होने का और विचार करने का तथा जलूस निकालने का अधिकार है, लेकिन इसके साथ ही संविधान में यह भी लिखा है कि कानून को अपने हाथ में लेने का हमको अधिकार नहीं है। श्रीमन्, जिस दिन जुलूस निकला मैं नहीं कहता कि उस समय और क्या बात थी लेकिन इतना निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि जुलूस नानवायलेंट नहीं था। कौंसिल हाउस के सामने जब यह जुलूस पहुंचा तो उस समय उसकी तरफ से ७, ८ ढेले कौंसिल हाउस की तरफ फेंके गये और इस प्रकार की सूचना और स्थानों से भी मिली। विद्यार्थियों के बीच में हो सकता है कि जिनको पोलिटिकल प्रोवोकेटर्स या उन के एजेंट कहा जाता है, वे हों, वे चाहे किसी भी दल के रहे हों, लेकिन उनका विचार यह जरूर रहा होगा कि झगड़ा होना चाहिये। कई जगह ईंट और पत्थर फेंके गये तथा मंत्रियों व कर्मचारियों को भद्दी-भद्दी गालियां दी गयीं। लेकिन यह सही है कि गोली नहीं चली और अफसरान ने बहुत शान्ति और सब्र के साथ काम लिया। भाई राजनारायण जी ने हमारे लिए यह भी कहा कि हम तो गांधी जी के शिष्य हैं। जिस कोख से पैदा हुए उसी के ऊपर हमने लात मारना सीखा है। बहरहाल, मैं नहीं जानता कि वह किस कोख से पैदा हुए, लेकिन उन्होंने यह इल्जाम हम पर जरूर लगाया है। मैं समझता हूं वह स्वयं अपने को देखें कि उनका भाषण गांधीवाद का कहां तक सच्चा प्रतीक था और जो भाषण उन्होंने बाहर विद्यार्थियों के जुलूस में किया क्या वह भी गांधीवाद का सच्चा प्रतीक था....

श्री अध्यक्ष---आप बाहर के भाषणों का जिक्र यहां न करें।

श्री नवलकिशोर---मैं नहीं करूंगा, लेकिन जिस गांधीवाद की दोहाई उन्होंने दी उसकी बात मैंने आप के सम्मुख कही। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि विद्यार्थियों का एक अनशन चल रहा है और यह झगड़ा आज से नहीं ६ महीने से इस प्रदेश में चल रहा है। सरकार

का कहना है कि जहां तक उसके सामर्थ्य में है वह उनकी मांगें मानने के लिये तैयार हैं, तत्पर हैं और उसके लिये सदा आगे बढ़ती चली जायगी, मगर दो भाइयों ने अनशन कर रखा है। श्रीमन्, यहां जितने भी साथी हैं उन सबको इस बात का दुःख है कि हमारे विद्यार्थी हम में से ही किसी के बच्चे हैं और उनको अनशन करना पड़ रहा है, मगर अगर कोई गलत कदम उठावे और दुराग्रह करे तो उसको पूरा करना जरूरी हो जाय सरकार के लिये, इस तरह से शासन की समस्या हल नहीं हो सकती और उसको पूरा करने का मुझे कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता है। उन्होंने अनशन किया और यह सही है कि ३० तारीख को जुलूस निकला। जबर्दस्ती बाजार बन्द किया गया। उस समय दूकानदारों ने इस बात की अपील की कि हमारी दूकानों को बन्द न कराइये। बड़ा नुकसान होता है। गरीब मजदूरों को बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन उस बात को श्रीमन्, नहीं माना गया। यह भी शिकायत आयी कि खोंमचे वालों के साथ बुरा व्यवहार हुआ तथा जिन्होंने दूकानें बन्द नहीं कीं उनको भी धमकाया गया। श्रीमन्, मुझे तो इस बात में भी शक है कि जलूस पूर्णतया विद्यार्थियों के ही नेतृत्व में था। मुझे तो इस बात की सूचना मिली है और मैं नहीं जानता कि विद्यार्थियों के इस जलूस का नेतृत्व कहां से हो रहा था। मगर आज जो लोग उनका नेतृत्व कर रहे हैं और जो अपने को विद्यार्थी कहते हैं उनमें तीन चार भाइयों की बाबत निश्चित है कि वह यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी नहीं हैं चाहे वह होस्टल में रहते हों लेकिन विद्यार्थियों के अटेंडेंस रजिस्टर जो रहते हैं उनमें उनका नाम नहीं है। लेकिन फिर भी उनके हाथ में उनका नेतृत्व है। विरोधी दलों ने सरकार के बारे में सब ही कुछ कहा मगर उनकी मांगों की कोई टीका-टिप्पणी नहीं की गयी। मैं नहीं जान पाया कि एक साहब को छोड़ कर और लोगों की उस विषय में क्या राय है। जब वे लोग ऐसे नेतृत्व में थे तो कई जगह इसकी कोशिश की गयी कि झगड़ा हो। लेकिन नहीं हो सका। चार घंटे घूमने के बाद कुछ लोगों ने महसूस किया कि आज का प्रदर्शन फीका रहा, कोई तत्व उससे नहीं निकला। इसलिये इस बात की कोशिश की गयी कि छितवापुर में किसी न किसी प्रकार का झगड़ा किया जाय। विद्यार्थियों ने ढेले चलाये जिसके बारे में सरकार का कहना है कि १७ आदमियों को चोटें आयीं। इस बात पर दो मत हो सकते हैं कि जो प्रोवोकेशन था वह उस हद तक नहीं था कि गोलीकांड हो। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि एक तरफ तो उसके साथ ही साथ यह मांग भी पेश की जा रही है कि इसके बारे में इंक्वायरी हो। दूसरी ओर चारों तरफ से यह भी कह दिया गया कि यह अनजस्टीफाइड हुआ, बिना किसी कारण के हुआ तथा अप्रजातान्त्रिक था। एक ओर आप ही जजमेंट देते हैं और दूसरी ओर इंक्वायरी की मांग करते हैं, इन दोनों चीजों में मैं कोई सामंजस्य नहीं देखता।

यह भी कहा गया कि सन् ४२ के अन्दर विद्यार्थियों ने बड़े-बड़े काम किये। सही बात है किये और आगे भी करने पड़ेंगे। किसी भी देश का भविष्य उसके विद्यार्थियों, नौनिहालों पर ही निर्भर करता है। लेकिन वे भाई यह भूल गये कि जिन्होंने सन् ४२ में ऐसा किया उनमें से बहुत से इधर और उधर बैठे हुए हैं। उन्होंने जो आन्दोलन किया था वह किसी छोटी-मोटी बात को लेकर नहीं किया था। वह तो देश की जिन्दगी और मौत का सवाल था। वे तो देश की आजादी पर कुरबान होने के लिये आगे बढ़े थे और वे आज यहां बैठे भी हुए हैं। तो जिन लोगों ने सन् ४२ के आन्दोलन में भाग लिया वे यहां आज सदस्य हुए हैं और अब विद्यार्थी नहीं हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि विद्यार्थियों को समझाने की पूरी कोशिश सरकार ने और उनके अध्यापकों ने की। इस बारे में मैं माननीय नेता विरोधी दल का भी अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने संजीदगी से काम लिया। उन्होंने इस बात की कोशिश की कि संघर्ष को शांत किया जाय, विद्यार्थियों को बताया कि वे समझ से काम लें, शांति से काम लें। मगर श्रीमन्, मैं जानता हूं कि कुछ लोगों ने उनको उकसाया भी यह कह कर कि अभी तो एक ही मरा है अगर इसके लिये १०० या ५०० भी मर जायं तो भी बहुत कम हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की तकरीरों से कोई सुधार होने वाला नहीं है।

[श्री नवलकिशोर]

वाइस-चांसलर, टीचर्स और दूकानदारों, सब ने अपील की और सरकार ने यह आश्वासन दिया कि विद्यार्थियों की सही मांगों को मान लिया गया है अगर कोई और भी मुनासिब मांग बतायी जायगी तो सरकार उसको भी मानने के लिये तैयार है। इसके बाद भी यदि जुलूस निकाला जाय, वायलेंट स्पीचेज़ हों गाली दी जाय, मैं किसी दल विशेष की बात नहीं कहता, मेरे पास यह भी सूचना है कि इसका नेतृत्व हमारे किसी दल विशेष के हाथ में भी है। और आज वे प्रजातन्त्र की बात कहते हैं यद्यपि दूसरे प्रकार से प्रजातंत्र को विध्वंस करने की कोशिश करते हैं। तब फिर सरकार क्या करे। मुझे विश्वास है कि इस गम्भीर समस्या का हल इस प्रकार से होने वाला नहीं है। मैं ठीक तो नहीं कह सकता लेकिन मैंने सुना है कि ऐसे भी नारे लगाये गये "डाउन विद दि नेशनल फ्लेग"। इससे देश का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता है। एक ओर तो प्रजातन्त्र की दुहाई दी जाती है लेकिन दूसरी ओर जिन टेंडेंसीज़ को प्रोत्साहन दिया जाता है वे डेमोक्रेसी के खिलाफ है।

गोलीकांड हुआ बहुत बुरी बात हुई। कोई भी इसको अच्छा नहीं बता सकता। लेकिन कोई मजबूरी की स्थिति भी हो सकती है। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि विद्यार्थियों को अपना तरीका तब्दील करना चाहिये और हुल्लड़बाजी को छोड़ना चाहिए। क्योंकि उन्हें आगे चल कर इस प्रदेश और देश के नागरिक बनना है और बड़ी-बड़ी जुम्मेदारियों को उठाना है। इन कुर्सियों पर, माननीय मुख्य मंत्री के स्थान पर, पंडित नेहरू के स्थान पर उनको ही बैठना है। सब नहीं बैठेंगे तो कुछ तो बैठेंगे ही। तो आज हम इनको किधर ले जाना चाहते हैं, यह एक सोचने की बात है। हमारी तो एक बड़ी दिक्कत है मान्यवर, मुझे वह शेर तो याद नहीं है लेकिन उसका मतलब यह है कि जिस पर आशियां था वही पत्ते हवा देने लगे। बड़ी उम्मीद थी हमको देश के विद्यार्थी वर्ग से अपने देश के बच्चों से, अपने देश के नौनिहालों से, जो हमारे देश के बूढ़े नेताओं को इस बात की सान्त्वना थी कि वह उनको अपने जीवन काल में इतना मजबूत बनाने का प्रयत्न करेंगे और देश को उनके आगे डाल कर मजबूत हाथों में सौंप सकेंगे ताकि वे देश को आगे बढ़ा सकें। जिस झंडे को लेकर हमने आजादी की लड़ाई लड़ी जिसमें हमारे देश के सर्वोच्च नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, उसको दृढ़ता से पकड़ने में वे हमारे सहायक बनेंगे लेकिन आज मुझे यह कहन में कोई संकोच नहीं है कि यह आशा पूरी होती दिखलायी नहीं पड़ती है। मैं यह दरख्वास्त करता हूं कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनके साथ राजनीति को लाकर खिलवाड़ न किया जाय, उनको राजनीतिक शतरंज की गोटी नहीं बनानी चाहिये, अगर वे नाराज भी हों तो उनको हमें सही नेतृत्व ही देना चाहिये।

जो माननीय त्रिलोकी सिंह ने कहा कि किसी देश में ऐसा कांड नहीं हुआ सो मैं दूसरे देश की बातों में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन अपने देश में भी बहुत सी सरकारें बनीं, पी० एस० पी० की सरकार बनी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार भी बनी, श्रीमन्, मुझे यह मिशाल देने में कोई खुशी की बात नहीं है लेकिन मैं खास तौर से इसीलिये इस बात को कहता हूं कि कोई भी सरकार बने, परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, जब कि गोली वगैरह चलानी ही पड़ती है। एक बात कह कर मैं खत्म करूंगा कि सरकार इस बात का निर्णय करे कि मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हो या किस तरह की जांच-पड़ताल हो, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि यह काम ऐसा है जिसमें सभी विरोधी दलों को मिल कर काम करने की कोशिश करनी चाहिय। यहां पर बहुत से भाषण ऐसे किये गये जिससे समझौते की कोई उम्मीद नहीं निकलती। यहां पर तो भाषण ऐसे होने चाहिये कि हम विद्यार्थियों को सही रास्ते पर लावें और इस प्रकार की भावना पैदा करें जिससे भविष्य में इस तरह की दुखद घटना न हो सके।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, जो प्रस्ताव विरोधी दल के माननीय नेता ने प्रस्तुत किया है, मेरी ऐसी धारणा है कि यद्यपि माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस स्वीकार किया और सदन ने भी उसकी अनुमति दी, क्योंकि प्रस्ताव उपस्थित होने पर उसे

स्वीकार करना ही उचित था लेकिन मेरी धारणा ऐसी है कि यदि उन्होंने प्रदेश की परिस्थिति और जो घटनायें घटी हैं, उनको देखते हुए और उनकी जो प्रतिक्रिया प्रदेश के जीवन में हो सकती है, उसकी कल्पना करते हुए विचार किया होता तो कदाचित् यह उचित समझे होते कि इस प्रस्ताव को इस अवसर पर उपस्थित न करें। पर उन्होंने उसे उपस्थित किया और सम्मानित सदन उस पर विचार कर रहा है। प्रश्न ऐसा है कि निजी तरीके से उसके ऊपर कुछ बोलना और कुछ कहना कठिनाइयों से भरा हुआ है। भावनायें जागी हुई हैं, आवेश बढ़े हुए हैं, शान्त चित्त से, स्थिरता के साथ प्रश्न पर विचार करने की प्रवृत्ति कुछ कम दिखाई देती है। ऐसे अवसर पर मान्यवर, मैं चेष्टा यह करूंगा अत्यन्त नम्रता के साथ बोलूं ताकि आज की कठिनता में, आज की उलझन में, आज की उग्रता में, और आज की कटुता में किसी प्रकार का और थोड़ा बल भी न आने पावे। इसलिये मैं अत्यन्त नम्रता के साथ अपना निवेदन प्रस्तुत करता हूं। मैं देखता हूं कि जो भाषण इस सम्बन्ध में किये गये वे भी मेरी दृष्टि से मान्यवर, दुखद रहे हैं। यह परिस्थिति ऐसी थी जिसमें भावनाओं से काम नहीं लेना चाहिये था और न केवल इस दृष्टि से भाषण करने चाहिये कि उनको गैलरीज सुने और उनके जरिये यश व प्रतिष्ठा प्राप्त करने की चेष्टा की जाय, क्योंकि यह प्रश्न ऐसा था कि जिसका प्रभाव व्यापक पड़ सकता है, लाखों आदमी की जानों से उसका सम्बन्ध हो सकता है।

मुझे खेद हुआ श्री राजनारायण जी का भाषण सुनकर क्योंकि उनके भाषण को मैं अक्सर सुना करता हूं। मेरे जिले व नगर के निवासी हैं। बड़ा अवसर मिला है उनके भाषण सुनने का और बहुधा जिस प्रकार की बातें वे किया करते हैं वैसी ही उन्होंने आज भी कीं। मैं समझता था कि कुछ और जिम्मेदारी से वे काम लेंगे।

यादवेन्द्रदत्त जी का भी भाषण मैंने सुना। मैंने यह समझा था, जब उनका पदार्पण हुआ था इस सदन में, कि जिम्मेदारी से बात करने वाले व्यक्ति वे हैं। लेकिन आज मैं देखता हूं कि भावनाओं में वे भी बह गये और आज के अवसर पर जो कुछ उन्होंने कहा और जिस ढंग से कहा, मैं समझता हूं कि, वह भी बहुत लाभकारी नहीं हो सकता।

हमारे विरोधी दल के नेता तो अच्छे वकील हैं पर इस मामले में जैसी लचर वकालत उन्होंने की वैसा भाषण आज तक शायद मैंने सुना नहीं था। अस्तु, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अवसर इश्तियाल देने का या भाव में बहने का नहीं है। कहीं अगर गोली चल जाय और प्रदेश के किसी एक व्यक्ति के, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, प्राण चले जायं तो यह किसी के लिये भी सुखकर बात नहीं हो सकती, किसी के भी हृदय में इसके लिये दुख होगा और पीड़ा पहुंचेगी और कोई एक ऐसी सरकार जो जनता की सद्भावनाओं पर अपना अस्तित्व रखने का इरादा रखती हो और जिस पर गांधी जी के आन्दोलनों और उनके आचरणों का प्रभाव रहा हो और जो यह दावा करती हो कि उसका संचालन करने वाले वे लोग हैं जो उस महात्मा के चरणों के पीछे एक वर्ष नहीं पच्चीसों और तीसों वर्ष चले उनके सामने अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाय तो उनके हृदय में दुख होगा। (व्यवधान) अनुचित बात है बीच में टोकना। मेरे पास थोड़ा समय है। जल्दी में अपनी बात कहनी है। (कोलाहल)

श्री अध्यक्ष--कृपया आप लोग शान्त रहिये। शान्ति कायम करने का मेरा काम है आप एक दूसरे से मत कहिये कि शान्त रहिये। जो कुछ कहना हो तो मुझसे कहिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कोई सरकार जो जनता के सद्भाव, सहयोग और आशीर्वाद व समर्थन पर अपना अस्तित्व मानती हो और सौभाग्य से वह उस महात्मा के पीछे चलने वाली हो एक, दो, तीन वर्ष से नहीं बल्कि पचीसों वर्ष से और जिन्होंने एक नयी विचारधारा, एक नया चिन्तन-प्रवाह प्रदान किया हो, उसके समय में इस प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाय तो उसके हृदय को ठेस पहुंचना अवश्यम्भावी है। लेकिन, जैसा मैंने निवेदन किया केवल भावनाओं से काम नहीं चलता। कभी-कभी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

कर्तव्य कठोर से कठोरतम कार्य करने का आवाहन करता हूं और उस स्थिति में जिनके ऊपर आपने उत्तरदायित्व डाल दिया है उन्हें दृढ़तापूर्वक हृदय को पत्थर बना कर अग्रसर होना पड़ता है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कर्तव्य से च्युत होते हैं।

फिर मुश्किल यह है कि घटना हुई २ तारीख को हमारे नेता विरोधी दल यहां मौजूद नहीं थे, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि १५ मिनट पहले गोली चलने के वे आये।

श्री अध्यक्ष--१५ मिनट पहले नहीं, १५ मिनट बाद आये।

श्री कमलापति त्रिपाठी--गोली चलने के १५ मिनट बाद उन्होंने लखनऊ में अपने चरण रखे, उसके पूर्व वे यहां उपस्थित नहीं थे। सारे दिन घटनायें घटीं। ३० तारीख को जुलूस निकला था जिसमें यह ऐलान किया गया था कि २ तारीख को लखनऊ भर में हड़ताल होगी। तमाम स्कूल और शिक्षा की संस्थायें बन्द होंगी, यह एलान किया गया कि बाजार बन्द किये जायंगे। जुलूस निकला और घूमा। कोई रुकावट नहीं डाली गई। २ तारीख को जुलूस निकला। मैं चाहता हूं कि आपकी आज्ञा से अत्यन्त संक्षेप में किस प्रकार यह कार्यवाही शुरू हुई उसका एक छोटा सा विवरण आपके सम्मुख पेश कर दूं। २ तारीख को कई स्कूल बन्द कराये गए। उन स्कूलों का नाम मेरे सामने हैं--क्वीन्स कालेज बन्द हुआ, एम० डी० इन्टर कालेज बन्द हुआ, जुबली कालेज बन्द हुआ, जोसेफ इंटर कालेज और सेंट फ्रांसिस, वी० एन० इन्टर कालेज और शिया इन्टरकालेज बन्द हुये और इस प्रकार से बहुत सी संस्थायें जो नगर की हैं वह बन्द हुईं। कान्यकुब्ज कालेज बन्द नहीं हुआ। वहां के विद्यार्थियों ने यह निश्चय किया कि वह कालेज में रह कर के अपना पठनपाठन शुरू करेंगे। शहर की इन संस्थाओं के जो विद्यार्थी हड़ताल करके बाहर निकले उनके छोटे-छोटे बैचेज एकत्र होने लगे और एकत्र होकर के यूनिवर्सिटी की ओर चलने की उन्होंने चेष्टा की, क्योंकि एलान यह था कि विश्वविद्यालय में एकत्र होकर के एक बड़ा जुलूस वहां के विद्यार्थियों के साथ चलेगा। उन लोगों ने कई स्कूल बन्द भी कराये, जैसा कि इंडस्ट्रियल स्कूल अमीनाबाद को एक तरह से जबर्दस्ती बन्द कराया गया, कालीचरण इंन्टर कालेज भी बन्द हुआ और एक और स्कूल अमीनाबाद के इन्टर कालेज को भी बन्द कराने की चेष्टा की गई। अब यह छोटे-छोटे बैचेज एकत्र हुए। एक बैच कान्यकुब्ज कालेज की ओर बढ़ा। कान्यकुब्ज कालेज के पास यह इत्तला हुई थी कि वहां के विद्यार्थी जो फाटक से बाहर निकलने वाले नहीं थे उनको निकालने के लिए यह जुलूस जा रहा है। रिफ्यूजी मार्केट चारबाग के पास उन्होंने दूकान बन्द कराने की कोशिश की। वहां यह छोटा सा दल उलझा। उसने दूकानदारों को जबरदस्ती दूकान बन्द करने के लिये बाध्य किया। पुलिस उनकी मदद को आई। पुलिस पर ढेले चलाये गए। वहीं जो बस खड़ी थी, बस के शीशे तोड़े गए और फिर पुलिस ने यह देखकर कि और छोटे-छोटे दल एकत्र हो रहे हैं, और यह देखकर कि रिफ्यूजी मार्केट के लोग स्वयं उत्तेजित हो रहे हैं, उसने लाठी चार्ज किया और लोगों को डिस्पर्स करने की कोशिश की। वहां से यह दल डिस्पर्स हुआ। कान्यकुब्ज कालेज की ओर बढ़ा और कान्यकुब्ज कालेज के फाटक पर भीतर घुसने की चेष्टा की। इधर यूनिवर्सिटी से एक जुलूस चला विधान सभा की ओर। दूसरे और जितने केन्द्रों से जुलूस चले थे वह सब यूनिवर्सिटी की ओर आये और यूनिवर्सिटी से जुलूस बना कर के रवाना हुआ। यह छोटी सी घटना चारबाग स्टेशन के पास हो चुकी थी। यह जलूस घूमता हुआ कौंसिल हाउस के सामने आया और कौंसिल हाउस के सामने व्याख्यान दिया जा रहा था जब कि किसी ने आकर के यह एलान किया कि कान्यकुब्ज कालेज के पास विद्यार्थियों के जुलूस पर लाठी चार्ज हुआ है। बहुत से विद्यार्थी घायल किये गए हैं। वह जलूस वहां से मेरे घर की ओर मुड़ा। माननीय, अब तक गृहमंत्री इस झगड़े से बाहर समझे जाते थे। गृहमंत्री के घर की ओर वह जलूस मुड़ा क्योंकि कहा यह गया कि इनकी पुलिस ने कान्यकुब्ज कालेज के विद्यार्थियों के ऊपर लाठी चार्ज किया। हमारे यहां जलूस आया। वहां से जलूस स्वास्थ्य मंत्री के यहां गया और स्वास्थ्य मंत्री के यहां से

माननीय मुख्य मंत्री जी के यहां गया। हमसे पूछा जाता है कि छितवापुर पर क्यों झगड़ा हुआ ? मैं कहता हूं कि मेरे घर पर ही यह एलान किया गया कि हमारे साथियों पर, विद्यार्थियों पर कान्यकुब्ज कालेज के पास पुलिस ने लाठी चलायी है, हमने सुना है कि बहुत से लोगों को चोटें आई हैं और हम जायेंगे और इसका मुकाबला करेंगे। इसके साथ और भी इस तरह की बातें कही गईं जिनको मैं दुहराना नहीं चाहता। वहां से यह जलूस स्वास्थ्य मंत्री के यहां गया और स्वास्थ्य मंत्री के यहां से मुख्य मंत्री के यहां गया। मुख्य मंत्री के यहां फिर यह एलान हुआ कि हमको अभी कान्यकुब्ज कालेज की ओर चलना है क्योंकि वहां हमारे विद्यार्थियों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है। इस प्रकार यह जलूस कुछ हमारे प्रतिष्ठित पत्रों के दफ्तरों को कुछ चोट पहुंचाता हुआ कान्यकुब्ज कालेज की तरफ चला। छितवापुर की जो चौकी है वह सड़क से ३, ४ फिट नीचे होगी। थोड़े से पुलिस के आदमी मौजूद थे। कुछ पुलिस के गार्ड कान्यकुब्ज कालेज के फाटक पर थे। जब यह जलूस वहां पहुंचा और इधर से दूसरा जलूस पहुंचा तो छितवापुर की चौकी को देख कर हमारे विद्यार्थियों में एक क्रोध और आवेश हुआ कि यही चौकी है जो १०० गज की दूरी पर है कान्यकुब्ज कालेज से इन्हीं की वजह से लाठी चार्ज हुआ। वह रुके उन्होंने स्लोगन्स लगाये पुलिस वहां खड़ी थी और इसके बाद फिर ढेले फेंकने शुरू हुए। पुलिस ने यह देख कर कि ढेले आ रहे हैं, थोड़े आदमी थे लाठी चार्ज हुआ। फिर क्रोध आया दूसरी बार फिर लाठी चार्ज हुआ। भीड़ काफी इकट्ठा हो गई थी और पुलिस चौकी को घेरने की कोशिश करके चौकी में घुसने की कोशिश की गई, पुलिस को ओवर पावर करने की कोशिश की गई, राइफिलों पर कब्जा करने की कोशिश हुई और फिर इसके बाद पुलिस को गोली चलाने की नौबत आयी।

कहा यह जाता है कि ऊपर गोली कैसे चली ? गोली चलाने वाले ने यह सोचकर कि इतनी बड़ी भीड़ है सीधे गोली न चलायी जाय हवा में फायर किया और इसलिये किया कि जिससे भीड़ डिसपर्स हो जाय। और जितनी बड़ी भीड़ थी और अगर सीधी गोली चलाई गई होती तो मृतकों और घायलों की संख्या काफी होती। उन्होंने जो फायर किया, जिसका जिक्र माननीय नेता विरोधी दल ने किया ३ बजे के करीब यह बात हुई। माननीय नेता विरोधी दल यह कहते हैं कि १५ मिनट बाद लखनऊ में वह पहुंचे। इसके बाद भी घटनास्थल पर सवा चार बजे पहुंचे। इस बीच में घायल अस्पताल में पहुंचे। अस्पताल में जो ऐडमीशन हुआ उसका टाइम देख लिया जाय। एक सवा तीन बजे, एक ३ बजकर २० मिनट पर और एक ३ बजकर ४० मिनट पर और जो एक मृत्यु हुई वह ४ बज कर १५ मिनट पर हुई जब कदाचित माननीय नेता विरोधी दल वहां पहुंचे होंगे। यह कहना कि २,२ घंटे तक लाशें पड़ी रहीं ठीक नहीं है, जो अस्पताल में ऐडमिशन का टाइम है उनको किसने वहां भरती किया ? वह समय मेरे पास मौजूद है, १५ मिनट और २० मिनट में आदमी अस्पताल पहुंचाये गये, यह पुलिस ने नहीं पहुंचाये तो किसने पहुंचाये ?

श्री त्रिलोकी सिंह--मैंने यह कहा कि पुलिस ने एक लाश भी नहीं पहुंचायी।

श्री कमलापति त्रिपाठी--भीड़ उठाकर ले गई होगी और १५ मिनट में पहुंचा भी दिया होगा ?

श्री त्रिलोकी सिंह--मैं बलरामपुर अस्पताल के सिविल सर्जन के बयान पर कह रहा हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं समझता हूं वह नेता विरोधी दल हैं। उनको आवेश में आने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरे भी आवेश में आ सकते हैं। मुझे आपकी कोई बात आवेश में नहीं ला सकती है, आप अपने को कष्ट क्यों दें ?

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

मैं मान्यवर, कह रहा था कि वह अस्पताल में पहुंचाये गये। कहा यह जाता है कि यह जलूस निहत्था था और शांत था। माननीय त्रिलोकीसिंह जी कहते हैं कि यह जलूस ४ घंटे तक घूमा और कहीं ऐसी घटना नहीं हुई, वहीं कैसे हो गई। तो मैं निवेदन करता हूं कि यही सबूत है ४ घंटे तक पुलिस ने इस जलूस की कार्यवाही किस धैर्य के साथ बरदाश्त की।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर दो, तीन मिनट मिलेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष—दो, तीन मिनट तो हैं ही।

श्री कमलापति त्रिपाठी—अच्छी बात है।

खेद हुआ देख कर कि जलूस अनआर्म्ड था, पर वायलेंट नहीं था यह कहना गलत है। आज संविधान की धाराओं का उलाहना दिया जाता है संविधान की धाराओं में कहां लिखा है कि उन लोगों को लाइसेंस है कि वह सामाजिक और नागरिक जीवन को ऊपर से नीचे तक प्रकम्पित करें और सारे नगर में उपद्रव करें। जहां पुलिस वालों के ऊपर ढेले फेंके जायं, जहां उन को सामने ही गालियां दी जायं, जहां तमाम बल्ब तोड़े जायं, जहां पर जीपों के शीशे तोड़े जायं, जहां पर दूकानदारों से जबरदस्ती दूकानें बन्द कराने की चेष्टा की जाय और जहां पर छोटी-मोटी दूकानों को लूट लिया गया हो ऐसे जलूस को यह कहना कि वह शांति से जा रहा था, एक ऐसे कार्य को समर्थन प्रदान करना है जिसको कोई भी इस प्रदेश का जिम्मेदार आदमी जिसे प्रदेश के जनजीवन से कुछ भी मोह है जिसे यहां की शांति व्यवस्था से तनिक भी वास्ता है, जो इस प्रदेश के विकास में विश्वास करता है वह इस तरह की चीजों को कभी भी अच्छा नहीं कह सकता। मुझे बहुत दुख है और खेद है कि विरोधी दल की ओर से एक ऐसे जलूस के लिये कहा जाता है कि वह शांतिमय था। हमारे पुलिस वाले जो ज्यादा शिक्षित भी नहीं हैं, वह पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े रहे और मैं उन की इस के लिये प्रसंशा करता हूं। हमारे घर के सामने पुलिस वालों पर जिस तरह से ढेले चले, जिस तरह से उनको कहा गया कि "चार-चार पैसे के पुलिस के कुत्ते हैं," किस तरह से उनकी टोपियों को उछाला गया, किस तरह से उनकी ठुड्डी पकड़ कर हिलाया गया और उसके बावजूद जिस तरह से हमारे पुलिस के लोगों ने उसको सहन किया उसके बाद भी अगर हम पुलिस को दोषी कहें और पुलिस को इस तरह से डिमारेलाइज किया जाय और शांति व्यवस्था को खतरे में डाल दिया जाय तो हमारे देश की सामाजिक सुरक्षा तो क्या हमारा सारा नागरिक जीवन ही अव्यवस्थित हो जायगा। छितवापुर की चौकी पर जब कि कब्जा करने की कोशिश हो रही हो, ढेले चल रहे हों तो पुलिस के पास सिवा इसके और कोई रास्ता नहीं था कि वह कम से कम बल का प्रयोग करे। उसमें जिसकी जान गई उस का हमें बहुत दुख है, जिनके चोट लगीं उसके लिये हमारे हृदय में पीड़ा है पर जो कुछ कार्यवाही उस स्थिति में उचित थी वह की गई और उस परिस्थिति में सिवा इसके कोई दूसरा मार्ग ही नहीं था। ऐसी उद्दंडता को समाप्त करने के लिये जो कुछ बल प्रयोग कम से कम हो सकता था वह ऐसा था कि जिस का प्रयोग कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति स्वीकार करेगा।

अन्त में मैं केवल एक ही बात और कहूंगा और वह यह कि यहां इन्क्वायरी की बात कही गई। मैं निवेदन करूंगा कि मैं भी इन्क्वायरी चाहता हूं। यहां पर कोई आधार नहीं है जुडीशियल इन्क्वायरी का मैं चाहता हूं यह बात मालूम की जाय कि ऐसी परिस्थिति किस ने उपस्थित की, वह कौन लोग हैं जिनका हाथ इसके पीछे रहा है, वह कौन लोग हैं जिन्होंने राजनैतिक दलबन्दी और राजनीतिक नेतागीरी के चक्कर में जब कि एक दल चाहता है कि सुलह हो जाय तो दूसरा अपनी नेतागीरी के चक्कर में अलग बात करता है। मैं भी चाहता हूं कि किसी जिम्मेदार आदमी के नेतृत्व में एक कमेटी बने और आपके ही नेतृत्व में श्रीमन्, एक कमेटी बने और वह देखे कि किस तरह से ऐसी परिस्थितियां, किस के प्रोत्साहन पर, उत्पन्न की जाती हैं। यदि किसी भी देश में ऐसी दशा होगी तो न तो जनतंत्र ही जीवित रह सकता है और न बच्चों का चरित्र ही बन सकता

है कि जिस के ऊपर देश का इतिहास निर्भर करता है। क्या नन्हें नन्हें बच्चों को इस तरह से गालियां देते रहने से, उन को इस प्रकार के काम करते रहने देने से उन का और देश का विकास होगा ? इस से देश का भावी जीवन ही नष्ट हो जायगा और जिस जनस्वातंत्र्य और जनाधिकार की बात आप करते हैं उसका एक मिनट में लोप हो जायगा जैसे कपूर लुप्त हो जाता है।

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा सचिव (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री त्रिलोकीसिंह--मान्यवर, साधारण तौर पर यह प्रथा नहीं है कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव को जो सदस्य पेश करें वह इस आदरणीय सदन का समय उत्तर देने में भी लें, किन्तु आपने कृपा की और बात भी मेरे सिलसिले में कुछ ऐसी आ गई इसलिये मैं निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष--बात यह है कि हमारे यहां जो नियम हैं उसमें वह है लेकिन और दूसरी जगहों में कहीं कहीं ऐसी प्रथा उत्तर देने की नहीं होती है और वह नियम जो है वह रिजोल्यूशन और मोशन के लिये है इस के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिये मैंने उत्तर देने के लिये कहा कि आप उत्तर दें। बाद में मंत्री जी भी दो तीन मिनट में स्पष्टीकरण देना चाहेंगे तो दे सकते हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह--बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज तुलसी दास जी ने यह कहा है कि:

"पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहिं ते नर न घनेरे।"

मुझे मालूम हुआ, मैं सुनी हुई बात कह रहा हूं लेकिन गृह मंत्री जी को इशारा कर के कह रहा हूं कि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक के विवाद में हिस्सा लिया था और यह कहा था कि प्रजातंत्र में और सब बातों में मतभेद हो सकता है लेकिन नीयत पर शुबहा नहीं किया जा सकता। अभी उन्होंने अभियोग लगाया कि इधर के भाषण बाहर वालों को प्रसन्न करने के लिये प्लेइंग टु दी गैलरी वाले हुये। जब इडेम्निटी बिल पर इंडियन लेजिस्लेटिव कौंसिल में बहस हो रही थी तो वाराणसी नगर के प्रसिद्ध नागरिक और देश के महान् नेता पंडित मदन मोहन मालवीय ने कुछ इस देश के प्राचीन शास्त्रों का हवाला दिया और उस पर सर जार्ज लाउन्ड्स ने यह कहा कि, "पंडित जी This is not spiritualism". पंडित जी खामोश हो गये। भाग्यवश जब सर विलियम विंसेंट बोलने आये तो उन्होंने बाइबिल का हवाला दिया। इस पर पंडित मदनमोहन मालवीय ने कहा कि "Sir, the devil is quoting the scripture". आज वही बात यहां आ गयी और उतना ही भयंकर गृह मंत्री जी का भाषण था। गोली का जिक्र और महात्मा जी का हवाला। मालूम यह हुआ कि महात्मा जी का भी यही मत था। मुझे अफसोस है, यह मामला बहुत ही गम्भीर है।

कहते हैं कि लचर वकालत। मैंने आजतक वकालत नहीं की। किसी मुकदमे की वकालत नहीं की है। मैंने कभी किसी केस को प्लीड नहीं किया है, काज़ को प्लीड किया है, मुकदमे की नहीं, मामले की वकालत करता हूं और करता रहूंगा और मैं समझता हूं कि मेरा हक है। संविधान का जिक्र करते हैं, मानते हुये कि कानून से मेरा कुछ वास्ता है कि उसमें जलूस निकालने की गुंजायश नहीं। और गौर तो कीजिये, एक साहब ने फरमाया, दूसरे मुअज्जिज मेम्बर साहब ने उनका समर्थन किया कि मैं सुनी हुई बातों का जिक्र करता हूं। मान्यवर, क्या वह आदमी निर्णय नहीं दे सकता है जिसने खुद किसी बात को देखा हो ? निर्णय हमेशा वह आदमी देता है जो चश्मदीद गवाही की बुनियाद पर, उनपर विचार करने के बाद कोई राय कायम करे और मैं जानना चाहता हूं उन बरेली जिले के मुअज्जिज मेम्बर से या माननीय गृह मंत्री से कि किसी ऐसे आदमी से जिसने चश्मदीद वाकयात देखे हैं उससे उन्होंने कोई बात की हों।

[श्री त्रिलोकीसिंह]

दावा है कि उनका राजनीतिक और सामाजिक जीवन है। लेकिन वहां नहीं देखा किसी माई के लाल को। क्या यही प्रजातंत्र है कि घर में बैठे हुये हैं, गोली चलती है, क्या होम मिनिस्टर का यह फर्ज नहीं है कि जाय और पूछे कि क्या बात है? हेल्थ मिनिस्टर का फर्ज नहीं है कि अस्पताल में जाकर लोगों की हालत देखे। यहां मेरे कथन को गलत कहते हैं? मेरी समझ में नहीं आता कि क्या प्वाइंट है। मैं बलरामपुर अस्पताल का रजिस्टर पेश कर सकता हूं कि किसने लाकर उन लोगों को जिनको चोट लगी हो, गोली लगी हो, डंडे लगे हों, उनको भर्ती कराया। लेकिन बिना वहां जाये हुये ही कहते रहें कि मुझे गुस्सा है। भला मुझ डेढ़ हड्डी के आदमी को क्या गुस्सा आयेगा? और अगर आयेगा भी तो वह क्या कर लेगा? लेकिन जो तेवर उन्होंने दिखलाये, जो आन-बान और हाथ पैर उन्होंने फेंके, मैं नहीं समझता हूं कि उससे ज्यादा मैंने कहीं देखे और यह भी समझता हूं, मान्यवर कि मुझे गुस्सा होना चाहिये जब कि कोई मेरे सामने दीदो दानिस्ता इस तरह की बात करे और मेरे मुंह में वह बात रखने की कोशिश करे जो मैंने नहीं कही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले पर संजीदगी के साथ गौर कीजिये।

मैंने जिन लोगों की शहादत ली है, जिन्होंने उस घटना को देखा है अपनी आंख से और जो वहां के रहने वाले हैं उनसे बात की है। कहते हैं कि हवाई फायर हुये। आज हवाई फायर कहां होता है? क्या वह किसी मकान पर निशाना लगाया जाता है। और अगर मैं यहां हवाई फायर करूंगा तो ऊपर की तरफ करूंगा या महात्मा जी की तस्वीर पर करूंगा? १५ फिट ऊंची जमीन से जो खिड़की है उस पर गोली लगी है। २५ फीट ऊंचे छज्जे पर गोली लगी है। उस मकान के छज्जे पर लगी है जिसमें नैशनल बोटैनिकल गार्डन के एक गजटेड अफसर रहते हैं। जब लाठी चलाई जाती है तो वह छज्जे पर खड़े हुये थे। वह कमरे के अन्दर चले गये, वह उसी कमरे की तरफ से गये, उसी दरवाजे से गये जहां से डेढ़ बालिश्त पर गोली लगी है। मैं नहीं समझ सका कि किस तरह से गोली चलायी गयी। इसलिये अब मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस इतने बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पर अच्छी तरह से विचार करें। अगर कोई यह कोशिश करे, वह चाहे जितनी बड़ी जबरदस्त जनतंत्रवादी सरकार हो कि वह सत्य को छिपाये तो हम बड़ी नम्रतापूर्वक कहेंगे कि वह सत्य को नहीं छिपा सकेंगे। भले ही माननीय मंत्री जी इस गोलीकांड की घटना की जांच न करायें, लेकिन मैं इस तरफ बैठकर और सरकार में न रहते हुये भी, श्रीमन्, मैं डींग नहीं हांकता हूं बल्कि इतना बल रखता हूं और मेरा जनता में विश्वास, और जनता का मुझमें विश्वास है कि अगर हाई कोर्ट जज के मैं नान-आफिशियल इंक्वायरी करा कर दस दिन के अन्दर रिपोर्ट मंगवा लूंगा।

मैं जानता हूं कि उस आदमी के गोली लगी। मुझ से कहा जाता है कि मैं बलवाई हूं। यह आरोप है मेरे ऊपर कि मैं लोगों को उकसाता हूं। मैंने अपनी जिम्मेदारी लेकर लिखकर दे दिया कि लाश मुझे दे दी जाय। मैं रात को दफना दूंगा। इंसानियत के लिये लाश दे दें, उसकी बीबी देख ले, उसके रोते हुये बच्चे देख लें। मुझे लाश दी गई और मेरी दरख्वास्त पर दी गई। इस पर यह कि मैं देर में आया, मन-मानी बात कह दी। मैं लोगों को उकसाता हूं, यह असंगत बात है।

श्रीमन्, कोई सम्बन्ध नहीं था लड़कों का मांगों से, लेकिन हवाला दिया गया है। मैं दरख्वास्त करता हूं कि वह जांच करायें। मैं गवाही पेश करूंगा। बी० एम० बी० एस० का कोर्स बनाने में कोई सुविधा नहीं दी गई और बार-बार लड़कों के कहने पर मास्टर वगैरह का कोई इंतजाम नहीं किया गया। न वहां सज्जा है। यह अपनी ही आज्ञा का उल्लंघन किया गया है। इसकी जांच कराइये और फिर देखिये कि किस के हक में फैसला होता है। लेकिन यह किसी अधिकारी के तहत में जांच न हो क्योंकि इसमें सरकार मुजरिम है, इसमें सारी गड़बड़ी सरकार की है और सरकार ने ही बैंगलिंग किया है। खुद उन्होंने स्वीकार किया है कि बी०

एम० बी० एस० कोर्स के लिये न तो अवल तकाजा करती है और न यह चलने वाली चीज ही है। जब वह स्वयं कहते हैं कि यह चीज चलने वाली नहीं है तो हम इसके अपराधी हैं, हम इसके दोषी हैं ।

श्रीमन्, मैंने खुद तस्लीम किया है कि ढेले मारे, इसीलिये कि मुझसे लोगों ने कहा कि ढेले मारे और मैंने यह भी कहा कि ६०–७० ईंटें मैंने वहां पर देखीं। जाहिर है कि वह ईंटें पुलिस वालों की जेब से नहीं निकलीं बल्कि लोगों ने उनके मारीं। मैंने इस चीज की सराहना नहीं की है और न आयन्दा कभी करूंगा। श्रीमन्, मैं इस बात का साहस रखता हूं और इसी महात्मा के चरणों में मैंने यह सबक सीखा है कि सत्य को छिपाना ठीक बात नहीं है और कायरता से भागना ठीक नहीं है। सौ गज की दूरी पर जाकर मारा। मेरी इस बात का कोई खंडन करे। एक गज नहीं, दो गज नहीं, तीन गज नहीं बल्कि बराबर भगाते चले जा रहे थे और जब एक ईंटा पड़ा तो पों पों करके भाग खड़े हुये। बड़े-बड़े जवान लोहे के टोप लगाये हुये थे। मारने को तो उनमें जोर था लेकिन एक ईंटा पड़ते ही भाग चले वहां से और फिर उसके बदले में गोली चलाई ।

श्रीमन्, मैं यह कहता हूं और माननीय गृह मंत्री जी भी इस बात को जान लें कि मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पूछा कि गोली चलाने का क्या कारण हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम। इससे ज्यादा लुत्फ की बात यह हुई कि उस समय वहां पर पांच नौजवान बंद थे। मैंने उनसे पूछा कि यह किस दफा के अधीन बंद किये गये हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम। चौकी के मुंशी से पूछो या थानेदार से पूछो। श्रीमन्, मैं थोड़ा सा कानून जानता हूं। इसलिये मैंने उसी समय दरख्वास्त दिला दी कि आपने फरमाया कि आपको मालूम नहीं कि यह किस दफा में पकड़े गये हैं लिहाजा इनको छोड़ दिया जाय ।

श्रीमन्, यह तो हालत है। किसी का एक तांगा था वह आलमबाग थाने में बन्द है। शायद आज छूटा हो। उसकी छतरी तोड़ दी। उसके घोड़े को कांजी हाउस में बन्द कर दिया। लाउड स्पीकर को चकनाचूर कर दिया। क्या लाउड स्पीकर की मशीन ने कुछ नुकसान किया था? क्या उसने किसी पुलिस की आज्ञा या राजाज्ञा या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की आज्ञा या कांस्टीट्यूशन की धारा का उल्लंघन किया था? वह किराये पर तांगा गया था। लड़कों को मारते। तांगे वाले को क्यों कुचल दिया। एक मसल मशहूर है, धोबी से न जीते तो गदहे के कान उमेठे। गोली चल गयी, लड़के भाग गये कुछ नहीं तो तांगे को ही तोड़ डाला, मशीन और लाउड स्पीकर को ही चकनाचूर कर दिया। मैंने जानबूझ कर बातें नहीं कहीं। जब कल माननीय नेता सदन ने इस प्रस्ताव को पेश होने का विरोध नहीं किया तो मैंने स्वयं कहा कि अच्छा होगा कि आज नहीं कल के लिए रखा जाय। एक शब्द नहीं कहा विद्यार्थियों और विद्यार्थियों की मांगों के बारे में। लेकिन मसल है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। हमें गुर्रे डब्बे दिखाते हैं। हम इस गुर्रे डब्बे में आने वाले नहीं हैं। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि अगर गोली नाजायज तरीके से नहीं चलायी गयी है और पुलिस ने कोई गड़बड़ी नहीं की है तो हाई कोर्ट जज के सुपुर्द करें और उसके फैसले पर विश्वास करें। इसी लखनऊ शहर में १९३० में गोली चली थी। हम लोगों ने मांग पेश की कि इसकी जुडीशल इनक्वायरी हो। एक मि० ह्वाइट, आई० सी० एस० जज थे। वह नियुक्त हुए। उसकी छपी हुई रिपोर्ट सरकार की लाइब्रेरी में मौजूद है। आज भी देखी जा सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं इस आदरणीय सदन से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री कमलापति त्रिपाठी––श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल ने कोई भी नयी बात नहीं कही। जो बातें उन्होंने कही थीं उन्हीं को दोहराया, करीब-करीब। केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह कहा कि उल्टे चोर कोतवाल डांटे। मैं भी यही

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

निवेदन करता हूं कि उल्टे चोर कोतवाल डांटे। एक शब्द भी इस बात का नहीं निकला कि इस जुलूस ने किसी प्रकार की भी अशान्ति दिखलायी हो, अनुचित काम किया हो, गालियां दी हों, बल्ब तोड़े हों, तो उसकी निन्दा करने के लिए एक शब्द मैं समझता हूं कि विरोधी दलों के जितने भी नेता हैं उन्हीं के मुंह से नहीं निकला। शान्ति व्यवस्था और नागरिक जीवन के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, दूकानदारों के प्रति भी है, विद्यार्थियों के प्रति जो स्कूल और कालेजों में पढ़ते हैं उनके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। उन बेचारे गरीब रिक्शे और तांगे वालों के प्रति भी हमारा कर्तव्य है जो रोज कुआं खोदते और पानी पीते हैं, जिनका सारा रोजगार बन्द कर देने की चेष्टा की गयी। हमारे सारे प्रदेश से जो रिपोर्टें आयी हैं उनसे मालूम होता है कि किस प्रकार प्रदेश के दूसरे भागों में इसकी प्रतिक्रिया हुई है।

मैं केवल इतना ही निवेदन करता हूं कि आप बल प्रदान करें कि हम अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकें, नागरिक और सामाजिक जीवन को व्यवस्था से बचा सकें तथा जनतंत्र और जनाधिकार को विकसित कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि निश्चय हुआ कि विधान सभा की बैठक एक निश्चित सार्वजनिक महत्व के आवश्यक प्रश्न, अर्थात् २ अगस्त, १९५८ को लखनऊ नगर में छितवापुर पुलिस चौकी के करीब पुलिस का अकारण विद्यार्थियों के जुलूस पर अन्धाधुन्ध गोली चलाना और उसके द्वारा जख्मियों की दवा की व्यवस्था न करने पर विचार करने के लिये स्थगित की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—७२,
विपक्ष में—२३३।)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन १९५४–५५ पर विवाद

श्री अध्यक्ष—लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन १९५४–५५ पर विवाद होगा। (आवाजें) लेकिन यह विवाद शायद आप चाहेंगे कि किसी दूसरे दिन हो।

(इसके बाद सदन ६ बज कर १ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मिश्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
५ अगस्त, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२ पर)

फारमूला

$$\frac{X}{100} \times \frac{\text{P—taxes-'m'-actual sales commission per maund of sugar not exceeding 12 annas per cent}}{\text{Mds. of cane required per maund of sugar.}}$$

where X is the percentage share of the grower in the price of sugar as determined from the Table at Annexure VI on the basis of recovery and duration of season of the factory for the year. The recovery shall be the figure obtained by dividing the quantity of sugar produced by quantity of sugarcane purchased and verified from the records of the Resident Excise Inspector.

P is the ex-factory price of sugar determined by the Central Bureae of Sugar Prices and adjusted to ISS Grade D-28 according to grade price differentials fixed by the Government. This would also include credit for money realised by the factory from sale of bye-products.

Taxes mean excise duty, cane cess, Co-operative Societies Commission, special payments, if any, necessitated by labour awards or any other tax or cess levied on sugar or sugarcane by the Central or State Government calculated to per maund of sugar.

"M" the actual cost incurred per maund of sugar in transporting out-station cane by the factory over and above 2 annas per maund of cane.

Sales Commission will be the actual amount incurred per maund of sugar subject to a ceiling of 12 annas per cent and shall not be allowed on sugar sold directly by factories or under Government orders.

Maunds of cane required per maund of sugar shell be the quantity calculated by dividing the sugar produced by the weight of sugarcane purchased at the gate and outstation centres minues the quantiity of sugarcane lost in driage subject to a ceiling of one per cent on sugarcane purchased at outstation centres.

ANNEXURE VI

Percentage share of growers in the price of sugar calculated for different recoveries and duration of season according to Amended Naidu Schedule and a minimum price of Rs. 1/7/- per maund of cane

Recovery	Number of working days										
	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
8·5	62·51	63·49	64·41	65·25	66·09	66·83	67·58	68·27	68·90	69·56	70·19
8·6	62·46	63·44	64·36	65·21	66·04	66·78	67·52	68·22	68·85	69·51	70·13
8·7	62·41	63·40	64·32	65·16	65·99	66·72	67·47	68·17	68·79	69·45	70·08
8·8	62·37	63·36	64·27	65·11	65·94	96·67	67·42	68·11	68·74	69.40	70·03
8·9	62·33	63·31	64·23	65·06	65·89	66·62	67·37	68·06	68·69	69·35	70·97
9·0	62·28	63·26	64·18	65·01	65·84	66·57	67·32	68·01	68·63	69·29	69·91
9·1	62·24	63·22	64·13	64·97	65·79	66·52	67·27	67·95	68·58	69·23	69·85
9·2	62·19	63·17	64·08	64·92	65·74	66·47	67·21	67·90	68·52	69·18	69·80
9·3	62·15	63·12	64·04	64·87	65·69	66·42	67·16	67·85	68·47	69·13	69·75
9·4	62·10	63·08	63·99	64·82	65.64	66·37	67·11	67·80	68·42	69·08	69·69
9·5	62·06	63·03	63·94	64·77	65·60	66·32	67·06	67·75	68·37	69·02	69·64
9·6	62·01	62·98	63·89	64·73	65·54	66·27	67·01	67·70	68·31	68·96	69·58
9·7	61·97	62·94	63·85	64·68	65·50	66·22	66·96	67·65	68·26	68·96	69·52
9·8	61·93	62·90	63·81	64·64	65·46	66·17	66·91	67·60	68·21	68·86	69·47
9·9	61·89	62·86	63·76	64·59	65·40	66·12	66·86	67.54	68·16	68·80	69·41
10·0	61·84	62·81	63·71	64·54	65·35	66·07	66·81	67·48	68·10	68·74	69·36
10·1	61·80	62·76	63·66	64·49	65·31	66·02	66·76	67·43	68·04	68·69	69·31
10·2	61·76	62·72	63·62	64·44	65·26	65·98	66·71	67·38	67·99	68·64	69·26
10·3	61·71	62·68	63·57	64·39	65·21	65·93	66·66	67·33	67·94	68·58	69·20
10·4	61·67	62·63	63·53	64·34	65·16	65·88	66·61	67·27	67·89	68·53	69·15
10·5	61·63	62·59	63·48	64·30	65·11	65·83	66·56	67·22	67·84	68·47	59·09
10·6	61·58	62·54	63·44	64·25	65·06	65·78	66·51	67·17	67·78	68·42	69·04
10·7	61·54	62·50	63·39	64·21	65·02	65·73	66·46	67·12	67·73	68·36	68·98
10·8	61.50	62·46	63·35	64·16	64·97	65·68	66·41	67·07	67·68	68·31	68·93
10·9	61·45	62·41	63·30	64·11	64·92	65·63	66·36	67·02	67·63	68·26	68·87
11·0	61·41	62·37	63·25	64·06	64·88	65·58	66·31	66·97	67·57	68·21	68·82

11·1	..	..	61·37	62·32	62·21	64·01	64·83	65·53	66·26	66·92	67·52	68·16	68·77
11·2	..	..	61·32	62·28	63·16	63·97	64·78	65·48	66·21	66·86	67·47	68·10	68·72
11·3	..	..	61·28	62·23	63·12	63·92	64·73	65·43	66·16	66·81	67·42	68·05	68·66
11·4	..	..	61·23	62·19	63·07	63·88	64·68	65·39	66·11	66·76	67·36	67·99	68·61
11·5	..	..	61·19	62·15	63·02	63·83	64·63	65·34	66·06	66·71	67·31	67·94	68·55
11·6	..	..	61·15	62·11	62·98	63·78	64·59	65·29	66·01	66·66	67·26	67·89	68·50
11·7	..	..	61·11	62·06	62·94	63·73	64·54	65·24	65·96	66·61	67·21	67·84	68·45
11·8	..	..	61·07	62·02	62·89	63·69	64·49	65·19	65·91	66·56	67·16	67·78	68·39
11·9	..	..	61·03	61·97	62·84	63·64	64·84	65·14	65·86	66·51	67·11	67·74	68·34
12·0	..	..	60·98	61·92	62·79	63·59	64·39	65·09	65·81	66·46	67·06	67·68	68·28
12·1	..	..	60·94	61·88	62·75	63·55	64·34	65·04	65·76	66·41	67·01	67·63	68·23
12·2	..	..	60·90	61·84	62·71	63·51	64·30	65·00	65·71	66·36	66·96	67·58	68·18
12·3	..	..	60·86	61·80	62·67	63·47	64·26	64·96	66·67	66·31	66·91	67·53	68·13
12·4	..	..	60·82	61·76	62·63	63·42	64·22	64·91	65·62	66·26	66·86	67·48	68·08
12·5	..	..	60·77	61·72	62·58	63·37	64·17	64·86	65·57	66·21	66·80	67·42	68·02
12·6	..	..	60·73	61·67	62·53	63·32	64·12	64·81	65·52	66·15	66·75	67·37	67·97
12·7	..	..	60·69	61·62	62·48	63·27	64·07	64·75	65·47	66·11	66·70	67·32	67·92
12·8	..	..	60·64	61·58	62·44	63·22	64·02	64·71	65·42	66·06	66·65	67·27	67·87
12·9	..	..	60·60	61·54	62·40	62·18	63·97	64·66	65·37	66·01	66·60	67·22	67·81
13·0	..	..	60·56	61·49	63·36	63·12	63·91	64·62	65·32	65·96	66·55	67·17	67·76

विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर)

प्रेषक

संचालक, पंचायत राज,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

संख्या ५--८२६०-५७　　लखनऊ, दिनांक १६ अक्तूबर, १९५७ ई०

विषय--पंचायत मन्त्रियों का उनकी योग्यतानुसार वर्गीकरण ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के परिपत्र संख्या ५, ब/३६४४/५४--७८/५४, दिनांक ११ जनवरी, १९५५ ई० की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए यह कहना है कि उक्त आदेशानुसार किये गये वर्गीकरण को दो वर्ष से अधिक समय हो गया है और पंचायत मन्त्रियों में पर्याप्त परिवर्तन हो गया होगा । अतः यह उचित होगा कि वर्तमान पंचायत मन्त्रियों की उनके कार्यस्तर पर भली भांति विचार करके पुनः चार श्रेणियां बना लें । परन्तु श्रेणियां बनाते समय पूर्ण सावधानी बर्ती जावे और जो सूचियां बनाई जावें उनकी जांच कृपया आप स्वयं भी कर लें और अपने कार्यालय में उनका रिकार्ड रक्खें । ये सूचियां पदोन्नति आदि पर विचार करते समय उपयोगार्थ होंगी और निम्न श्रेणी का कार्यस्तर होने पर आप सम्बन्धित मंत्री को चेतावनी भी दे सकते हैं ।

भवदीय,
अब्दुल अहमद ख्वाजा,
उप-संचालक,
संचालक, पंचायत राज की ओर से ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४ पर)

	आनरेरी मैजिस्ट्रेट		जुडिशियल मैजिस्ट्रेट		स्टाइपेन्डरी मैजिस्ट्रेट	
	१९५७	१९५८	१९५७	१९५८	१९५७	१९५८
(अ) पंजीकृत मुकदमे ..	६,१८५	३,४२६	६,९०९	४,८८७	९,८१८	७,८४०
(ब) निर्णय किये हुए मुकदमे	५,८३२	२,७९६	६,३९४	३,३२९	८,९६८	६,४०१
(स) अनिर्णीत मुकदमे ..	३५३	६३०	५१५	१,५५८	८५०	१,४३९
(द) औसत अवधि जो प्रत्येक मुकदमे के निर्णय होने में लगी	१३·१	१२·३	२५·६	२०·४	२२·५	१७·७

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी० ए० पो०–११२ एल० ए०—१९५८—८३७।